महानगर नई दिल्ली शुक्रवार 21 जून, 2019, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

हिमाचल प्रदेश में खाई में गिरी बस, 42 यात्रियों की मौत

कुल्लू, 20 जून (जनसत्ता)।

कुल्लू जिले के बंजार उपमंडल मुख्यालय के निकट बयोट मोड़ पर गुरुवार शाम एक बस के 500 फुट गहरी खाई में गिरने से 42 यात्रियों की मौत हो गई और 32 लोग घायल हो गए। खचाखच भरी इस बस में 74 यात्री सवार थे। खाई में गिरते ही बस के परखचे उड़ गए और उपरी हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो गया। बस में अधिकतर कॉलेज छात्र सवार थे, जो एडमिशन लेकर लौट रहे थे। दुर्घटनास्थल पर राहत व बचाव कार्य जारी है।

यह बस बंजार से गाड़ागुशैणी-खौली के लिए रवाना हुई थी और महज दो किलोमीटर दूर ही लगभग 500 फुट गहरी खाई में गिर गई। घटना की सूचना मिलते ही बंजार के एसडीएम अन्य अधिकारियों और बचाव दल के साथ दुर्घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। घायलों को तुरंत बंजार के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया।

बंजार से गाड़ागुशैणी के लिए रवाना हुई थी बस, महज दो किलोमीटर आगे खाई में गिरी

प्रशासन व ग्रामीणों ने घायल यात्रियों को निकाल अस्पताल पहुंचाया

गंभीर रूप से घायल हुए यात्रियों को कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल से तुरंत एंबुलेंस घटनास्थल को रवाना की गईं। दो बचाव टीमें मौके पर हैं और स्थानीय लोग भी बचाव कार्य में सहयोग कर रहे हैं। एसडीएम एमआर भारद्वाज ने बताया कि बचाव कार्य जारी है और मृतकों की संख्या अभी भी बढ़ सकती है। उन्होंने मृतकों के परिजनों और घायलों को फौरी राहत के रूप में 50000 रुपए की राशि मौके पर ही वितरित की, जबकि मृतकों की शिनाख्त कर उनके परिजनों को राहत राशि प्रदान की जा रही है। बस हादसे में हताहत हुए अधिकतर लोग मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र सराज के हैं जो सूचना मिलते ही शिमला से घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। बताया जा रहा घायल व मृतक सराज के गाड़ागुशैण के निवासी है। सभी गंभीर रूप से घायल हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने घटना पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मोदी के हवाले से ट्वीट किया, 'कुल्लू में हुई सड़क दुर्घटना से बेहद दुखी हूं। इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना। मैं घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, 'हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुई बस दुर्घटना दुखद है। इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है।'

सांसदों ने वेंकैया को अपने निर्णय की सूचना दी

तेदेपा के चार राज्यसभा सदस्य भाजपा में

जनसत्ता ब्यूरो/भाजपा
नई दिल्ली, 20 जून।

तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के छह राज्यसभा सदस्यों में से चार गुरुवार को भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने तेदेपा संसदीय दल (राज्यसभा में) का भगवा पार्टी में विलय करने का प्रस्ताव उच्च सदन के सभापति एम वेंकैया नायडू को सौंपा। इस तरह, राज्यसभा में भाजपा की स्थिति मजबूत होती दिख रही है। तेदेपा के राज्यसभा सदस्य वाईएस चौधरी के नेतृत्व में पार्टी के चार सदस्यों (उच्च सदन के) ने इस सिलसिले में एक प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी।

चौधरी लंबे समय से तेदेपा प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के विश्वस्त सहयोगी माने जाते थे। सूत्रों के अनुसार राज्यसभा में तेदेपा के चार सदस्यों- वाईएस चौधरी, सीएम रमेश, जी मोहन राव, और टीजी वेंकटेश- ने अपने धड़े का भाजपा में विलय करने के अनुरोध का प्रस्ताव नायडू को सौंपा है। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राज्यसभा में पार्टी के नेता थावरचंद गहलोत ने भी वेंकैया नायडू से मुलाकात की और इस विलय को मंजूरी देने का अनुरोध किया।

यह घटनाक्रम चंद्रबाबू नायडू के लिए एक बड़ा झटका है जो लोकसभा और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को मिली करारी हार के बाद लगा है।

भाजपा मुख्यालय में नड्डा ने संवाददाताओं से कहा कि तेदेपा सांसदों (जिनमें से तीन वहां मौजूद थे) ने भगवा पार्टी में शामिल होने का फैसला इसलिए किया कि उनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एजंडा विकास और समावेश का है। नड्डा के साथ गहलोत और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भूपेंद्र यादव भी थे, जहां भाजपा ने आंध्र प्रदेश के इन नेताओं का अपनी पार्टी में स्वागत किया। यादव ने कहा कि पैर टूट जाने की वजह से राव इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। नड्डा ने कहा कि इन लोगों के शामिल होने से राज्य में पार्टी मजबूत होगी। संवाददाताओं से बात करते हुए चौधरी ने केंद्र व नायडू के बीच जारी टकराव की ओर संकेत करते हुए कहा कि राज्य का विकास सहयोग से हो सकता है ना कि टकराव से। तेदेपा के भाजपा नीत राजग से बाहर निकलने से पहले चौधरी मोदी सरकार के प्रथम कार्यकाल में मंत्री थे।

पिछले साल आयकर विभाग ने चौधरी और रमेश के कार्यालय परिसरों में छापा मारा था। कर चोरी और धनशोधन के आरोपों को लेकर यह कार्रवाई की गई थी।

तेदेपा के चारों सांसदों ने कहा कि काफी चर्चा के बाद तेदेपा के राज्यसभा में संसदीय दल का भाजपा में तत्काल प्रभाव से विलय करने का फैसला लिया गया। तेदेपा संसदीय दल ने शाह को भी पत्र लिख कर विलय को स्वीकार करने का अनुरोध किया और उन्हें सभापति को एक प्रस्ताव देकर उन लोगों को स्वीकार किए जाने से अवगत कराने को कहा।

यूरोप में छुट्टियां मना रहे *चंद्रबाबू नायडू* ने अपनी पार्टी के नेताओं से फोन पर बात की और उन्हें इसका डट कर सामना करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए इस तरह के संकट नए नहीं हैं।

लोकसभा में आज पेश होगा तीन तलाक पर रोक का विधेयक

नई दिल्ली, 20 जून (भाषा)।

मुसलिम समाज में एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) की प्रथा पर रोक लगाने के मकसद से जुड़ा नया विधेयक सरकार शुक्रवार को लोकसभा में पेश करेगी। लोकसभा से जुड़ी कार्यवाही सूची के मुताबिक 'मुसलिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2019' लोकसभा में पेश किया जाएगा।

पिछले महीने 16वीं लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद पिछला विधेयक निष्प्रभावी बाकी पेज 8 पर

बंगाल हिंसा में दो की मौत, चार घायल

जनसत्ता संवाददाता
कोलकाता, 20 जून।

महानगर से सटे उत्तर 24 परगना जिले के भाटपाड़ा में गुरुवार को दो गुटों के बीच भड़की हिंसा में दो लोगों की मौत हो गई और कम से कम चार लोग घायल हो गए। हिंसा के बाद इलाके में फैले तनाव को देखते हुए वहां भारी तादाद में पुलिस व रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात कर दिया गया है।

इलाके में धारा 144 लागू होने के बावजूद उत्तेजित लोगों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़-फोड़ की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र ने भी मौके का दौरा किया है।

भाजपा ने कहा कि पुलिस की गोली से हुई मौतें, जल्द ही इलाके में भेजेगी प्रतिनिधिमंडल निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद भीड़ ने की पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़।

भिड़ंत के दौरान जमकर गोलियां और देसी बम चले। मौके पर पहुंचे पुलिसवालों को उत्तेजित भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े।

भाटपाड़ा में मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी

इस बीच, भाजपा नेता मुकुल राय ने आरोप लगाया है कि दोनों मौतें पुलिस फायरिंग में हुई है। भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल भी जल्दी ही भाटपाड़ा इलाके का दौरा करेगा।

पुलिस ने बताया कि दो गुटों के बीच हुई हिंसक भिड़ंत बाकी पेज 8 पर

पूर्व आइपीएस अफसर संजीव भट्ट को उम्रकैद

हिरासत में मौत के 29 साल पुराने मामले में सत्र अदालत ने सुनाई सजा, तब भट्ट जामनगर में पदस्थ थे

पुलिस कांस्टेबल प्रवीण सिंह जाला को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई

जामनगर, 20 जून (भाषा)।

पूर्व आइपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को 1990 में हिरासत में हुई मौत के एक मामले में गुजरात की एक अदालत ने गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह मामला 1990 का है, जब भट्ट गुजरात के जामनगर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे।

संजीव भट्ट

भट्ट इस समय एक व्यक्ति को कथित तौर पर मादक पदार्थ अपने पास रखने को लेकर फंसाने के आरोप में एक अन्य मामले में जेल में हैं। बताते चलें कि गुजरात में 2002 में हुए दंगों में भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। भट्ट को भारतीय पुलिस सेवा से 2011 में निलंबित कर दिया गया और सेवा से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण उन्हें अगस्त 2015 में गृह मंत्रालय ने बर्खास्त कर दिया था।

जामनगर सत्र अदालत के न्यायाधीश डीएन व्यास ने हिरासत में मौत के 29 साल पुराने मामले में भट्ट और पुलिस कांस्टेबल प्रवीण सिंह जाला को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने पांच अन्य पुलिसकर्मियों- उप निरीक्षक दीपक शाह और शैलेष पंड्या, कांस्टेबल प्रवीणसिंह जडेजा, अनूपसिंह जेठवा और केशुभा जडेजा को भी मामले में दोषी ठहराया और दो साल कैद की सजा सुनाई।

बताते चलें कि 30 अक्तूबर 1990 को तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भट्ट ने जामजोधपुर कस्बे में हुए एक सांप्रदायिक दंगे के बाद करीब 150 लोगों को हिरासत में लिया था। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी की रथयात्रा रोके जाने के खिलाफ आहूत इस बंद के बाद यह दंगा भड़का था। इनमें से एक प्रभुदास वैशनानी नाम के एक शख्स की हिरासत से रिहा किए जाने के बाद अस्पताल में मौत हो गई थी।

वैशनानी के भाई ने बाद में भट्ट और छह अन्य पुलिसवालों के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उन्होंने हिरासत में उसके भाई को यातनाएं दी जिसकी वजह से बाकी पेज 8 पर

ईरान ने मार गिराया अमेरिकी ड्रोन, डोनाल्ड ट्रंप ने चेताया

तेहरान, 20 जून (एपी)।

ईरान के सशस्त्र बल 'रिवोल्यूशनरी गार्ड' ने गुरुवार को कहा कि उसने होर्मुज जलसंधि के पास अपने हवाई क्षेत्र में एक अमेरिकी जासूसी विमान को मार गिराया है। सामरिक महत्त्व के इस समुद्री मार्ग में तनाव बढ़ाने वाली यह ताजा घटना है। पेंटागन ने भी इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिकी नौसेना के एक निगरानी ड्रोन को मार गिराया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है। इस चेतावनी के बाद तेल की कीमतों में छह फीसद का उछाल आया है। पेंटागन का दावा है कि उसका ड्रोन अंतराष्ट्रीय क्षेत्र में था, ना कि ईरान के हवाई क्षेत्र में। अमेरिकी बाकी पेज 8 पर

ईरान की बड़ी गलती : ट्रंप

भारत ने तैनात किए दो युद्धपोत - *खबर पेज 8*

प्रधानमंत्री ने सांसदों को दिया रात्रिभोज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 जून।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी स्थित एक पांच सितारा होटल में रात्रिभोज का आयोजन किया।

रात्रिभोज के लिए दोनों सदनों के लगभग 750 सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री की ओर से आमंत्रण भेजा गया। इस रात्रिभोज में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे प्रमुख विपक्षी नेता अनुपस्थित रहे। तृणमूल कांग्रेस, वाम दलों जैसे माकपा और भाकपा, बहुजन बाकी पेज 8 पर

सोनिया, राहुल व अखिलेश रहे अनुपस्थित

रात्रिभोज में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद के अलावा राजग और यूपीए के घटक दलों के विभिन्न नेता शामिल हुए

दिमागी बुखार का कहर

बिहार में मरने वाले बच्चों की संख्या 124 हुई

मुजफ्फरपुर, 20 जून (भाषा)।

बिहार में 'एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) से मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़ कर 124 हो गई है।

मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन डॉ. शैलेश प्रसाद ने गुरुवार देर शाम बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल और केजरीवाल अस्पताल में दिमागी बुखार (एईएस) से सात अन्य बच्चों की मौत के साथ मुजफ्फरपुर बाकी पेज 8 पर

मुजफ्फरपुर जिले में अब तक इस रोग से ग्रसित कुल 562 बच्चे भर्ती कराए गए जबकि इलाज के बाद 219 बच्चों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है।

मुजफ्फरपुर के अस्पताल में बीमार बच्चा

कोर्ट में पेशी से छूट की प्रज्ञा की याचिका खारिज

मुंबई, 20 जून (भाषा)।

यहां की एक निचली अदालत ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में मुख्य आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की अदालत में हफ्ते में एक बार हाजिर होने से स्थायी छूट देने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी।

मध्य प्रदेश के भोपाल से नवनिर्वाचित सांसद ठाकुर ने अपनी याचिका में कहा कि वह कई तरह की बीमारियों से जूझ रही हैं, वे बाकी पेज 8 पर

दरअसल

15 वेबसाइट को नोटिस भेजे कॉर्बेट बाघ अभयारण्य ने

फर्जीवाड़ा नोटिस में कहा गया, कॉर्बेट के नाम पर किए जाने वाले दावे तत्काल हटाए जाएं

जंगल में सैर के नाम पर पर्यटकों से ठगी पर सख्त कार्रवाई

नई दिल्ली, 20 जून (भाषा)।

कॉर्बेट बाघ अभयारण्य के अधिकारियों ने वन्यजीव पर्यटन व अन्य सुविधाओं के लिए लोगों की बुकिंग कराने की खातिर फर्जीवाड़ा करके उसके नाम का इस्तेमाल करने वाली 15 वेबसाइटों को नोटिस भेजे हैं। कॉर्बेट बाघ अभयारण्य के निदेशक संजीव चतुर्वेदी ने कहा, 'इस प्रकार की 15 वेबसाइटों को नोटिस भेजा गया है। उनसे कहा गया है कि वे कॉर्बेट के नाम पर किए जाने वाले दावे तत्काल हटाएं। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।'

उन्होंने कहा कि 'गोडैडी इंडिया वेब सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' को भी नोटिस भेजकर कहा गया है कि वह अपने सर्वर पर मौजूद इस प्रकार की चार फर्जी वेबसाइटों जिमकॉर्बेटनेशनलपार्क. कॉ. इन, जिमकॉर्बेटबुकिंग. इन,

कॉर्बेट बाघ अभयारण्य ने 15 वेबसाइट को नोटिस भेज कर कहा है कि वेबसाइट फर्जीवाड़े से कॉर्बेट के नाम का इस्तेमाल करके लोगों की बुकिंग करा रही थीं और उन्हें ठग रही थी। इन पोर्टल को चलाने वाले लोग पर्यटकों को मुख्य अभयारण्य ले ही नहीं जाते हैं।

गोडैडी इंडिया वेब सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' को भी नोटिस भेजकर कहा गया है कि वह अपने सर्वर पर मौजूद इस प्रकार की चार फर्जी वेबसाइटों जिमकॉर्बेटनेशनलपार्क. कॉ. इन, जिमकॉर्बेटबुकिंग. इन, कॉर्बेट नेशनलपार्क.कॉम, कॉर्बेटनेशनलपार्क. इन को तत्काल हटाए।

कॉर्बेट बाघ अभयारण्य के निदेशक संजीव चतुर्वेदी ने कहा कि बुकिंग के लिए लोग कॉर्बेट बाघ अभयारण्य की वेबसाइट कॉर्बेटऑनलाइन. यूके. गवर्मेंट. इन का इस्तेमाल कर सकते हैं।

कॉर्बेटनेशनलपार्क.कॉम, कॉर्बेटनेशनलपार्क. इन को तत्काल हटाए। चतुर्वेदी ने बताया कि बुकिंग के लिए लोग कॉर्बेट बाघ अभयारण्य की वेबसाइट कॉर्बेटऑनलाइन. यूके. गवर्मेंट.इन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि ये वेबसाइट फर्जीवाड़े से कॉर्बेट के नाम का इस्तेमाल करके लोगों की बुकिंग करा रही थीं और उन्हें ठग रही थी। अकसर ऐसा होता है कि इन पोर्टल को चलाने वाले लोग पर्यटकों को मुख्य अभयारण्य ले ही नहीं जाते।

कॉर्बेट बाघ अभयारण्य के अधिकारियों ने हाल में फैसला किया है कि अब वे ऐसी किसी सिफारिश पर विचार नहीं करेंगे जिसमें कोई वीआइपी या अधिकारी अभयारण्य में अपने या अपने रिश्तेदारों व दोस्तों के ठहरने के इंतजाम या सफारी की सुविधा के लिए कहेगा। इसकी जगह अभयारण्य के अधिकारी इस तरह की सिफारिश भेजने वाले अधिकारियों की शिकायत उनके उच्चाधिकारी से करेंगे।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

It is for general information that I Laila Raj, W/o Raju T D/o Abrahim, Residing at 194 B,Flat No 303, Ward No 2, Dream Apartment, Mehrauli, New Delhi - 110030, declare that name of mine has been wrongly written as Elizabeth Raj in my service record. Theactual name of mine is Laila Raj, which may be amended accordingly. 0070661243-1

I,Vikash Gupta S/O-Jai Prakash Gupta R/O-B-49/1, Molarband Village,Badarpur, New Delhi-110044 Have Changed My Name To Vikas Gupta. 0040500090-2

I,Sunil Kumar S/O-Hari Singh R/o-44,2nd Floor,East Avenue Road,East Punjabi Bagh,Delhi-26,Changed My Name To Sunil Kumar Sangwan. 0040500055-10

I,Sonam Yadav D/o-Suresh Yadav R/o B-223,Mohan Garden Uttam Nagar New Delhi-110059, have change my name to Sonam D/o Suresh Kumar for all future purposes. 0040500090-3

I,Siddarth Gupta S/O Sanjay gupta R/O-1854 /10,Govindpuri extension have Changed my name as Siddhartha Gupta for All Future purposes. 0040500077-1

I,Savita D/o Ram Chander R/o-E-27B, Block-E Krishan Vihar Delhi-86, my correct name is Savita but my name mentioned as Savita Rani,in my-10th class marksheet Savita and Savita Rani,both and and Same Person 0040499990-3

I,Rita Kumari W/O Mr. Rattan Lal Chauhan R/O House No.662, Block-2,Pocket-2, Vasant Kunj,New Delhi-110070, Have Changed My Name To Rita Chauhan For All Purposes. 0040500077-5

I,Rakesh Kumar S/O Hansraj Mahna R/O 29-D,Sunder Apartment,Gh-10, Paschim Vihar, Delhi-110087. Changedmy Name To Rakesh Mahna. 0040500083-5

I,RAJNI W/O-PARMEET SINGH, R/O-1C-44, Namdhari-colony, Ramesh-Nagar, New Delhi-110015, Have Changed my Name to SATKAR KAUR. 0040500090-1

I,Neha Raizada W/o Late Sh.Dinesh Raizada R/o-3725, Ajit Nagar Chowk Dharam pura, Gandhi Nagar, Delhi-110031, have changed my name to Anju 0040499990-4

I,Naresh Kumar Batra S/o Shri.Kharati Lal Batra R/o-M-26,Second Floor,Lajpat Nagar-II,New Delhi-110024,have changed my name to Naresh Batra for all purposes. 0040500006-2

I,Monika W/o Charanjeet Singh Residence 1C/126 Namdhari Colony Ramesh Nagar Delhi have changed my name to Amandeep Kaur. 0040500083-7

I,Manoj Kumar S/O-Vijender Kumar Jain R/O-190, 2nd Floor, Block-Bk-1,Shalimar Bagh,Delhi-88, Changed My Name To Manoj Jain. 0040500077-10

I,Bhavleen Kaur Kohli W/o-Harinder Singh Residence 24/18-B (T.F.) Tilak Nagar Delhi have changed my name to Bhavleen Kaur. 0040500083-8

I,Baljeet singh S/o-Joginder singh R/o-H.No-1/11393-B St no-9,Subhash park extn. Naveen shahdara Delhi-32 inform that name of my father has been wrongly mentioned as Jogindra singh in my 10th education documents .the actual name my father is Joginder singh for all the future purposes. 0040500077-9

I,Ashwani Kumar Arora S/O-Kundan Lal Arora R/O A-50, First Floor, Gujranwala Town-1,Delhi-110009 Have Changed My Name To Ashwani Arora. 0040500077-8

I,Anil Kumar S/O Desraj Kumar R/O C-23,Shankar Acharya Marg,Adarsh Nagar,Delhi-110033. Changedmy Name To Anil Kumar Dang. 0040500083-2

I,Akansha Chugh D/o-Baldev Kumar R/o-B-4,GaliNo.16,New Govindpura,Krishna Nagar,Delhi-110051 have changed my name to Akansha. 0040500083-10

I, Vijay Surabhathula R/o D-611, IRCON Employees' CGHS, Plot No 14, Sector 18A, Dwarka, New Delhi 110078, have changed my name to Vijay Surabathula for all purposes. 0040500095-1

I, Vijay Kumar Rana,S/o Mr Paras Ram Rana,R/o Flat No-102, Building Number 67-68,Street Number 5, Jain Park,Uttam Nagar,New Delhi - 110059,have changed my name from Vijay Kumar to Vijay Kumar Rana for all purposes. 0040500110-1

I Amrata Gandhi W/O Ashish Bajaj Resident of 7A , Dharam Colony Nangloi Delhi 110041 has changed my name after marriage to Amrata Bajaj permanently. 0040500077-2

I Anjali D/o Sgt Rakesh Kumar Yadav R/o Vill Suthari Post Surana District Ghaziabad, UP Have Changed My Name To Anjali Yadav. 0070661291-1

व्यक्तिगत

I, Vijay Gambhir S/o Gulab Rai R/o-3045A Housings Board Colony, Sector-3 Ballabgarh, Faridabad have changed my name to Vijay Kumar Gambhir. 0040499990-1

I, Vaishali D/o Anil Bisht R/o B-49 Gali-2 Khasra No-31/8 Hardev Nagar, Jharoda Majraa, Delhi have changed my name to Vaishali Bisht permanently. 0040500046-2

I, Udhab Pratap Singh S/o Dilip Singh R/o-Flat.No-90 Pocket-1, DDA Flats Dwarka, Sector-6 Delhi-110075,have changed my name to Udbhav Pratap Singh Permanently. 0040500000-2

I, Tushar Sharma s/o Rajinder Kumar Sharma r/o Sanatan Dharam Mandir, Kidwai Nagar (East), Delhi, have changed my name to SAWAN JOSHI. 0040500005-1

I, Tejpal Singh Sayan R/o 82-B, Pocket-6/2, Pink Aprt., Sector-1A, Dwarka, Delhi-110045 have changed the name of my minor son from Gurveer Singh to Gurveer Singh Sayan permanently. 0040500040-1

I, T.Tejasvee Prasanna W/o Arjun Sudhakar R/o-B-1/415 JanakPuri, ND-58,have changed my name to Tejasvee Arjun Sudhakar after marriage for all future purposes. 0040499990-2

I, Sunil Kumar Yadav S/O Shri Kishan Yadav R/o D-1504 Bestech Parkview Ananda sector 81 Gurgaon Haryana, have changed my name to Sunil Yadav vide affidavit dated 07 June 2019 for all future purposes 0050150375-1

I, Sudha Priya Shrivastva D/o-Priya Ranjan Sinha R/o D-104, Pearl Court,Ramprastha Greens,Sector-7, Vaishali, Ghaziabad have changed my name to Sudha Priya Shrivastava. 0040500083-6

I, Subhash Chand S/O Nanak Sharma R/O-Gali No.11, Ganga Vihar Colony, Jalalapur Road, Muradnagar, Ghaziabad, U.P. 201206, Have Changed My Name To Subhash Sharma. 0040500086-7

I, Seema Rani D/o-Narinder Goel R/o-B-5/73, Sector-5, Rohini, Delhi-110085, have changed my name after marriage to Seema Singhal W/o-Chander Mohan Singhal for all purposes. 0040500001-1

I, Sakuntala Devi W/o Ramesh Chandra Sharma R/o-Anuka (East) Badlapur, Sarai Harkhu, Jaunpur, U.P-222141 inform that Sakuntala Devi and Shakuntala Sharma are one and the Same Person. 0040500086-5

I, Rupam W/o-Bharat Chopra R/o-736/7,Gali No-7,Govindpuri Kalkaji,ND-110019 have changed my name to Rupam Jaiswal. 0040500077-3

I, Rudal Prasad, R/o Ojhadera, Tekari, Ballia, UP, have changed my son name from Basant Kumar Prasad to Basant Prasad vide Affidavit in 20.06.2019 before Notary Public,ITO,Delhi. 0040500118-1

I,Vini Arora W/O-Vijay Sachdeva R/O F-1/13, Model Town-2, Delhi-110009. Have Changed My Name To Vinni Sachdeva. 0040500083-1

I, Ruchika Sehgal, W/o Divjyot Puri, R/o 23, Pocket A-3, Sector-8, Rohini, Delhi-110085 have changed my name after marriage dated 05.02.2018 from Ruchika Sehgal to Ruchika Puri, vide affidavit dated 19.06.2019 for all future purposes. 0040500002-1

I, Reeta D/o Mr. Dhuram R/o H.No E-194, Gail No-8, E Block, Ashok Nagar, Shahdara, Delhi-93. have changed my name to Sadhvi Radha Tiwari for all purpose. 0040499996-1

I, Raveena Kumari D/O Ram Singh W/O Sandeep Khatri R/O 36/18, Rajeev Colony, Aryasamaj, Road, Narela, Delhi-110040, Changed my Name to Raveena Khatri. 0040500083-3

I, Rajender S/o Babu Lal residing B-171, Shiv Durga Vihar Lakkarpur Faridabad, Haryana, have changed my name to Rajender Singh for all purposes. 0040499992-1

I, Rajeev kumar S/O Ant Ram chodhary R/O H.No-93 street no -1 Gamri Delhi-110053 have changed my minor son name from Kashish to Yashika. 0040500116-2

I, Rachna Dua D/o H. B Dua R/o-282,SF,Bhera Encl,Paschim Vihar,Delhi-110087,have changed my name to Dolly Arora for all future purposes. 0040500006-5

I, Pushpa Mani Dey W/o Bhavesh Mittal R/o House No. 770, Khubai Patti, Jharsa, Gurgaon, Haryana- 122003 Have Changed My Name To Pushpa Mittal After Marriage. 0070661293-1

I,Sunita Singh Raghav W/o Ajay Kumar R/o-B-185 Vivek Vihar,Phase-1 Delhi-110095 have changed my name to Sunita Raghav for all purposes. 0040500077-4

I Baljit Kaur W/o Jaspal Singh R/o H.NO.23/6A 2nd Flr. Tilak Nagar, New Delhi-110018, have changed my name to Baljeet Kaur 0040500048-1

I, Jagtar Singh S/o Thakar Singh R/o-Opposite Petrol Pump, Rambass, Govindghar Laxmanghar, Alwar Rajasthan-301604 Have Changed My Name to Jagtar Singh Gill. 0040500086-6

I, Pritam Singh S/O Arjun Dass R/O-D-4, Samridhi Apartments, GH-9 Sector-21D, Faridabad, Haryana-121001 Have Changed My Name Pritam Singh Baghla. 0040500086-4

I, Pracheta Kumari W/O Sharad Chandra Keer R/O-Flat No-1804, Tower-B, Sethi Max Royal, Sector-77, Noida, Sector-49,Gautam Budh Nagar,Uttar Pradesh-201304 Have Changed My Name To Pracheta Keer. 0040500086-8

I, Paramjeet W/O Mohabbat Singh R/O Hno.17,Galino.1, Sanjay Nagar,Delhi-110033.Have Changed My Name To Paramjeet Kaur. 0040500083-4

I, No.10136290A NK Satya Parkash,Serving at 105 INF BN(TA) RAJRIF,inform that in my service records my Wife's name is wrongly mentioned as KAVITA. Her correct name is KAVITA DEVI which may be amended accordingly. 0040500043-1

I, Mukesh S/o Sat Narain R/o 56 Shakti Vihar Pitampura, Delhi, have changed my name to Mukesh Kumar Goyal permanently. 0040500046-3

I, Mohini Manku H/o Iqbal Singh, R/o 198/3, Govind Puri, Kalka-ji, New Delhi-110019, have changed my name to MOHINI for all future purposes. 0040500015-1

I, Mohd Gaffar S/o Mohd Yateem R/O C-2, Gali No-4, Yadav Gali, Chandu Nagar, Delhi-110094 Have Changed My Son Name Mohd Ozo To Mohd Ibrahim. 0040500086-2

I, Mohammed Tayyeb S/o Md Afzaal Khan R/o 1067, Kishan Ganj, Teliwara, Azad Market, Delhi-110006 have changed my name to Md Tayyab Khan for future. 0040499997-1

I, Lata Ram S/o Satya Prakash R/o 424, Basant Dada Patil Nagar, T. Huts Bhalswa Dairy, Delhi-42 have changed my name to Lala Ram for all future purposes. 0040500012-1

I, Kishor Kumar S/o Om. Prakash R/o-H.No.157,Vill-Chandpur khurd, Post-Chandpur,Delhi-110081,inform that Kishor Kumar and Kishor Dabas both are the same perso 0040500006-4

I, Najma W/o Abrar Ahmad R/o 65, Barat Nagar, New Delhi-110025, have changed my name to Nazma. 0040500077-6

I, Keshav s/o-Sudhir Shekhar Garg R/o-2707,Main Bazar, Subzi Mandi, Clock Tower, Delhi-110007 have changed my name to Keshav Garg permanently. 0040500055-9

I, Kavita Jain W/o Gagan Deep Dugar R/o E-17/5, U.G.F., Krishna Nagar, Delhi-110051, have changed my name to Kavita Dugar. 0040500027-1

I, Kashi S/O Shri Deep Narayan Mahto R/O Sheohar ward no-2, Sheohar-843329, have changed my name to Kashi nath Mahato. 0040500006-8

I, Kalpana Devi W/O Sachin Tanwar R/O WZ-578C, Naraina Village, Delhi-28, Changed My Name To Kalpana Tanwar. 0040500086-9

I, KANTI Lal Hemraj Jethwa S/O Hemraj Jethwa R/O-Rgb-88, 2nd Floor, Janta Flats, Raghubir Nagar, Tagore Garden, Delhi-27, Changed My Name To Kanti Lal. 0040500086-10

I, Jitinder Singh S/o Shri Pargat Singh, R/o- 80/83, Peepal Chowk, Mohan Garden, Uttam Nagar, New Delhi-110059, have changed my name from Jitinder Singh to Jitender Singh for all future purposes. 0040500003-1

I, Iqbal Singh Manku S/o S. Anant Singh, R/o 198/3 Govind Puri, Kalka-ji, New Delhi-110019, have changed my name to IQBAL SINGH for all future purposes. 0040500015-2

I, Hitherto Known as Geeta Mehta W/O Raj Kamal Mehta R/o-C-3649,Green Field Colony, Sector-43, Faridabad, Haryana-121003 Have Changed My Name And Shall Hereafter be Known as Simi Mehta. 0040500086-3

I, Harpreet Kaur W/o-Mr. Bawa Mohinder Singh R/o-H-2,Bawa Farms, Ansal Villa,Near EMPI Business School, Satbari,New Delhi-110074,have changed my name to Harpreet kaur Bhalla for all purposes. 0040500083-9

I, Geeta Kumari W/O Khairati Lal Aggarwal R/O-E-43,First Floor,Gali.No-3, Hardev Nagar, Delhi-110084,have changed my name to Deepali Aggarwal for futur 0040500006-6

I, Gayatri Krishnamurthy alias Gayathri Krishnamurthy alias K. Gayatri D/o Subamaniam Krishnamurthy R/o Flat No.C-403, Sukh Sagar Apartment, 52, I.P.Extension, Patparganj, Delhi-110092 have changed my name to GAYATRI KRISHNAMURTHY for all future purposes. 0040500034-1

I, Rajesh Kumar S/o Suresh Chand R/o 185/33 Main Krishna Gali No.5 Adarsh Mohalla Maujpur North East Delhi-110053.changed my name to Rajesh vashisth. 0040499872-5

I, hitherto known as Harjit Singh Webbra s/o Bawa Singh Webbra H.No. 23, 3rd Floor, Radhey Puri ext - 1 Krishna Nagar Delhi -51 have changed my name and shall hereafter be known as Harjit Webbra for all future purpose 0040499916-2

व्यक्तिगत

I, Gaurav Kumar S/o Suresh Chander Dhall R/o J-100, Laxmi Nagar, New Delhi-110092 have changed my name from Gaurav Kumar to Gaurav Dhall for all legal purposes. 0040500004-1

I, Dharmendra Kumar S/O Shri Prems Singh R/O-C-595, Gali.No-11, Ganri Extn. Garhi mendu, Delhi-110053, have changed my name to Dharmendra. 0040500006-7

I, Deepak Kumar S/o Naresh Chand Jindal,R/o 2,Pocket-12,Sector-24, Rohini, Delhi-110085 have changed my name to Deepak Jindal. 0040500090-4

I, Deepa Devi w/o Manoj Kumar Sharma, R/o B-362, Sudershan Park, New Delhi-110015, have changed my name to Deepa Sharma. 0040500009-1

I, Asif Quamar S/o Badruddin R/o, 575, 3 rd Floor Front Himachal Mohalla Mandawali Fazalpur Delhi- 110092 Have Changed My Name To Asif Qamar. 0070661292-1

I, Arti Jaiswal W/O, Saurabh Prakash R/O Residence -2, Mayom Hospital, D Block South City-1, Gurgaon, Haryana-122001, Have Changed My Name Arti Jaiswal To Arti Gupta For All Purpose. 0040500092-1

I, Aruna Doraiswamy alias Aruna Deraiswamy W/o Subamaniam Krishnamurthy R/o Flat No.C-403, Sukhsagar Apartment, 52, I.P.Extension, Patparganj, Delhi-110092 have changed my name to ARUNA DORAISWAMY for all future purposes. 0040500037-1

I, Anuradha Kumari Srivastava W/o Arun Vidyarthi R/o 1012, Janta Flats, GTB Enclave, North-East, Delhi-110093, have changed my name to Anuradha for all future purposes. 0040499987-1

I, Anshul Kumar Gupta S/o Shri Bhagwan Gupta R/o-H.No.303, Raksha Enclave,Mohan Garden,Delhi-110059,have changed my name to Anshul Gupta for all purposes. 0040500006-3

I, Ankur Jain S/o Avinash Chandra Jain R/o C-301, Siddh Apartment, 107, I.P.Extension, Patparganj, Delhi-110092 have changed my minor daughter's name from Arya Jain to Aarna Jain for all future purposes. 0040500039-1

I, Anil Kumar S/o Dharam Vir R/o B-49 Gali-2 Khasra No-31/8 Hardev Nagar Jharoda Majraa, Delhi, have changed my name to Anil Bisht permanently. 0040500046-1

I, Amrata Gandhi W/O Ashish Bajaj Resident of 7A , Dharam Colony Nangloi Delhi 110041 has changed my name after marriage to Amrata Bajaj permanently. 0040500055-8

I, Abhishek S/o Gaya Prasad R/o-D-3/4 Vasisht Park Pankha Road Opp-Janak Cinema Delhi-110046, have changed my name to Abhishek Prasad Permanently 0040500000-1

I hitherto known as Sushila W/o Shri Ishwar Dass, R/o 12A, Navsena Appartments, West Enclave, Pitampura, Delhi-110034 have changed my name and shall hereafter to be known as Sushila Devi. 0040500019-1

I Yogesh Grewal S/o Harpal Singh Grewal permanent resident of House No.-911, Sector-23, HUDA, Bhiwani, Haryana-127021, hereby state that mine and my father's name is wrongly written as Yogesh and Harpal Singh in my school passing certificate of 10th and 12th class. But mine and my father's correct name is Yogesh Grewal and Harpal Singh Grewal. 0070661290-1

I Vishal Khan@ Vaishali Batra@ Vishal Sachdeva@ Vashali Batra, D/o Late Sh. Ganga Dhar Sachdeva, R/o EA-124, Third Floor, Inderpuri, Delhi-110012 have changed my name to Vaishali Batra for all purposes. 0040499991-1

I Sneh Sharma @ Usha Sharma D/o Late Sh. Jograj Sharma W/o Late Sh. Jagdish Chander Sharma R/o SD-183, Tower Apartments, Pitampura, Delhi-110034 have changed my name to Sneh Sharma for all purposes. 0040500041-1

I Preeti yadav m/o Shivanya r/o 189 gram sabha pooth kalan Delhi -110086 have to change my minor daughter name Shivanya to Artika for all future purposes. 0040500077-7

I Megha Dewan alias Megha Oberai W/o Sumit Oberai R/o-Flat No-601, Deepak Society Sec-1, IMT Manesar HR, have changed my name to Megha Sumit Oberai both are same person. 0040500086-1

PUBLIC NOTICE

FLAT NO. E-3, GROUND FLOOR, THE ARYA CGHS LTD , KNOWN AS ARYA APARMENTS, PLOT NO. H-8, SECTOR – 15, ROHINI, DELHI

Public at large is hereby informed that the captioned property is subject matter of **Equitable / Registered Mortgage with State Bank of India**, the present Owner(s) is/ are beneficiary of **Family Will dated December 2009 (Laminated)** executed by Shri Harwant Singh bequeathed captioned property in favor of Smt. Raj Dulari (Daughter- in - Law) wife of Shri Kuldeep Tusir, as per WILL she become the absolute owner after death of testator , duly registered vide Regd. No. 12, Book No. III, Vol. No. 156, pages 150-151, dated 05.01.2010.

It is hereby notified that any person or entity, firm / company, Bank, financial institution having claim any charge, interest or lien or claim on the basis of documents / court judgment or otherwise and / or objection to thereof, he/ she/ they may lodge/ notify the same to the undersigned with documentary proof/ court judgment within 7 days from the day of publication, failing which the title as per Will in favor **Smt. Raj Dulari wife of Shri Kuldeep Tusir** shall be deemed to be clear and marketable without any defect , encumbrance, flaw and impediment and my client (s) is/are free to create Equitable / Registered Mortgage by deposit of Chain of available title documents with any person/ firms, company , financial Institution / Bank.

NIRMAL KUMAR (Advocate)
Mobile – 8587898197, Email : nir2verma@gmail.com

खोया+पाया

It is notified for the information that my Original-Qualifying Examination-Certificate of Main,Secondary Examination of year-2012 and Roll.No.8118587 issued by CBSE has been actually lost.Pulkit Chauhan R/o.B-25 Soochana Apartments Vasundhara Enclave, Delhi-110096/8860346976. 0040500055-6

That my Original 12th class marksheet SR. No. SSCE/2015/325522 Roll No. 9150368 issued by CBSE has been lost. Prabhjot Singh S/o Davinder Pal Singh R/o B-1090, Shastri Nagar, Delhi-110052. 0040500118-2

I have lost marksheets & degrees of UPB 1998 X, R.N.480576, XII R.N.229665, BALLB(AMU) 02BALLB14 & LL.M(JMI)07LLM16. Shahnawaz A Malik s/o Ishtiyaq Malik 8590821225. 0040499999-1

I, Anita Sehgal W/O. S.K Sehgal R/O. EC-154, G-8 area, SFS Maya Enclave, New Delhi-110064, have lost 1000 shares of Vishal Papertech (India) Ltd. Folio no. 959. 0040500055-2

I, Kishor Kumar S/o Late Shital Dass Lost my Original GPA Date-10-12-1973 of Property,bearing No-3406-B Built-On Plot.No. 21-22 mustail. No.28 Killa-No.14/1, Situated at mahindra Park Shakur Basti Delhi-110034, finder Contact-8076570511. 0040500055-7

I, Pratham Walia, s/o Sh. Kamal Walia, R/o 8/6446, Gali No. 2, Ground Floor, Dev Nagar, Karol Bagh, New Delhi-110005, have lost my original CBSE 10th Class Mark Sheet/ Certificate Against Roll No. 8258087. Finder may contact (M)-9811980110. 0040500022-1

I, Rakshit Sehgal S/O. S.K Sehgal R/O. EC-154, G-8 area, SFS Maya Enclave, New Delhi-110064 have lost 1000 shares of Vishal Papertech (India) Ltd. Folio no.958. 0040500055-4

I, Runa Sehgal D/O. S.K Sehgal R/O. EC-154, G-8 area, SFS Maya Enclave, New Delhi-110064 have lost 1000 shares of Vishal Papertech (India) Ltd. Folio no.960. 0040500055-3

I, Sani Kumar s/o Lakshman singh R/o 1/5981 kabool nagar shahadra Delhi-32 have lost my original Private Duplicate certificate class-12th year-2017 Rollno-1085881 U.P Barod. 0040500055-5

I Nishu S/o Halkani have lost my Original High School Marksheet Year 2016 Roll No.8698302 CBSE Board. If Found Contact: 9354448373 0040500049-1

I Nishu S/o Halkani have lost my Original High School Marksheet Year 2016 Roll No.8698302 CBSE Board. If Found Contact: 9354448373 0040500049-1

I, Sumit Dhawan have Lost 2nd year Diploma Certificate year 2003 of IMT, Ghaziabad roll no.94100362. Finder call-9871921726 0040500017-1

I, Nidhi D/o Samar Pal R/o C-1560-61, Jahangirpuri, Delhi-110033 have lost my Original 12th Class Educational Certificate, Roll No.9649457. Contact: 9871082713 0040499998-1

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री राम प्रकाश पुत्र श्री मंटूरी पता म. नं. बी–817, गली नं. 15, मदन पुर खादर विस्तार, नई दिल्ली 110076 ने अपने पुत्र पवन कुमार व उसकी पत्नी सोनी को उनके गलत व्यवहार, आचरन एव नियंत्रण मे ना होने के कारण अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ती से दोनो को बेदखल कर दिया है. तथा उपरोक्त पवन कुमार व उसकी पत्नी सोनी से अपने सारे सम्बन्ध विच्छेद कर लिये है. अब मेरे मुवक्कील का अपने पुत्र पवन कुमार व उसकी पत्नी सोनी से कोई सम्बन्ध नही रहा है और यदि भविष्य मे उपरोक्त दोनो के साथ कोई व्यक्ति लेन देन करेगा तो वह व्यक्ति स्वयम का जोखिम उठायेगा। इसमे मेरे मुवक्कील की कोई जिम्मेदारी नही होगी.

धर्मवीर सिंह चौहान (अधिवक्ता)
चै.नं. 322, साकेत जिला न्यायालय, नई दिल्ली–17

सार्वजनिक सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरी मुवक्किल श्रीमति हसीना पत्नी स्वर्गीय श्री मोहम्मद इस्लाम पताः ए–155, ए–ब्लॉक, बलबीर विहार, नियर मस्जिद, किशरी सुलेमान नगर, नार्थ वेस्ट दिल्ली–110086 की स्थायी निवासी हैं। उन्होंने अपने पुत्र मोहम्द इकबाल खान उर्फ इकरम व उसकी पुत्र वधु तान्या उर्फ गुलिस्ताना प्रवीण से अपने सभी तरह के सम्बन्धों से त्याग कर दिया है। मोहम्द इकबाल खान उर्फ इकरम और उसकी पत्नी तान्या उर्फ गुलिस्ताना प्रवीण को उनके दुर्व्यवहार के लिए उनको सभी चल और अचल संपत्तियों से बेदखल कर दिया है और उनसे अपने सभी तरह के सम्बन्धों से अपने आप को अलग कर लिया है।

विवेक चौधरी (अधिवक्ता)
चै.नं. 606, रोहिणी कोर्ट काम्प्लेक्स, दिल्ली–85

PUBLIC NOTICE

KNOW ALL MEN that my client Shri Devender Dhingra S/o Late Shri Som Nath Dhingra R/o Flat No- C-2, Press Apartments, I. P. Extension, Delhi-110092, hereby severed his all relations from his son Shivanker Dev Dhingra, and also disowned and debarred him from inheriting the all immovable and movable properties of my client, due to his personal reason. Anybody deals with them do the same as his own risks and responsibilities, as my client shall not held responsible for their any act of omission in future.

DEEPAK RAJ (Advocate)
19-A, NEELKANTH APARTMENTS, PLOT NO. 46, I.P. EXTENSION, NEW DELHI-92

PUBLIC NOTICE

To be known to all that my client RAJESH KUMAR YADAV S/O SH. RAMESHWAR DAYAL, R/O FLAT NO. 88, THIRD FLOOR, SECTOR-13 PKT-1 DWARKA, NEW DELHI ALLOTTEE/ PURCHASER of DDA MIG FLAT NO. 88, THIRD FLOOR, SECTOR-13, PHASE-II, DWARKA, NEW DELHI. The original Demand Letter, Possession Letter, Site Possession Letter & NOC of Electricity and Water, has been lost/misplaced. An F.I.R. to this effect has been lodged in the Police Station Crime Branch Delhi Vide LR No. 1162543/2019 dated 18.06.2019. Any person(s) claiming any right, interest, having any objection or found in possession of original documents, may writer contact with above address/ Phone No. 7701829528 within 15 days from the date of publication of this notice. The person(s) claiming any right, interest, objection within respect to this property can personally Inform or write to Deputy Director (LAB)(H) or Director (LAB)(H), Vikas Sadan, INA Colony, Delhi-110023. **S. P. Singh,** Advocate
Opp. Central Hall, Tis Hazari Court, Delhi-54

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुवक्किला उषा रानी पत्नी स्व0 श्री सोबेराम निवासी मकान नं. 177, आर.के.पुरम, सैक्टर–5, नई दिल्ली ने अपने पुत्र मुकेश सोलंकी को उसके गलत आचरण, दुर्व्यवहार करने तथा नियंत्रण से बाहर होने के कारण उससे अपने सभी प्रकार के पारिवारिक संबंध विच्छेद करते हुये उसे अपनी तमाम चल–अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। भविष्य में यदि कोई उसके साथ कोई भी लेनदेन या किसी भी तरह का संबंध स्थापित करता है तो उसका जिम्मेदार वह स्वयं होगा। उसके किसी भी कृत्य के लिये मेरी मुवक्किला व उसका परिवार जिम्मेदार नही होगा।

बृज लाल (अधिवक्ता)
चै.नं. 610, साकेत कोर्ट काम्प्लेक्स, नई दिल्ली–17

सार्वजनिक सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री सचिन गायन व श्रीमती मालती गायन पताः डी–1/133, ब्लॉक डी–1, सेक्टर–20, रोहिणी, नई दिल्ली–110086 की स्थायी निवासी हैं। उन्होंने अपनी बेटी श्रीमति सुनीता उर्फ नूपुर माझी से अपने सभी तरह के सम्बन्धों से त्याग कर दिया है। श्रीमति सुनीता उर्फ नूपुर माझी को उनके दुर्व्यवहार के लिए उसको सभी चल और अचल संपत्तियों से बेदखल कर दिया है और उससे अपने सभी तरह के सम्बन्धों से अपने आप को अलग कर लिया है। भविष्य में मेरा मुवक्किल सुनीता उर्फ नूपुर माझी द्वारा किये गए किसी भी तरह के लेन देन व कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

विवेक चौधरी (अधिवक्ता)
चै.नं. 606, रोहिणी कोर्ट काम्प्लेक्स, दिल्ली–85

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client Vijay Kumar Nagpal s/o Brij Lal Nagpal & Sunita Nagal w/o Vijay Nagpal R/o A-4/70, Paschim Vihar, New Delhi-110063, have disowned/debarred their son Himanshu Nagpal & daughter-in-law Smt. Priyanka Sehgal Nagpal and their legal heirs all residing at above address, from their all moveable & immovable assets/properties located at anywhere and also severed all relations with them. Any person/s dealing with them shall be at his/her own risk. Parvesh Kr. Tyagi (Advocate) Seat Behind Court Room No.36, Tis Hazari Courts, Delhi.

PUBLIC NOTICE

It is hereby, informed to the General Public that, we Mr. Udayan Mukerji, s/o-Late Shri. M.K. Mukerji and Mrs. Rita Mukerji w/o- Mr. Udayan Mukerji, both r/o. C-12, Chiragh Enclave GK-1, New Delhi-110048, have lost the Original Provisional Allotment Letter No:-JGNK10021005, dated-25/11/2009, issued by Jaiprakash Associates Limited in respect of Unit Bearing No. K12-1005 in Wish Town Klassic project, situated at Jaypee Greens, Noida on dated 17-05-2019. Any one finding the said documents is required to kindly return the same to me or to the Company. **Name: Udayan Mukerji Address : C-12, Chiragh Enclave, GK-1, New Delhi-110048 Phone No:-+911140561286 Email id:-udayan.mukerji@gmail.com**

PUBLIC NOTICE

Under Instructions from and on behalf of my client, General Public is informed that **Sh. Guddu** S/o Zaheer Ahmed R/o Room No.846, Transit Camp, Anand Parbat, New Delhi-110008, disowned his daughter namely **Neha**, R/o (unknown) due to her misbehavior, from all his immovable properties and movable assets, as she has become unfaithful, dishonest, disobedient & bad behavior towards my client. My client and other family members will not be responsible for her any kind of liabilities, dealings, acts, criminal proceedings, obligations, financial transactions, claims etc. My client has severed all relations with her. **J. C. Trikha** (Advocate)
Ch.No. M-4, C.S., Tis Hazari Courts, Delhi.

PUBLIC NOTICE

General Public are hereby informed that my client Smt. Vimla Devi W/o Late Rishal Singh R/o B-337, Dakshinpuri, Ambedkar Nagar, New Delhi - 110062 has disown his son namely Krishan Kumar and his wife Smt. Sushma and their two sons namely Aditya and Nikhil from her all movable and immovable property and will not responsible for their acts and deeds in future and if anybody deals with them, would do the same at their own risk and consequences.

Sd/-
M.K. Kohli (Advocate)
Ch. No. 713, Saket Courts, New Delhi

PUBLIC NOTICE

My clientess Smt. Nimmi W/o Late Shri Sunder Lal Kataria R/o BS-89, B Shalimar Bagh, Delhi-88, has disowned/debarred her elder son Deepak Kataria and his wife Taruna Kataria including their children, from her movable-immovable properties. assets and has severed all relations due to their misconduct, misbehavior, abuses and are out of control and uses to threats to her and all her family members. My clientess shall not be held responsible for their acts and deed in future.

Sd/-
R.K. MITTAL (ADVOCATE)

PUBLIC NOTICE

Be it Known to all that My client Ramesh Peter S/o Sh. Ram Saroop R/o Flat No. 306, Adarsh Apartment, Sector-3, Pocket-16, Dwarka, New Delhi-110078 has disowned and debarred his son Mr. Abhishek Peter and his wife Mrs . Neelofar from his all movable and immovable properties due to his/their immoral attitude, behaviour and misconduct, if anybody dealing with them shall deal with their own risk, my client shall not be responsible in any manner whatsoever.

Sd/-
RITU VERMA
(ADVOCATE)
DELHI HIGH COURT
Cont. 9811270278

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I SATENDER KUMAR S/O NAHAR SINGH, residing at RZ-33, Nehru Garden New Roshan Pura, Najafgarh, South West Delhi, Delhi-110043 declare that name of my minor son ROHAN SACHAN aged 15 years has been wrongly written as SHIVA SACHAN in his School Record. The actual name of my minor son is ROHAN SACHAN, which may be amended accordingly.

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

PUBLIC NOTICE

It is for the information of general public that my clients Sh. Munesh Kumar S/o Late Sh. Ram Singh, aged 55 years & Smt. Shakuntala Devi W/o Munesh Kumar, aged 48 years, both R/o B-972, Transit Camp, Kalkaji, Delhi-110019 have disowned his / her son namely Sh. Jogander Singh & his wife namely Smt. Babli from all their moveable & immoveable properties. My client shall not be responsible in future for any acts and deeds of their disowned son and daughter in law.

Vandana (Advocate)
D-18 (LGF) East of Kailash, New Delhi-65

PUBLIC NOTICE

It is publically informed that my client intends to purchase Entire Property No.E-870, (Bottom to top), situated at Saraswati Vihar, Pitampura, Delhi, from Ms. Nirmal Dogra D/o Mr. C.R. Dogra R/o E-870, Saraswati Vihar, Pitampura, Delhi. Ms. Nirmal Dogra hereby declares that She is the absolute owner of the aforesaid property and there is no defect in the title of the said property. In case any person, company etc. have any sort of objection and/or have any sort of right in the said property then he she/they shall claim their right and contact me in writing at my address given below within Thirty (30) days from the date of this notice. After Thirty days such claim shall be treated as null and void and My client shall be free to purchase the said property.

Sd/-
Manish Chawla (Advocate)
Office No. 4, RU-Block,
C.S.C., DDA Market Pitampura, Delhi.
9811139896
Advocatemanish.chawla@gmail.com

PUBLIC NOTICE

This is informed to the general public that my client Smt. Vineeta Gautam W/o. Late Vinay Kumar Gautam R/o. A-102, Sector-40, Noida, District Gautam Budh Nagar UP have disowned her son Sharvan Gautam from her all movable & immovable properties and also serve all relation from him due to his misbehaviour & misconduct. My client not responsible for any act of my son Sharvan Gautam in future.

Ms. Kamlesh Choudhary
Advocate

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that under instructions from and on behalf of my client **KRISHAN CHAWLA** & **SMT. REETA CHAWLA**, R/o A-12, Kirti Nagar, New Delhi-110015, have disowned/debarred/ discard their son **GAURAV CHAWLA** & his wife **MEHAK BA

'आप' विधायक हाजी इशराक खान ने मनोज तिवारी से मुलाकात की

भाजपा में शामिल होने की बात को बताया अफवाह

नई दिल्ली, 20 जून (भाषा)।

सीलमपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक हाजी इशराक खान ने दिल्ली भाजपा प्रमुख मनोज तिवारी से गुरुवार को मुलाकात की। उधर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुआई वाली पार्टी ने दल-बदल रोधी कानून के तहत अपने दो विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को एक अर्जी दी है।

भाजपा में शामिल होने की किसी भी योजना को खान ने 'अफवाह' बताकर खारिज किया और दावा किया कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र सीलमपुर में लड़कियों का कॉलेज बनवाने के संबंध में तिवारी से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा, 'सीलमपुर विधानसभा में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन है। तीन साल पहले, मैंने इस जमीन पर लड़कियों का कॉलेज बनाने की मांग की थी। मैंने तिवारी को इस मांग की याद दिलाने के लिए मुलाकात की थी और उन्होंने इसमें मदद का आश्वासन दिया'। बहरहाल, प्रदेश भाजपा के सूत्रों ने कहा कि जो दिख रहा है उससे ज्यादा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद, आप के कई विधायक पार्टी छोड़ना चाहते हैं और भगवा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने संसदीय चुनाव के दौरान दावा किया था कि आम आदमी पार्टी के 14 विधायक उनके संपर्क में हैं। इस बीच 'आप' ने संकेत दिया कि वह बागी विधायकों के खिलाफ भी वही कार्रवाई करेगी जो उसने देविंद्र सहरावत और अनिल वाजपेयी के खिलाफ की थी। दिल्ली भाजपा के मीडिया संबंध के प्रमुख नीलकांत बख्शी ने कहा कि खान ने तिवारी से शिष्टाचार भेंट की थी।

पानी का न होना सरकार की लापरवाही : तिवारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 जून।

मनोज तिवारी ने दिल्ली में बढ़ रही पानी की समस्या को लेकर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि गर्मियों में अक्सर पानी की मांग बढ़ जाती है और ऐसे समय में जब पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है, पानी का न होना दिल्ली सरकार की लापरवाही को साफ तौर पर दिखाता है। केजरीवाल सरकार पानी की समस्या को लेकर समय रहते ठोस योजना तैयार कर लेती तो दिल्ली में यह समस्या विकराल रूप धारण नहीं करती।

दिल्ली प्रदेश भाजपा जनता की समस्याओं की आवाज बनकर गहरी नींद में सोई केजरीवाल सरकार को धरना प्रदर्शन करके जगा रही है। दिल्ली के सभी जिलों, विधानसभा क्षेत्रों व मंडलों में भाजपा के कार्यकर्ता पानी की समस्या को लेकर सोई हुई सरकार को जगाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं।

सरकार की डेंगू से निपटने की पूरी तैयारी : केजरीवाल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 जून।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार डेंगू और चिकनगुनिया के मामलों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली में जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून पहुंचने की संभावना है।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने गुरुवार को बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों पर काबू पाने के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता के बाद दिल्ली सरकार की मुस्तैदी का दावा किया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक ट्वीट किया कि बारिश का मौसम आने वाला है। इन्हीं दिनों डेंगू और चिकनगुनिया होता है। भगवान करे आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे। दिल्ली सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज सभी विभागों की बैठक कर स्थिति का जायजा लिया।

'शिक्षक भूख, बेरोजगारी पर सर्जिकल स्ट्राइक करने को प्रतिबद्ध'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 जून।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को कहा कि समाज में भूख, बेरोजगारी, निरक्षरता और हिंसा से शिक्षा के माध्यम से लड़ने की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली के शिक्षक इन समस्याओं पर सर्जिकल स्ट्राइक करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं।

शिक्षा विभाग संभालने वाले उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के स्कूलों के प्रमुखों और निरीक्षकों के लिए आयोजित एक प्रशासनिक क्षमता निर्माण कार्यक्रम में कहा कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों की खुशी के साथ ही यह भी है कि वे समाज में दूसरों की खुशी में योगदान के लिए इसका उपयोग कैसे करते हैं। उन्होंने कहा कि हम अखबारों की सुर्खियां पढ़ते हैं जो हमें उदास कर देती हैं। सेना इन समस्याओं के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर सकती। ये काम आपको करना होगा। दिल्ली के अध्यापक बेरोजगारी, भूख, निरक्षरता, हिंसा और घृणा जैसी समस्याओं पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे।

DiGiSPICE
स्पाइस मोबिलिटी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः 622, 6वीं तल, डीएलएफ टॉवर–ए, जसोला डिस्ट्रक्ट सेंटर, नई दिल्ली –110025
कॉर्पोरेट कार्यालयः स्पाइस ग्लोबल नॉलेज पार्क, 19ए और 19बी, सेक्टर–125, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.- 201301,
ईमेलः complianceofficer@smobility.in वेबसाइटः www.spicemobility.in
टेलीफोनः 011–41251965, सीआईएनः L72900DL1986PLC330369

डाक मतपत्र सूचना

एतद द्वारा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी ने इसके नाम को "स्पाइस मोबिलिटी लिमिटेड" से "डिजीस्पाइस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड" के प्रस्तावित परिवर्तन हेतु डाक मतपत्र के माध्यम से सदस्यों की अनुमति हेतु, डाक मतपत्र की सूचना के साथ डाक मतपत्र फॉर्म एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के अंतर्गत वांछित स्व–संबोधित डाक प्री–पेड लिफाफे का प्रेषण, उन सभी सदस्यों को जिनका नाम कट ऑफ तिथि अर्थात् 7 जून, 2019 को सदस्यों के रजिस्टर एवं डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स में दर्शित थे, मंगलवार, 18 जून, 2019 को पूर्ण कर लिया है। वह व्यक्ति जो कट–ऑफ तिथि पर सदस्य नहीं है, उसे यह सूचना मात्र जानकारी के तौर पर ग्रहण करना चाहिए।

सदस्यों के पास अपने मताधिकार का इलेक्ट्रानिक अथवा भौतिक मतपत्र के जरिये प्रयोग करने का विकल्प है। मतपत्र बुधवार, 19 जून, 2019 को प्रातः 9:00 बजे आरंभ होगा और बृहस्पतिवार, 18 जुलाई, 2019 का सायं 5:00 बजे समाप्त हो जायेगा।

भौतिक मतपत्र के जरिये मताधिकार का प्रयोग करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे यह नोट कर लें कि विविधत पूर्ण किये गये और हस्ताक्षरित डाक मतपत्र फार्म संवीक्षक, श्री संजय ग्रोवर, पूर्णकालिक कार्यरत कम्पनी सचिव के पास अधिकतम बृहस्पतिवार, 18 जुलाई, 2019 को सायं 5:00 बजे तक पहुँच जाने चाहिए और इस तिथि के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों को यह समझा जायेगा जैसे कि वे प्राप्त ही नहीं हुए हैं। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–मतदान मॉड्यूल को हटा दिया जायेगा। जिन सदस्यों को डाक मतपत्र फार्म प्राप्त नहीं हुए है अथवा जिन्हें ये इलेक्ट्रनिक विधि में प्राप्त हुए है परन्तु वे अपने मत का प्रयोग भौतिक स्वरूप में करने के इच्छुक हैं, वे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और डुप्लिकेट डाक मतपत्र प्राप्त कर सकते है। डाक मतपत्र सूचना और डाक मतपत्र फार्म https://www.digispice.com/postalballotJune19.pdf पर भी उपलब्ध है। डाक मतपत्र का परिणाम कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में शनिवार, 20 जुलाई, 2019 को सायं 5:15 बजे घोषित किया जायेगा एवं कम्पनी की वेबसाइट www.spicemobility.in पर प्रदर्शित होगा।

ई–मतदान के संबंध में काई प्रश्न अथवा शिकायत के मामले में कृपया evoting@nsdl.co.in पर संपर्क करें अथवा 1800–222–990 पर संपर्क करें। मतपत्र के जरिये मतदान के संबंध में किसी प्रश्न अथवा शिकायत के मामले में अंशधारक पंजीकृत कार्यालय पर कम्पनी सचिव से संपर्क करें अथवा complianceofficer@smobility.in पर मेल करें या 011 - 41251965 पर संपर्क करें।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते स्पाइस मोबिलिटी लिमिटेड
एम आर बोथरा
उपाध्यक्ष–कॉर्पोरेट मामलें एवं कंपनी सचिव

तिथिः 20 जून, 2019
स्थानः नोएडा

हंसराज ने 'आप' पर साधा निशाना कहा, जल संकट से जनता परेशान

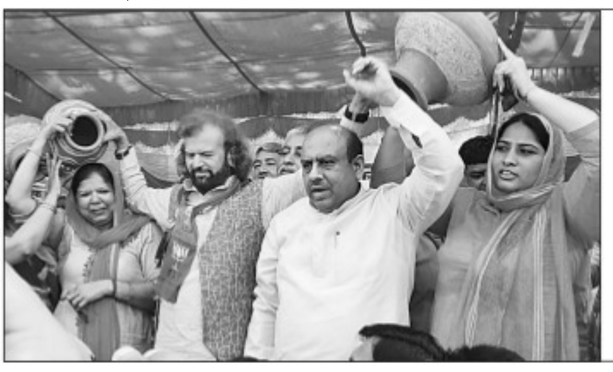

नरेला विधानसभा में जल संकट को लेकर गुरुवार को मटका फोड़ प्रदर्शन में भाग लेते प्रदर्शन उत्तर-पश्चिम दिल्ली के सांसद हंसराज हंस और विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता।

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 जून।

नरेला विधानसभा में जल संकट को लेकर गुरुवार को सफियाबाद रोड पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन उत्तर-पश्चिम दिल्ली के सांसद हंसराज हंस, विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता, भाजपा के जिला उत्तर-पश्चिम में जिलाध्यक्ष नील दमन खत्री की अगुआई में किया गया। प्रदर्शन में बड़ी तादात में भाजपा कार्यकर्ता और आम जन शामिल हुए।

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए सांसद हंसराज हंस ने कहा कि पूरी दिल्ली में पानी को लेकर त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है, लेकिन दिल्ली सरकार सुध नहीं ले रही है। जल बोर्ड और पानी टैंकर के माफिया पानी की समस्या का फायदा उठाकर आम जनता से पैसे ऐंठ रहे हैं, जबकि दिल्ली सरकार सो रही है। दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं, जहां पानी की आपूर्ति ठप पड़ी हुई है जिनमें से एक नरेला भी बुरी तरह से प्रभावित है और कई ऐसे इलाके भी हैं, जहां दूषित पेयजल पीने को मिल रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है कि जल संकट पहली बार आया है। हर साल पानी की समस्या से जनता को दो चार होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता समझदार है, जिस तरह केंद्र में नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक विजय में अहम भूमिका निभाई है ठीक वैसे ही इस बार दिल्ली में भी भाजपा को भारी जन समर्थन देकर इस झूठी सरकार को उखाड़ फेंकना है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार जनता विरोधी सरकार है।

महिलाओं की सुरक्षा का एक भी वादा 'आप' ने पूरा नहीं किया : गुप्ता

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 जून।

लगभग साढ़े चार साल सत्ता में रहने के बावजूद भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेट्रो और डीटीसी बसों में निःशुल्क यात्रा का प्रोपेगेंडा करने वाली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार अब तक डीटीसी बसों में सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस और पैनिक बटन लगाने का अपना चुनावी वायदा तक पूरा नहीं कर पाई है। विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने गुरुवार को कहा कि महिलाओं की सुरक्षा की बड़ी बातें करने वाली 'आप' सरकार महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित अपना एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई है।

ईसीए और खेल कोटे के प्रवेश के लिए ट्रायल का कार्यक्रम जारी हुआ

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 जून।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने अतिरिक्त प्रतिभा गतिविधियां (ईसीए) और खेल वर्ग के तहत होने वाले दाखिले के प्रारंभिक ट्रालय के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। ट्रायल 25 जून से शुरू होकर 5 जुलाई तक जारी रहेंगे। सभी ट्रायल सुबह 9 बजे से शुरू होंगे और रविवार को भी जारी रहेंगे। खेल कोटे के तहत होने वाले ट्रायल 2 से 6 जुलाई के बीच होंगे।

ईसीए के कार्यक्रम के मुताबिक, सृजनात्मक लेखन (हिंदी और अंग्रेजी) के ट्रायल राम लाल आनंद कॉलेज में 28 से 30 जून के बीच होंगे। परिचर्चा (हिंदी और अंग्रेजी) के ट्रायल किरोड़ीमल कॉलेज में 25 जून से 5 जुलाई के बीच आयोजित होंगे।

भारतीय शास्त्रीय नृत्य और भारतीय लोक नृत्य के ट्रायल 25 जून से 2 जुलाई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में और पश्चिमी नृत्य और नृत्यकला के लिए ट्रायल 26 से 30 जून तक राजधानी कॉलेज में होंगे। फोटोग्राफी के ट्रायल 2 जुलाई को और फिल्म निर्माण व एनिमेशन के ट्रायल एक जुलाई को दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में आयोजित होंगे। स्केचिंग व पेंटिंग और स्कल्पचर के लिए ट्रायल आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज में 2 से 4 जुलाई तक होंगे।

दस्तावेजों की जांच में फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद लेंगे कॉलेज

सुशील राघव
नई दिल्ली, 20 जून।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में दाखिले के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए 28 जून को पहली कटऑफ के साथ कॉलेजों में प्रवेश शुरू हो जाएंगे। डीयू के कई कॉलेजों ने तय किया है कि वे इस बार दस्तावेजों की जांच के लिए निजी फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद लेंगे।

डीयू के दक्षिण परिसर में स्थिति आत्मा राम सनातन धर्म (एआरएसडी) कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानतोष कुमार झा ने बताया कि हमने निर्णय किया है कि इस बार उन सभी दस्तावजों की फॉरेंसिक विशेषज्ञों से जांच कराएंगे जिनके सही होने पर हमें शक होगा। उन्होंने बताया कि हमने कुछ निजी एजंसियों से बात की है जो हमें फॉरेंसिक विशेषज्ञ उपलब्ध कर सकती हैं। हालांकि अभी तक किसी भी एजंसी के विशेषज्ञों को जांच के लिए चुना नहीं गया है। उन्होंने बताया कि हमारे यहां दाखिला लेने वाले अधिक बच्चे सीबीएसई के होते हैं। इसके अलावा अन्य बोर्ड के बच्चे कॉलेज में दाखिला लेते हैं। सीबीएसई के बच्चों के अंकों का सत्यापन तो ऑनलाइन हो जाता है लेकिन बाकी बोर्ड के बच्चों का सत्यापन नहीं हो पाता है। इसलिए उनके दस्तावेजों की जांच के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञ की मदद ली जाएगी।

इसी तरह मालवीय नगर स्थित श्री अरविंदो कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विपिन कुमार अग्रवाल ने बताया कि हमने सभी तरह के दस्तावेजों, जिनकी सत्यता की जांच ऑनलाइन नहीं हो सकती है, की जांच फॉरेंसिक विशेषज्ञों से कराने का निर्णय किया है। उन्होंने बताया कि दाखिले की अंतिम तिथि के सप्ताह के अंदर ऐसे सभी विद्यार्थियों से उनके दस्तावेज मंगाए जाएंगे जिनके दस्तावेजों की जांच नहीं हो पाई है। इस दौरान निजी एजंसी के विशेषज्ञ इन दस्तावेजों की जांच करेंगे। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया वे पिछले साल के ओबीसी, एससी और एसटी श्रेणी के प्रमाणपत्रों की जांच भी कराएंगे। उन्होंने बताया हमने पत्रों के माध्यम से इन प्रमाणपत्रों की सत्यता जांचने की कोशिश की है लेकिन सिर्फ 70 फीसद जगह से ही हमें जवाब मिला है। बचे 30 फीसद प्रमाणपत्रों की जांच फॉरेंसिक विशेषज्ञों से कराई जाएगी।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

ई-नीलामी बिक्री सूचना
(सरफेसी एक्ट 2002 के अधीन)

परिसम्पत्ति वसूली शाखा, सोराबजी भवन, 4/54, डी.बी. गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

26.7.2019 को अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के अंतर्गत अचल संपत्ति/संपत्तियों की बिक्री

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत क्रेडीटर)के पास गिरवी रखी गई/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत क्रेडीटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक कब्जा किया गया है, की **''जैसा है जहां है, ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वंहा है''** आधार पर'' बिक्री की जायेगी। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह बिक्री दिनांक 26.7.2019 को वेबसाइटः https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध कराए गए ई-ऑक्शन प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी।

अचल संपत्तियों का विवरण

क्र. सं.	शाखा का नाम	प्राधिकृत अधिकारी का नाम तथा फोन नं.	खाता का नाम	प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का विवरण	मांग सूचना तिथि तथा बकाया राशि (रु.)	कब्जा की तिथि	रु. लाखों में आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि भुगतान	बोली वृद्धि
1.	फरीदाबाद	टी.सी. आहूजा मोबा.: 9999791405	मै. गुलशन डेन्टिग एंड पैटिंग	श्री जैनुद्दीन, पुत्र श्री शाहबुद्दीन के नाम में खसरा नं.: 31/15, 16, प्लॉट नं. 7, आवासीय मकान सं. 5535, गली नं. 23, मौजा गौछी, संजय कॉलोनी-1, सेक्टर-23, पंजाब रॉलिंग मिल्स के सामने, फरीदाबाद, प्लॉट की माप 105.5 वर्ग यार्ड्स।	30.11.2018 को रु. 19,81,024/- + उसके बाद ब्याज तथा अन्य चार्जेज	5.2.2019 (रचनात्मक)	रु. 29.00 लाख	रु. 2.90 लाख	रु. 0.20 लाख
2.	ओखला, नई दिल्ली	अजय दुआ मोबाइलः 9999972401	मै. कृष्णा बुटिक	श्रीमती मीनाक्षी सुडन, पत्नी श्री राजेश सुडन एवं श्री राजेश सूडन, पुत्र श्री ओम प्रकाश सुडन के नाम में ग्राम बिन्दापुर, जीवन पार्क के नाम से विदित कॉलोनी, उत्तम नगर के निकट, नई दिल्ली के क्षेत्र में कुल प्लॉट एरिया 200 वर्ग यार्ड्स लगभग में 100 वर्ग यार्ड्स लगभग के प्लॉट पर निर्मित माप 900 वर्ग फीट लगभग में स्थित संपत्ति सं. ए-51, प्लॉट नं. 51 के नाम से विदित, ब्लॉक-ए, खसरा नं. 234 के भाग में भू तल के भाग एवं स्टिल्ट के भाग के साथ 3 मंजिला भवन (कुल 4 मंजिल) पप निर्मित 2रा तल का आवासीय फ्लैट (बिना छत के अधिकार के), उत्तरी साइड का पोर्शन।)	4.9.2018 को रु. 3480942/- + उसके बाद ब्याज एवं अन्य चार्जेज	29.4.2019 (भौतिक)	रु. 30.30 लाख	रु. 3.03 लाख	रु. 0.20 लाख
3.	सेक्टर-15, फरीदाबाद	श्री दलीप शर्मा, मोबा.: 8860005963	मै. लावण्य एग्रो एडिवल प्रा. लि.	श्रीमती रूबी चौधरी, पत्नी श्री अमित कुमार के स्वामित्व में बी-45, ब्लॉक बी, जीडीए कॉम्प्लैक्स, गोविन्दपुरम, हापुर रोड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में आवासीय प्लॉट, माप 385.16 वर्ग यार्ड्स।	30.8.2018 को रु. 4,94,48,979/- + उसके बाद ब्याज एवं अन्य चार्जेज	15.11.2018 (भौतिक)	रु. 150.00 लाख	रु. 15.00 लाख	रु. 1.00 लाख

नियम एवं शर्तें (1) ई-नीलामी ''जैसा है जहां है'' तथा ''जैसा है जो है आधार'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर की जा रही है। (2) प्रतिभूत परिसम्पत्ति सुरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेची जाएगी। (3) नीलामी बिक्री ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी। (4) ई-नीलामी पोर्टल https://www.bankeauctions.com के माध्यम से 26.7.2019 को पूर्वा. 11:00 बजे से अप. 1:00 बजे तक, 5 मिनट प्रत्येक के असीमित स्वतः विस्तार सहित, आयोजित की जाएगी। (5) इच्छुक बोलीदाता वेब पोर्टल https://www.bankeauctions.com के माध्यम से (यूजर आईडी एवं पासवर्ड https://www.bankeauctions.com पर नाम का पंजीयन कराते हुए निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं) लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड इस्तेमाल करते हुए धरोहर राशि जमा कराने के प्रमाण के साथ अपनी बोली जमा करा सकते हैं। धरोहर राशि एनईएफटी/ आरटीजीएस के माध्यम से खातेः सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सोराबजी भवन, 4/54, डी.बी. गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005, खाता नं. 3062155258 (आईएफएससी कोडः CBIN0280318) में 25.7.2019 को अप. 05.00 बजे से पूर्व (तिथि एवं समय) जमा करानी होगी। कृपया नोट करें कि चेक/ डिमांड ड्राफ्ट के रूप में धरोहर राशि स्वीकार्य नहीं होगी। सम्पर्कः श्री विनोद कुमार- 9813887931 (सपोर्ट ई-मेल आईडीः support@bankeauctions.com) तथा सम्पत्ति संबंधी किसी भी पूछताछ के लिए संबंधित शाखा/प्राधिकृत अधिकारी से उनके नाम के समक्ष वर्णित टेलीफोन नं. अथवा श्री दिनेश कश्यप, मोबा.: 9773776356 से संपर्क करें।

नियमों एवं शर्तों के विवरणों के लिए कृपया देखें: **https://www.bankeauctions.com अथवा www.centralbankofindia.co.in.**

सरफेसी एक्ट, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत वैधानिक 30 दिन का बिक्री सूचना

एतद्द्वारा कर्जदार/गारंटरों को अधिसूचित किया जाता है कि वे ई-नीलामी की तिथि से पूर्व उपरोक्त राशि, उस दिन तक के ब्याज तथा आनुषंगिक खर्चों सहित चुका दें, अन्यथा सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी तथा शेष बकाया राशि, यदि कोई हुई, ब्याज एवं लागत सहित वसूल की जाएगी।

दिनांकः 21.6.2019
स्थानः नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी,
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एआरबी, करोल बाग, नई दिल्ली

माँग सूचना

जैसे कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (जिसको किआगे आर्सिल कहा जाएगा) जो कि एक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी है, का गठन कंपनी अधिनियम १९५६ कि अंतर्गत किया गया है, आर्सिल कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक कि द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम २००२ (जिसको कि आगे अधिनियम कहा जाएगा) कि धारा३ के अंतर्गत पंजीकृत कि गई है एवं जैसे कि ऋणी/बंधकर्ताओं/जमानतदारों/सह-आवेदकों एवं सलाहकारों जैसे कि कॉलम क्रमांक ३ में दर्शाया गया है ने मेग्मा फिन कॉर्प लिमिटेड/मेग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से ऋण प्राप्त किया था तथा यतः आर्सिल द्वारा कॉलम क्रमांक २ में वर्णित ऋण खातोंसे सबंधित वित्तीय आस्तियों का अधिकरण किया गया था जैसे कि अधिनियम अनुसार आर्सिल कि द्वारा सुरक्षित लेनदार की रूप में अधिनियम की धारा १३(२) की सपठीत सुरक्षित हित नियम २००२ की नियम ३ के अंतर्गत कॉलम क्रमांक ३ में वर्णित ऋणी/सह ऋणी/जमानतदारों को जारी किए मांग सूचना पत्र द्वारा आगामी ब्याज सहित ६० दिवस के अंदर मांग सूचना पत्र में वर्णित राशि का भुगतान करने की निर्देश दिये गए थे लेकिन उनमे से कुछ मांग सूचना पत्र किन्ही कारणो से उन पर तालीम नहीं हो सके थे।

ऋण खाता सं.	ऋणी/ सह - ऋणी/ जमानतदारों का नाम	१३ (२) सूचना की दिनांक कुल बकाया राशि
HL0031/GDGL00004677	श्री. गुरिंदर धवन / श्रीमती . सिम्मी धवन	14,60,096.27 31-May-19
बंधक संपत्ति का विवरण : फ्लैट न. ए-९६, २री मंजिल और ३ री मंजिल, पॉकेट - ए, माउंट कैलाश , एसएफ़एस श्रेणी-३, ईस्ट ऑफ़ कैलाश, नई दिल्ली - ६५.		
HL0031/HDLH00002928	श्री. पुरषोत्तमदास चौहान / श्रीमती. कमलेश चौहान	20,35,987.48 31-May-19
बंधक संपत्ति का विवरण : १ ली, २री व ३ री मंजिल, छत के अधिकारों के साथ , बेअरिंग म्युनिसिपल न. ३९९४, गली बरना, नई दिल्ली।		
HL0031/HDLH00006317	श्री तरुण कुमार जैन / मे. तरुण जैन ऑटो पार्ट्स/श्रीमती. मिनाक्षी जैन/ मे. मिनाक्षी गारमेंट्स /श्रीमती. राज रानी जैन	55,56,886.09 12-June-19
बंधक संपत्ति का विवरण : निर्मित संपत्ति नं. ए.-२९, माप क्षेत्रफल २०० वर्ग गज, छत के अधिकारों के साथ, खसरा नं. ३८ , आबादी गली नं.४ पर स्थित है.कैथवाड़ा, गांव घोंडा, चौहान खादर, इलाक़ा शाहदरा, दिल्ली - ३२		
HL0031/HDLH00006685	श्री कुलदीप सिंह / श्रीमती. गुरविंदर कौर	32,55,580.19 11-June-19
बंधक संपत्ति का विवरण : घर नं. ८, कृष्णा नगर, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली		
HL0031/HDLH00007774	श्री.सुंकेर कुमार ओबेराय/श्रीमती.ज्योति ओबेराय	18,01,511.44 31-May-19
बंधक संपत्ति का विवरण : संपूर्ण तल मंजिल, ११० वर्ग गज के प्लाट बनाया गया उसमे से संपत्ति नं. १७७, उसके साथ लागहुआ संपत्ति नं. १७७/ए, खसरा नं. २६१ , जीवन नगर, मौजा- किलोकरि, नई दिल्ली - ११००१४.		
HL0031/HFDF00000282	स्व. संजय कुमार (कानूनी वारिस श्रीमती. मंजू शर्मा) / श्रीमती. मंजू शर्मा / स्व श्रीमती. कलावती (क़ानूनी वारिस)	30,15,521.57 31-May-19
बंधक संपत्ति का विवरण : निर्मित संपत्ति नं. ३९८, क्षेत्र का माप - ११६ वर्ग गज , खसरा नं. ८१६/४६७, गाँव - सिक़नदरपुर , क्षेत्र दुर्गापुरी, शाहदरा, दिल्ली - ११००९३		
HL0094/HFGC00000176	श्री. गजेंद्र सिंह / श्री. देवेंद्र सिंह/ श्रीमती. राजरानी सिंह / स्व सौदान सिंह क़ानूनी वारिस श्री गजेंद्र सिंह का लड़का / स्व. श्री. सौदान सिंह क़ानूनी वारिस श्री देवेंद्र सिंह का लड़का / स्व. श्री. सौदान सिंह क़ानूनी वारिस श्रीमती. राजरानी सिंह (पत्नी)	53,21,763.17 31-May-19
बंधक संपत्ति का विवरण : घर नं. ६६६, एम् आईजी सेक्टर ७, (६६६/७), आवास विकास कॉलोनी, सिकंदरा आगरा, उत्तर प्रदेश.		
HL0031/HDLH00005558	श्री. शिव सिंह रावत/ श्रीमती. प्रोमिला रावत	33,55,781.15 12-June-19
बंधक संपत्ति का विवरण : भूमि के एक हिस्सा पर भवन निर्माण योजना का हिस्सा जो २०० वर्ग गज पर है. खसरा नं. १६ संपत्ति नं.८०३/१६-ए, विद्युत शक्ति से सुसज्जित व सभी चालु हालत में पानी का कनेक्शन. इलाका शारदा, विजय पार्क गली नं.१६-ए के आबाडी में गांव मौजपुर में स्थित है. दिल्ली - ११००५३ और सीमा : पूर्व - ८ फ़ीट चौड़ी गली, पश्चिम : १५ फ़ीट चौड़ा रास्ता, उत्तर : श्री. जगबीर सिंह राणा की संपत्ति, दक्षिण : अन्य की संपत्ति		

अतः कॉलम क्रमांक. ३, में वर्णित ऋणी / बंधकर्ताओं / जमानतदारों / सह - आवेदकों एवं सलाहकारों को सूचना पत्र जारी किया जाता है की कॉलम क्रमांक.४ में वर्णित ऋणी / बंधकर्ताओं / जमानतदारों / सह - आवेदकों एवं सलाहकारों को कुल राशि का भुगतान इस सूचना पत्र के प्रकाशन के ६० दिवस के अंदर करने को कहा जाता है, जैसा की कॉलम न. ४, में वर्णित दर्शाई गई दिनांक के अनुसार ऋण खातों के सम्बंध में देय पाई जाती है. यह स्पष्ट किया जाता है की यदि कुल राशि मय ब्याज एवं अन्य शुल्क जो की भुगतान की जानेवाली तिथि तक अदा किए जाने हैं, का भुगतान नहीं किया जाता हैं तो आर्सिल द्वारा उपरोक्त वर्णित परसंपत्तियों पर सुरक्षित हित प्रवर्तन नियम के अनुसार उचित एवं आवश्यक कारवाई की जाएगी व ली गई सभी सुविधाए रोक ली जाएगी तथा अधिनियम में निर्देशित किये गये नियमों के तहत भी उचित कदम उठाए जाएंगे

हस्ताक्षर
स्थल : नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक :२१/०६/२०१९
अॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लि.

अॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लि.
पंजीकृत कार्यालय : द रूबी, १० वी मंजिल, २९ सेनापति बापट मार्ग, दादर (प), मुंबई - ४०० ०२८.फोन : +९१-२२६६५८१३००. वेबसाईट : www.arcil.co.in;
CIN No.: U65999MH2002PLC134884.
शाखा पत्ता २री मंजिल, सेठी चैम्बर्स, प्लाट -२, डीडीए शॉपिंग काम्प्लेक्स, मोर लैंड, नई राजिंदर नगर, नई दिल्ली - ११ ००६०
Arcil Premier ARC

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	38.8 डि.से.	38.8 डि.से.	39.0 डि.से.	39.0 डि.से.
न्यूनतम	25.4 डि.से.	25.4 डि.से.	23.6 डि.से.	25.1 डि.से.

सीएजी के निशाने पर ग्रुप हाउसिंग भूखंड आबंटन नीति

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 20 जून।

2005 से 2015 के बीच प्राधिकरण की ग्रुप हाउसिंग नीति पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने सवालिया निशान लगाया है। सीएजी ने 20 बिल्डर परियोजनाओं पर आपत्ति लगाई है। इन आपत्तियों का जवाब एक महीने के भीतर नोएडा को देना है। इन परियोजनाओं में पांच बड़ी बिल्डर परियोजनाएं भी शामिल हैं। साथ ही स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर हुए आबंटन पर भी सीएजी ने जवाब तलब किया है। स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर आवासीय निर्माण किया जा रहा है

2005 से नोएडा की प्रॉपर्टी में तेजी आनी शुरू हुई थी। निवेश के लिहाज से नित नई ऊंचाइयां छूने की वजह से यहां की जमीन का भाव और मांग बहुत तेज हो गई थी। करीब 10 साल तक रहे तेजी के इस दौर में प्राधिकरण ने ग्रुप हाउसिंग की कई योजनाएं निकालीं, जिसमें बिल्डरों को विशेष छूट देने के लिए नियमों में बदलाव किया गया। नियम में बदलाव की वजह से बिल्डरों को इसका फायदा मिला, जबकि प्राधिकरण का बकाया भुगतान नहीं मिल सका है। बिल्डरों पर बकाया हजारों करोड़ रुपए की वजह नियमों में बदलाव को माना जा रहा है। बिल्डरों को छूट देने और नियमों में बदलाव करने पर सीएजी ने आपत्ति लगाई है। जिसका जवाब संबंधित विभागाध्यक्षों को दो से चार सप्ताह के भीतर देना है। अधिकतम एक महीने के भीतर हर हाल में आपत्तियों का जवाब दाखिल होना है। सीएजी ने 20 परियोजनाओं में प्रत्येक पर पांच से

2005 से 2015 तक आबंटित 20 ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं पर लगाई आपत्ति

कुल कीमत का 30 के बजाए 10 फीसद रकम देने पर आबंटन करने की नीति पर सवाल

छह पन्नों की आपत्तियां लगाई हैं।

जानकारी के अनुसार 2005 तक निकाली गई ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में आबंटी को कुल भूखंड लागत का 30 फीसद रकम देनी होती थी, जबकि 2007 में बदलाव कर महज 10 फीसद रकम पर आबंटन का नियम कर दिया गया। जिसका फायदा बिल्डरों को मिला। सूत्रों के मुताबिक, मौजूदा खरीदारों को कब्जा नहीं मिल पाना और प्राधिकरण का हजारों करोड़ रुपए बकाया का मुख्य कारण 10 फीसद रकम देकर भूखंड आबंटित कराना रहा है। मसलन किसी ग्रुप हाउसिंग भूखंड की कीमत अगर 60 करोड़ रुपए थी, तो पैसे वाले कुछ लोगों ने एक साझीदार कंपनी बनाकर 10 फीसद, यानी छह करोड़ रुपए देकर उसे आबंटित करा लिया।

पानी और कचरा प्रबंधन पर शिकायतों का आंकड़ा बढ़ा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 जून।

दिल्ली में पानी और कचरा प्रबंधन को लेकर परेशानी बढ़ती जा रही है। बीते तीन साल में इसे लेकर की गई शिकायतों का आंकड़ा काफी बढ़ा है। मसलन दिल्ली जल बोर्ड के पास 2015 में 34,554 शिकायतें पहुंची थीं जो 2018 में बढ़कर 86,637 हो गई। शिकायतों में 150 फीसद से ज्यादा का इजाफा हुआ है। यही स्थिति कचरा प्रबंधन की शिकायतों को लेकर रही। इसी दौरान कचरा प्रबंधन की शिकायतों में तीन गुणा तक का इजाफा हुआ। यह खुलासा प्रजा फाउंडेशन ने गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में किया।

रिपोर्ट में प्रजा फाउंडेशन ने सदन में नागरिक मुद्दा नहीं उठाने वाले कुछ जनप्रतिनिधियों के नाम का भी खुलासा किया है। प्रजा फाउंडेशन के निदेशक मिलिंद म्हस्के के मुताबिक, जनवरी से दिसंबर 2018 के दौरान आठ पार्षदों ने एक भी नागरिक मुद्दा नहीं उठाया। इनमें मुकेश कुमार गोयल, परवीन, चंदेर प्रकाश, नीतू, शाहीन, पूनम सोलंकी, रमेश व सुरेश चौधरी ने एक भी नागरिक मुद्दा नहीं उठाया।

सात दिन पहले दफनाए गए शव का कटा मिला सिर

फरीदाबाद, 20 जून (जनसत्ता)।

बल्लभगढ़ पुलिस थाना इलाके में सेक्टर-65 बाइपास रोड से सटे कब्रिस्तान में चौंका देने वाली वारदात सामने आई है। कब्रिस्तान में सात दिन पहले दफनाए गए बुजुर्ग की लाश के धड़ से सिर कटा हुआ मिला। वारदात की सूचना मिलने के बाद एसडीएम त्रिलोक चंद एसीपी भगत राम मौके पर पहुंचे। पुलिस की फॉरेंसिक टीम और स्वान दस्ता भी घटनास्थल पर पहुंचे।

पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक, सात दिन पहले बुजुर्ग बाबू खान की दिल्ली सफदरजंग अस्पताल में बीमारी के चलते मौत हो गई थी। उसके बाद रिश्तेदारों ने सेक्टर-65 के कब्रिस्तान में उन्हें दफना दिया गया था। बीते बुधवार की रात को कब्र से उनका सिर काट लिया गया है। इस घटना के बाद इलाके के मुसलिम समुदाय में भारी नाराजगी और आक्रोश है। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी तक मुसलिम समुदाय के लोगों का शक किसी तांत्रिक पर जा रहा है।

प्रत्यक्षदर्शी की मानें तो वह अपने किसी मृत परिजन की कब्र पर सुबह पहुंचा हुआ

सेक्टर-65 के कब्रिस्तान में दफनाया गया था बुजुर्ग

लोगों का शक तांत्रिक पर, इससे पहले भी इस तरह की दो घटनाएं हो चुकी हैं

था। तभी उसे साथ वाली कब्र से मिट्टी हटी हुई नजर आई। उन्होंने देखा कि कब्र में से कपड़ा भी निकला हुआ है जिस पर खून लगा हुआ है। यह सब देखकर उसने तुरंत परिजनों को सूचना दी।

मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों का आरोप है कि कब्रिस्तान की चारदीवारी है और एक मजबूत दरवाजा भी लगा हुआ है। उसके बाद भी बीती रात को किसी ने कब्र खोदकर उनके परिजन का सिर धड़ से काट दिया और साथ में लेकर चला गया। इससे पहले भी इस कब्रिस्तान में इस तरह की दो घटनाएं हो चुकी हैं अभी तक लोगों का शक सिर्फ तांत्रिक पर ही जा रहा है, क्योंकि कब्रिस्तान में मुर्गे के पंख भी मिले हैं।

खबरों में शहर

बिजली मिस्त्री की गोली मारकर हत्या

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 20 जून।

सेक्टर-132 स्थित एक आइटी कंपनी के सामने गुरुवार सुबह दिन-दहाड़े साइकिल सवार बिजली मिस्त्री की मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के परिजनों ने पत्नी समेत कुछ करीबियों पर हत्या का शक जताया है। शख्स के भाई की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला थाना एक्सप्रेस-वे पुलिस ने दर्ज किया है। एक्सप्रेस-वे प्रभारी एसएचओ भुवनेश गौतम के मुताबिक, मूलरूप से फैजाबाद निवासी पंकज मिश्रा (30) परिवार के साथ भंगेल में किराए के मकान में रहते थे। वह जेपी कास्मॉस में बतौर बिजली मिस्त्री काम करते थे। गुरुवार सुबह पंकज साइकिल से काम पर जा रहे थे। तभी दो बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया गया।

टीबी रोग खोज अभियान, जिले में मिले 41 मरीज

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 20 जून।

10 दिन पहले शुरू हुए सघन टीबी रोगी खोज अभियान का समापन हो गया। अभियान में जिले से 41 लोग मिले, जिन्हें टीबी की बीमारी थी। जिला क्षय रोग अधिकारी (डीटीओ) डॉ शिरीश जैन ने बताया कि सघन टीबी रोगी खोज अभियान में 1.79 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई। इनमें 909 लोग संभावित पाए गए। इन लोगों की बलगम की जांच कराई गई, जिसमें 41 लोगों में टीबी की बीमारी पाई गई। उन्होंने बताया कि तत्काल प्रभाव से 36 मरीजों का इलाज शुरू कर दिया गया है। आगे की और जांच कराई जा रही है। बाकी पांच लोगों का भी जल्द ही इलाज शुरू कर दिया जाएगा।

तीन तस्कर गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 20 जून।

थाना बादलपुर पुलिस ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के कब्जे से 745 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी कीमत करीब 80 लाख बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में एक एलएलबी का छात्र है। गिरोह का सरगना बिहार के मुंगेर में बैठकर तस्करों को निर्देश देता है। पुलिस इस गिरोह से जुड़े अन्य तस्करों के बारे में पता लगा रही है। एसपी देहात विनीत जायसवाल के मुताबिक, पुलिस को मुखबिर से नशीले पदार्थ तस्करों के बादलपुर थाना क्षेत्र में आने की सूचना मिली थी।

पति ने चाकूमार किया घायल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 जून।

बिंदापुर थाना क्षेत्र में एक शख्स ने अपनी पत्नी को पहले सीढ़ियों से धक्का दिया। उसके बाद उस पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस घायल डिंपल (28) को पहले डीडीयू अस्पताल में लेकर गई। पर हालत गंभीर होने की वजह से उसे सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति गिरीश के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश कर रही है।

मिली जानकारी के मुताबिक, डिंपल ईस्ट उत्तम नगर, बिंदापुर में परिवार के साथ रहती है। वह एमके सोसायटी द्वारका में साफ-सफाई का काम कर अपने परिवार का भरणपोषण करती है। डिंपल ने बयान में पुलिस को बताया कि पति गिरीश कोई काम नहीं करता है। काम से घर आने में थोड़ी सी देर होने पर मार पिटाई करता रहता है। बीते 16 मई को भी काम पर से आने में थोड़ी देर हो गई तो गिरीश ने घर में घुसने नही दिया। उसने अपने माता-पिता को फोन कर यह बात बताई तो वे उसे अपने साथ ले गए।

पत्नी को ब्लैकमेल कर रहा था दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल

निर्भय कुमार पांडेय
नई दिल्ली, 20 जून।

संगम विहार थाना क्षेत्र में एक पति अपनी पत्नी को फेसबुक पर किसी अन्य शख्स के नाम पर फर्जी आइडी बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था। पति-पत्नी के बीच पिछले दो साल से विवाद चल रहा था। इस कारण वे दोनों अलग-अलग रह रहे थे। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर कई दिनों से एक शख्स का मैसेज आ रहा था, जो धमकी दे रहा था कि यदि उसे एक लाख रुपए नहीं मिले तो वह उसके अपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया और परिजनों के बीच सार्वजनिक कर देगा। महिला ने डर से कहा कि उसके पास इतने रुपए नहीं हैं, केवल 50 हजार रुपए हैं। आरोपी ने रुपए लेकर उसे लाजपत नगर आने को कहा, जहां पर एक अन्य शख्स अंशुल की मदद से रुपए लिए, लेकिन जाल बिछाकर खड़ी पुलिस ने आरोपी अंशुल और महिला के पति नवीन कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। नवीन कुमार शर्मा दिल्ली

संगम विहार थाना पुलिस ने आरोपी हेड कांस्टेबल को किया गिरफ्तार

विवाद के बाद दो सालों से अलग-अलग रह रहे थे पति-पत्नी

पुलिस में हेड कांस्टेबल है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

आरोपी नवीन कुमार अपनी पत्नी को अलग-अलग फेसबुक आईडी से मैसेज भेज कर परेशान कर रहा था। बीती 19 जून को भी आरोपी ने सुबह कई मैसेज किए और फोटो सोशल नेटवर्किंग साइट समेत परिजनों को भेजने की धमकी दी। इसी बीच पीड़िता ने इसकी लिखित शिकायत संगम विहार थाना में की। बुधवार सुबह फिर से आरोपी ने मैसेज भेजा। पीड़िता ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इसी बीच आरोपी ने महिला से कहा कि एक लाख रुपए नहीं देगी तो वह तुरंत उसके फोटो वायरल कर देगा। महिला ने कहा कि बैंक बंद हैं और उसके पास केवल 50 हजार रुपए ही हैं। आरोपी तैयार हो गया, लेकिन उसने कहा कि पैसे का फोटो खींच कर भेजो। महिला ने फोटो खींच कर भेजा उसके बाद आरोपी ने रुपए लेकर लाजपत नगर में रिंग रोड पर आने को कहा।

इसी बीच महिला के साथ पुलिसकर्मी भी साथ में चल दिए। आरोपी ने रुपए लेकर सड़क के दूसरी ओर आने को कहा। महिला रुपए लेकर चल रही थी कि आरोपी ने मैसेज भेज कर कहा कि रुपए एक लड़के को दे दे। महिला ने जैसे ही रुपए दिए, सादे कपड़ों में तैनात पुलिसकर्मियों ने उसे दबोच लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अंशुल बताया। उसके बाद उसने कहा कि वह नवीन कुमार शर्मा के कहने पर रुपए लेने के लिए आया था, जिसके बाद पुलिस ने नवीन कुमार शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

शख्स ने दंपति पर किया हमला, पत्नी की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 जून।

निजामुद्दीन थाना क्षेत्र के जेजे कॉलोनी में एक महिला की हत्या कर दी गई। साथ ही उसके पति पर आरोपी ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया है। वारदात की सूचना बुधवार देर रात करीब दो बजे पुलिस को मिली थी। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम दोनों घायलों को एम्स ट्रामा सेंटर लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने 25 साल की महिला सीता को मृत घोषित कर दिया। वहीं, 26 साल के मंगल को एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि इस वारदात को मंगल के एक रिश्तेदार रतिराम ने अंजाम दिया है, जिसे फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ में पता चला है कि रतिराम को शक था कि मंगल और उसकी पत्नी की वजह से उसकी नौकरी छूट गई है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है। जिला पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मंगल अपने परिवार के साथ पीडब्लूडी के पास जेजे कॉलोनी में रहता है।

एक बीयर की बोतल के लिए कर दी थी हत्या, विदेशी महिला गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 जून।

महरौली थाना क्षेत्र के छतरपुर में की गई विदेशी महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। हत्या के मामले में पुलिस ने उसी मकान के दूसरे फ्लैट में रहने वाली तनजानिया निवासी एक महिला जैशमीन इश्क (24) को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला ने बीते 17 जून को केन्या निवासी अन्न शैम की चाकू से वारकर हत्या कर दी थी। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी महिला से अन्न शैम की एक बीयर की बोतल को लेकर लड़ाई हुई थी, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि जैशमीन भारत पर्यटन वीजा पर आई थी। उसके वीजा की अवधि समाप्त हो चुकी है। साथ ही मांगने पर वह पासपोर्ट भी नहीं दे सकी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी जैशमीन को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

दक्षिणी जिला पुलिस उपायुक्त विजय कुमार ने गुरुवार को बताया कि बीते 17 जून को

आरोपी महिला।

छतरपुर से सूचना मिली कि नंदा अस्पताल के पास बहुमंजिला एक फ्लैट में एक विदेशी महिला का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलने पर महरौली थाना पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने पाया कि एक फ्लैट में महिला का शव फर्श पर पड़ा हुआ है। उसके गले पर चाकू नुमा किसी हथियार से वार किया गया है। पुलिस ने खून से लथपथ हालत में महिला को अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

दो लोग 30 हथियारों के साथ पकड़े गए

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 जून।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हथियारों की तस्करी करने वाले दो तस्करों को 30 पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों की पहचान पवन सिंह और चंदर सिंह उर्फ चंदन सिंह उर्फ सतनाम सिंह के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी पवन ने बताया कि वह 10 साल से हथियार बनाकर दिल्ली-एनसीआर में आपूर्ति कर रहा था। वह लोहे के कबाड़, साइकिल के फ्रेम और बड़ी गाड़ियों के टायर से निकलने वाले तार से स्प्रिंग बनाकर अवैध पिस्तौल तैयार करता था। यह सारा सामान उसको आसानी से मिल जाता है। बाद में खराब मशीन की मदद से कबाड़ को अपने हिसाब से तैयार कर उसे पिस्तौल बनाता था।

तस्कर ने बताया कि एक पिस्तौल बनाने में सात हजार रुपए का खर्चा आता है और वह 25 से 30 हजार में आसानी से बेच दी जाती है।

एक फ्लैट और सब्जी मंडी में देर रात लगी भीषण आग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 जून।

पीतमपुरा और आजादपुर सब्जी मंडी के पास दो स्थानों पर बुधवार रात भीषण आग लग गई। पीतमपुरा में टावर हाइट अपार्टमेंट के पांचवी मंजिल पर आग लगी थी। वहीं, आजादपुर सब्जी मंडी के पास एक दुकानों में भीषण आग लगी थी। सूचना मिलने पर दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया और वहां मौजूद लोगों को सकुशल बाहर निकाला। पीतमपुरा में 100 लोग आग में फंस गए थे, जिन सभी को दमकलकर्मियों ने सुरक्षित निकाला। इस दौरान एक कुत्ते के बच्चे को भी बचाया गया।

दिल्ली दमकल विभाग के मुख्य अधिकारी अतुल गर्ग के मुताबिक, दमकल विभाग को कंट्रोल रूम में देर रात करीब 1:10 बजे पीतमपुरा स्थित टावर हाईट अपार्टमेंट के क्यू-डी ब्लॉक में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम रवाना हो गई। क्यू-डी ब्लॉक पहुंचने के बाद टीम ने देखा कि अपार्टमेंट की पांचवीं मंजिल के एक कमरे में आ लगी है और धुंआ धीरे-धीरे सीढ़ियों के द्वारा ऊपर की ओर कई मंजिलों में भरता जा रहा था। पांचवीं मंजिल से ऊपर अन्य मंजिलों पर भी लोग रहते हैं। ऊपरी मंजिल पर धुआं भरते ही चीख-पुकार मच गई। दमकल विभाग बचाव कार्य में जुट गया। इसी बीच दमकल विभाग के अधिकारियों को बताया गया कि पांचवीं मंजिल पर एक कुत्ता जंजीर से बंधा हुआ है। दमकल विभाग ने बिना वक्त गंवाए पांचवीं मंजिल पर बंधे कुत्ते के बच्चे को भी बचाया और बाद में उसके मालिक को उसे सौंप दिया।

आजादपुर सब्जी मंडी के शेड नंबर आठ में बुधवार रात आग लग गई थी। वहां पर बड़ी मात्रा में फल की पेटियां रखी हुई थीं। आग की चपेट में आने से फल जल कर राख हो गए। आग लगने की वजह से मौके पर अफरातफरी फैल गई। सूचना मिलने पर आठ दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

आज के कार्यक्रम

सभा/संगोष्ठी

आयुष मंत्रालय और एनडीएमसी : योग दिवस पर कार्यक्रम, राजपथ, सुबह साढ़े पांच बजे से।

वसुधैव कुटुंबकम : 'हमारा समय : युगधर्म और स्वधर्म' विषय पर व्याख्यान, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (एनेक्स), व्याख्यान कक्ष -1, मैक्समूलर मार्ग, शाम छह बजे।

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : भारत इरान संबंधों पर चर्चा, सभागार-1, 40 मैक्समूलर मार्ग, शाम साढ़े छह बजे।

विविध

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : संगीत, सीडी देशमुख सभागार, 40 मैक्समूलर मार्ग, शाम छह बजे।

इंडिया हैबीटेट सेंटर : फिल्म , हैबीटेट वर्ल्ड, लोदी रोड, शाम सात बजे।

स्वास्थ्य पर असर — विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र (सीएसई) की ताजा रिपोर्ट में हुआ खुलासा

दिल्ली में ओजोन का स्तर कई गुणा बढ़ा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 जून।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस बार गर्मी में जहां पारा 48 डिग्री पहुंच गया। दूसरी ओर, प्रदूषण, गर्मी और लू के गठजोड़ से खतरनाक गैस ओजोन का स्तर भी कई गुणा बढ़ गया है। इससे मानव स्वास्थ्य पर गंभीर असर का खतरा है। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र (सीएसई) की ताजा रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कई इलाकों में गर्मी में 53 फीसद से लेकर 92 फीसद दिनों में ओजोन का स्तर काफी अधिक बढ़ा हुआ पाया गया। उधर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की ओर से जारी होने वाले दैनिक वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) के मुताबिक पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) के साथ ओजोन एक प्रमुख प्रदूषक के रूप में उभर रहा है। सीएसई ने एक अप्रैल से 15 जून के बीच राजधानी के बढ़ते

फाइल फोटो

तापमान के स्तर और प्रदूषण के आंकड़ों का विश्लेषण किया। इससे पता चलता है कि जब राजधानी में तापमान का स्तर बढ़कर सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा था। उसी दौरान दिल्ली में ओजोन का स्तर तय मानक से काफी अधिक रहा। रिपोर्ट में बताया गया है कि जहां पिछले साल की गर्मी में 17 दिन ओजोन का स्तर बढ़ा हुआ था जबकि इस साल गर्मी के कुल दिनों में से 28 दिन ओजोन का स्तर तय मानक से कई गुणा ज्यादा पाया गया। आठ घंटे के लिए ओजोन के संपर्क में आने

रिपोर्ट में कहा गया है कि कई इलाकों में गर्मी में 53 फीसद से लेकर 92 फीसद दिनों में ओजोन का स्तर काफी अधिक बढ़ा हुआ पाया गया

का अधिकतम औसत मानक 100 माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर है।

सीएसई की वायु गुणवत्ता पर काम करने वाली और कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉयचौधरी ने कहा कि ओजोन एक घातक गैस है। यह सीधे किसी भी स्रोत से उत्सर्जित नहीं होता है बल्कि यह सूर्य की रोशनी और उच्च तापमान के प्रभाव में हवा में मौजूद गैसों के बीच रासायनिक क्रिया से पैदा होती है। यह घातक है। यहां तक कि थोड़े समय के लिए भी इसके संपर्क में आने पर सांस की बीमारी बढ़ा सकती है व अस्थमा पीड़ितों की हालत खराब हो सकती है। इसकी वजह से आपात हालात बन सकते हैं। इसकी वजह से प्रभावित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ सकती है।

रॉयचौधरी ने कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि सिरिफोर्ट इलाके में, नजफगढ़, आरके पुरम, जेएलएन स्टेडियम, द्वारका सेक्टर-8 और रोहिणी में ओजोन का स्तर बढ़ा हुआ है। अध्ययन में बताया गया है कि ओजोन का स्तर फरीदाबाद और गाजियाबाद में भी ज्यादा था। फरीदाबाद के 80 फीसद दिनों में और गाजियाबाद में 67 फीसद दिनों में ओजोन बढ़ा हुआ पाया गया। वहीं आइजीआइ हवाई अड्डा, मंदिर मार्ग, करणी सिंह शूटिंग रेंज, लोधी रोड, पूसा रोड, पटपड़गंज, उत्तर परिसर, आइटीओ और आनंद विहार में ओजोन का स्तर कम था। इस अध्ययन की रिपोर्ट में औद्योगिक इकाइयों और गाड़ियों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने की जरूरत बताई गई है।

योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम स्थलों की ओर जाने से करें परहेज

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 जून।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने दिशा-निर्देश जारी किया है। यातायात पुलिस की ओर से कहा गया है कि इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों के लाल किला के पास 15 अगस्त पार्क में पहुंचने की संभावना है। एक अनुमान है कि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से 30 हजार से अधिक लोग पहुंचे सकते हैं। साथ ही 200 बस और 20 कारों के आने की संभावना है। इसके मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली यातायात पुलिस की ओर से कहा गया है कि बसों की पार्किंग लाल किले के पास रिंग रोड के बराबर में सर्विस रोड पर होगी। साथ ही अन्य वाहनों से आने वाले लोग अपने वाहनों को सुनहरी मस्जिद, परेड ग्राउंड और त्रिकोणा पार्क में पार्क कर सकते हैं। जो लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे वे सुबह पांच बजे से साढ़े नौ बजे तक इस इलाके में आने से बचें।

आतंक का पोषण बंद करे पाक, तभी बातचीत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 जून।

●वार्ता के लिए तैयार होने के पाकिस्तान के दावे को भारतीय विदेश मंत्रालय ने खारिज किया प्रवक्ता, रवीश कुमार

●विदेश मंत्रालय ने कहा : जब तक हम आश्वस्त नहीं होते कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ गंभीर कार्रवाई कर रहा है, तब तक कोई बातचीत नहीं

विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को पाकिस्तान के इस दावे को खारिज कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने पाकिस्तान से आए अपने समकक्षों के बधाई संदेशों के उत्तर में द्विपक्षीय वार्ता शुरू करने की मंशा जताई।

मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को लेकर भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। पाकिस्तान सरकार आतंकवाद का पोषण बंद करेगी, तभी बातचीत की गुंजाइश बनेगी। रवीश कुमार ने कहा, 'हम कई बार यह बात साफ कर चुके हैं कि पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। जब तक हम आश्वस्त नहीं हो जाते कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकती।'

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने पाकिस्तानी मीडिया में आई इस आशय की खबरों को गलत बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने समकक्षों को शुभकामना संदेशों के जवाब में कहा कि भारत क्षेत्रीय समृद्धि के लिए पाकिस्तान समेत सभी देशों के साथ वार्ता का इच्छुक है। दोनों के जवाब के आधार पर पाकिस्तान मीडिया ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ बात करने के तैयार हो गया है। पाकिस्तान के समाचार पत्र 'एक्सप्रेस ट्रिब्यून' ने गुरुवार को एक खबर में दावा किया कि पाकिस्तान की बातचीत संबंधी ताजा अपील के जवाब में मोदी और जयशंकर ने कहा कि भारत क्षेत्र की समृद्धि के लिए पाकिस्तान समेत सभी देशों के साथ वार्ता का इच्छुक है।

रवीश कुमार ने कहा कि राजनयिक शिष्टाचार के मुताबिक, प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय को शुभकामना संदेशों का जवाब देना होता है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और वहां के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को जवाब भेजकर दरअसल भारत ने राजनयिक शिष्टाचार में कहा कि हम पाकिस्तान सहित अपने सभी पड़ोसियों के साथ सामान्य रिश्ते चाहते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि सामान्य रिश्तों के लिए जरूरी है कि विश्वास का माहौल बने, आतंक और हिंसा मुक्त माहौल बने।'

रवीश कुमार ने कहा, 'प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में साफ कहा कि वार्ता के लिए आतंकवाद, हिंसा एवं शत्रुता से मुक्त और भरोसे का माहौल बनाना महत्त्वपूर्ण है। ऐसे माहौल की आवश्यकता है, जो आतंकवाद और हिंसा की छाया से मुक्त हो।'

पत्र में क्या वार्ता करने का भी कोई जिक्र किया गया है? विदेश मंत्रालय ने उत्तर दिया कि इस प्रकार का कोई जिक्र नहीं किया गया।

इंदिरा नहर में गिरी वैन

लापता सात में से तीन बच्चों के शव मिले

लखनऊ, 20 जून (भाषा)।

राजधानी के निकट नगराम में एक वैवाहिक समारोह से लौट रही एक पिकअप वैन गुरुवार को तड़के इंदिरा नहर गिर गई। दुर्घटना में लापता हुए सात बच्चों में से तीन के शव शाम को बरामद हुए। चार बच्चों की तलाश जारी है।

कुल 29 लोग नहर के पानी में गिरे थे, जिनमें से 22 को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा नहर में वैन डूबने और बच्चों की मौत की घटना पर दुख व्यक्त किया है।

लखनऊ के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब तीन बजे एक पारिवारिक समारोह में नगराम के परवा खेड़ा आई बारात बाराबंकी लौट रही एक पिकअप वैन तड़के इंदिरा नहर में गिर गई। वैन में 29 लोग सवार थे। इनमें करीब 19 बच्चे थे। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन की टीम के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं और तुरंत राहत और बचाव का काम शुरू किया।

शर्मा ने बताया कि लापता सात बच्चों में पांच लड़के और दो लड़कियां हैं। इनमें से तीन बच्चों के शव शाम करीब चार बजे बरामद कर लिए। लापता चार बच्चों की तलाश अभी जारी है। वहीं दूसरी ओर इंदिरा नहर में गुरुवार तड़के हुई इस वैन दुर्घटना के शिकार सात बच्चों के परिजनों का आरोप है कि पिकअप वैन का चालक शराब के नशे में था और वाहन बहुत तेज गति से चला रहा था।

परिजनों के चालक के शराब के नशे में होने के आरोप पर एसडीएम मोहनलाल गंज सूर्यकांत ने बताया कि इसकी जांच की जा रही है। चालक पूरी तरह से सुरक्षित है और उसे मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है।

सातों बच्चों में से छह के नाम मानसी (4), मनीषा (5), सौरभ (8), सचिन (6), साजन (8) तथा अमन (9) हैं।

हरदा विधायक के बेटे सुदीप पटेल गिरफ्तार

हरदा, 20 जून (भाषा)।

मध्य प्रदेश के हरदा से भाजपा विधायक कमल पटेल के पुत्र सुदीप पटेल (34) को कांग्रेस नेता सुखराम बामने को फोन पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया। हरदा जिले के पुलिस अधीक्षक भगवत सिंह बिरदे ने बताया, 'कांग्रेस नेता सुखराम बामने को फोन पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने सुदीप पटेल को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया।'

उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के बाद उसे हरदा विशेष न्यायालय में पेश किया गया, जहां पुलिस ने उसका बयान दर्ज करने व अन्य साक्ष्य जुटाने के लिए अदालत से उसे 28 जून तक हिरासत में भेजने की मांग की। सुदीप पटेल खिरकिया जनपद में उपाध्यक्ष है। हरदा के अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) महेंद्र कुमार मालवीय ने बताया कि पुलिस ने कांग्रेस नेता सुखराम बामने की शिकायत पर सुदीप पटेल के खिलाफ भादंवि की धारा 506 (धमकाना), 294, 509, 120 और एससी/एसटी एक्ट के तहत इस साल 28 अप्रैल को हरदा थाने में मामला दर्ज किया था।

CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT AND THE LETTER OF OFFER WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE SHAREHOLDERS OF MINDTREE LIMITED

Registered Office: Global Village, RVCE Post, Mysore Road, Bengaluru - 560059, Karnataka, India. **(Telephone:** +91-80-67064000, **Fax:** +91-80-67064100, **Website:** https://www.mindtree.com), **Corporate Identification Number:** L72200KA1999PLC025564

LARSEN & TOUBRO LIMITED

HAS MADE A CASH OFFER TO THE SHAREHOLDERS OF
MINDTREE LIMITED
AT RS. 980 PER EQUITY SHARE

Open offer by Larsen & Toubro Limited ("Acquirer") to acquire up to 5,13,25,371 (Five Crore Thirteen Lakh Twenty Five Thousand Three Hundred and Seventy One) Equity Shares ("Offer Shares") representing 31.00% (Thirty One Percent) of the Voting Share Capital, under the SEBI SAST Regulations, to the Shareholders of Mindtree Limited ("Target Company") at per Equity Share price of Rs. 980 (Rupees Nine Hundred and Eighty only) ("Offer")

TENDERING PERIOD IS NOW OPEN AND CLOSES ON JUNE 28, 2019 (FRIDAY)

This corrigendum ("**Corrigendum**") should be read in continuation of and in conjunction with:

(a) the public announcement in connection with the Offer, made by the Managers to the Offer on behalf of the Acquirer to NSE and BSE on March 18, 2019 ("**Public Announcement**" or "**PA**");

(b) the detailed public statement in connection with the Offer, published on March 26, 2019 in the following newspapers: (i) Financial Express (all editions); (ii) Jansatta (all editions); (iii) Vishwavani (Bangalore edition); and (iv) Navshakti (Mumbai edition) ("**DPS**"); and

(c) the letter of offer dated June 6, 2019 in connection with the Offer ("**Letter of Offer**" or "**LoF**"); and

(d) the offer opening public announcement and corrigendum in connection with the Offer, published on June 14, 2019 in the following newspapers: (I) Financial Express (all editions); (ii) Jansatta (all editions); (iii) Navshakti (Mumbai edition); (iv) Vishwavani (Bangalore edition); (v) The Times of India (all editions); (vi) Gujarat Samachar (all editions); and (vii) The Economic Times (all editions)

For the purpose of this Corrigendum:

(a) "**SEBI SAST Regulations**" means the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 (as amended);

(b) "**Shareholders**" means all the shareholders of the Target Company, other than the Acquirer, parties to the SPA and persons deemed to be acting in concert with the parties to the SPA, pursuant to and in compliance with the SEBI SAST Regulations;

(c) "**Tendering Period**" means the following period: Monday, June 17, 2019 to Friday, June 28, 2019 (both days inclusive); and

Capitalised terms used but not defined in this Corrigendum shall have the meaning assigned to such terms in the Letter of Offer.

CORRIGENDUM

Paragraph 2.1.10 of the Letter of Offer states that: *"The Acquirer may at its discretion seek to effect changes to the board of directors of the Target Company, in accordance with applicable laws (including without limitation, the Companies Act, 2013, the LODR Regulations and Regulation 24 of the SEBI SAST Regulations). No proposal in this regard has been finalised as on the date of this Letter of Offer."* In this regard, please take note of the following:

1. The Acquirer has *vide* its letter dated June 12, 2019 sent to the Target Company on June 13, 2019, proposed the following persons as candidates for the office of director of the Target Company pursuant to Section 160 of the Companies Act, 2013: (a) Mr. Sekharipuram Narayanan Subrahmanyan; (b) Mr. Ramamurthi Shankar Raman; and (c) Mr. Jayant Damodar Patil.

2. The Target Company, *vide* its intimation dated June 20, 2019 to the Stock Exchanges, has disclosed that the nomination and remuneration committee and the board of directors of the Target Company have on June 20, 2019 approved and recommended the following appointments to the board of directors of the Target Company (with effect from July 16, 2019) subject to approval of the shareholders of the Target Company at the upcoming annual general meeting of the Target Company on July 16, 2019:

No.	Name of Proposed Director	Appointment As
1.	Mr. Sekharipuram Narayanan Subrahmanyan	Non-Executive Director
2.	Mr. Ramamurthi Shankar Raman	Non-Executive Director
3.	Mr. Jayant Damodar Patil	Non-Executive Director
4.	Mr. Prasanna Rangacharya Mysore	Independent Director
5.	Mrs. Deepa Gopalan Wadhwa	Independent Director

The Target Company, in the aforesaid intimation, has also disclosed that Mr. Subroto Bagchi (director of the Target Company), who retires by rotation at the upcoming annual general meeting of the Target Company on July 16, 2019, has not offered himself for re-appointment.

OTHER DETAILS ABOUT THE OFFER

The attention of the Shareholders of the Target Company is invited to the following other details of the Offer:

1. **Offer Price:**
   1.1. The Offer Price is Rs. 980 (Rupees Nine Hundred and Eighty only) per Offer Share.
   1.2. The volume-weighted average market price per Equity Share of the Target Company for a period of 60 (sixty) trading days immediately preceding the date of the Public Announcement, as traded on the stock exchange where the maximum volume of trading in the shares of the Target Company are recorded during such period and such shares being frequently traded, is Rs. 885.04 (Eight Hundred and Eighty Five Rupees and Four Paisa).
   1.3. For further details relating to the Offer Price, please refer to Paragraph 5 beginning on Page 32 of the Letter of Offer.

2. **Recommendations of the committee of independent directors of the Target Company**: The committee of independent directors of the Target Company ("**IDC**") published its recommendation on the Offer on June 12, 2019 in the same newspapers where the DPS was published. The relevant extract of the recommendation of the IDC is given below:

Chairperson of the IDC	Ms. Apurva Purohit
Members of the IDC	1. Ms. Apurva Purohit 2. Mr. Milind Shripad Sarwate 3. Mr. Bijou Kurien 4. Mr. Akshaya Bhargava
Recommendation of the IDC on the Offer, as to whether or not the Offer is fair and reasonable	The IDC is of the opinion that, as on the date of the PA, the Offer Price of Rs. 980 offered by the Acquirer: 1. is in accordance with the regulations prescribed under the SEBI (SAST) Regulations; and 2. appears to be fair and reasonable.
Summary of reasons for the recommendation of the IDC	The IDC has perused the PA, DPS, DLoF and LoF issued on behalf of the Acquirer. The members of IDC draw attention to the closing market price of the Equity Shares of the Target Company on the National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**") and BSE Limited ("**BSE**") as on the date of this recommendation, i.e. June 10, 2019, being Rs 975.50 per Equity Share and Rs 974.65 per Equity Share, respectively, which is lower than the Offer Price. Based on the review of the PA, DPS, DLoF, LoF, and the report dated June 7, 2019, issued by ICICI Securities Limited to the IDC in regard to the Offer Price, the IDC is of the opinion that as on the date of the Public Announcement, the Offer Price of Rs 980 offered by the Acquirer: (a) is in accordance with the regulations prescribed under the SEBI (SAST) Regulations; and (b) appears to be fair and reasonable. The shareholders of the Target Company are advised to independently evaluate the Open Offer and take an informed decision about tendering the Equity Shares held by them in the Open Offer.
Details of independent advisors, if any, of the IDC	Khaitan & Co (Legal Advisor) ICICI Securities Limited

3. **Other Information:**
   3.1. The Acquirer and its board of directors accept full responsibility for the information contained in this Corrigendum, and for the Acquirer's obligations under the Offer. Except as mentioned otherwise in this Corrigendum, all the information pertaining to the Target Company has been obtained from the information published and from publicly available sources and the accuracy thereof has not been independently verified by the Acquirer or Managers to the Offer.
   3.2. The Acquirer has appointed Axis Capital Limited and Citigroup Global Markets India Private Limited for the Offer through whom the purchases and settlement of the Offer shall be made during the Tendering Period.
   3.3. In this Corrigendum, all references to "Rs." Or "INR" are references to the Indian Rupee.
   3.4. For further details please refer to the Letter of Offer.

Issued on behalf of the Acquirer by the Managers to the Offer:

AXIS CAPITAL
Axis Capital Limited
Axis House, 1st Floor, C-2, Wadia International Center, P. B. Marg, Worli, Mumbai 400 025
Tel: +91 22 43252183; **Fax:** +91 22 43253000
Website: www.axiscapital.co.in
Email: ml.openoffer@axiscap.in
Contact person: Ms. Mayuri Arya
SEBI Registration Number: INM000012029

citi
Citigroup Global Markets India Private Limited
1202, 12th Floor, First International Financial Centre, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400098
Tel: +91 22 61759999; **Fax:** +91 22 61759898
Website: www.online.citibank.co.in/rhtm/citigroupglobalscreen1.htm
Email: mindtree.openoffer@citi.com
Contact person: Ms. Garima Maheshwari
SEBI Registration Number: INM000010718

Registrar to the Offer:

LINK Intime
Link Intime India Private Limited
C-101, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai – 400 083
Tel : + 91 22 49186200
Fax : + 91 22 49186195
Website: www.linkintime.co.in
Email: mindtree.offer@linkintime.co.in
Contact Person: Mr. Sumeet Deshpande
SEBI Registration Number: INR000004058

On behalf of the Acquirer
Sd/-
Authorised Signatory

Date: June 20, 2019
Place: Mumbai

Adfactors 130

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

TV TODAY NETWORK

T.V. TODAY NETWORK LIMITED
CIN : L92200DL1999PLC103001 Website: www.aajtak.intoday.in
Regd. Office: F-26, First Floor, Connaught Circus, New Delhi - 110001
Telephone : 0120 4807100 Fax: 0120 4807172
Email: investors@aajtak.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Sub: Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

This NOTICE is published pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("Act") read with Rule 6 (3) of Investors Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("Rules"), as amended from time to time.

As per the Rules, if a shareholder does not claim the dividend amount for a consecutive period of seven years or more, then the shares held by him/her shall be transferred to the demat account of the Investors Education and Protection Fund Authority ("IEPF Authority") constituted in accordance with the Rules. Accordingly, shares of all those shareholders, who haven't claimed the dividends for the last seven consecutive years or more, are now due for transfer to IEPF Authority.

Complying with the requirements set out in the Rules, the Company through it's registrar and share transfer agent has individually communicated to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority under the said Rules for taking appropriate action(s) vide its reminder letter dated 18.06.2019. The full details of such shareholders including their names, folio no. or DP ID & Client ID and shares due for transfer are also posted on the website of the Company i.e. https://aajtak.intoday.in/investor/. The concerned shareholders are thus requested to claim the unclaimed dividend by 26.09.2019, failing which the shares shall be transferred to the IEPF Authority on or before 26.10.2019 or such other date as may be extended under the said Rules.

Shareholders, holding shares in either physical or electronic form may please take note that the Company would be transferring the shares to IEPF Authority through Corporate Action. Once the shares are transferred to IEPF Authority, the share certificates issued in respect of the said shares, shall stand cancelled and will have no validity.

Please take note that unclaimed or unpaid dividend which have already been transferred or the shares which are being transferred by the Company to IEPF Fund or IEPF Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by the shareholders from Investors Education and Protection Fund Authority ('IEPFA') by following the procedure given on the website of IEPFA i.e. http://iepf.gov.in/IEPFA/refund.html. Further in order to claim the unclaimed dividend lying with the Company, please send us a written application alongwith copy of PAN Card and the original un-encashed Dividend warrant or a duly filled in indemnity bond available on our website at https://aajtak.intoday.in/investor/ to the Company's Corporate Office at Secretarial Department, T.V. Today Network Limited, India Today Mediaplex, FC-8, Sector 16A, Film City Noida, 201301, India. The said application should reach the Company on or before 26.09.2019.

For any queries on the above matter, shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Share Transfer Agents, MCS Share Transfer Agent Limited, F-65, Okhla Industrial Estate, Phase-I, New Delhi – 110020, Email: admin@mcsregistrars.com and Tel.: 011-4140 6149 or at the Registered and Corporate office addresses of the Company

The information contained in this notice is also available on the Company's website www.aajtak.intoday.in and on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

For and on behalf of **T.V. Today Network Limited**
Sd/-
Ashish Sabharwal
Group Head Secretarial & Company Secretary
Membership No.:F4991

Date: June 20, 2019
Place: New Delhi

TTL ENTERPRISES LIMITED
(Formerly known as Trupti Twisters Limited)
Registered Office: 304, 3rd floor, shoppers plaza-5, Opp. Municipal market, C.G.Raod, Navrangpura, Ahmedabad –380009, Gujarat, India.
Tel.: +919408271797 | Email ID: truptitwister@gmail.com | Website: www.truptitwister.com
CIN: L17119GJ1988PLC096379

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of TTL Enterprises Limited (Formerly known as Trupti Twisters Limited) ("Target Company") in relation to the Open Offer ("Offer") made by Ardent Ventures LLP ("Acquirer"), to the Public shareholders of the Target Company ("Shareholders") under Regulations 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and Subsequent Amendments thereto ("SEBI (SAST) REGULATIONS, 2011").

1	Date	June 21, 2019
2	Name of the Target Company ("TC")	TTL Enterprises Limited (Formerly known as Trupti Twisters Limited)
3	Details of the Offer pertaining to Target Company	The offer is being made by Acquirer pursuant to Regulation 3(1) and Regulation 4 of SEBI (SAST) Regulations, 2011 for acquisition upto 18,096 (Eighteen Thousand Ninety six) Equity Shares of face value of Rs. 10/- each representing 26.00% of the Equity Share Capital/ voting Capital of the Target Company at a price of Rs. 1/- (Rupee One Only) ("Offer Price"), payable in Cash.
4	Name of the Acquirer & PAC	Ardent Ventures LLP There are no PACs in respect of this Offer with the Acquirer.
5	Name of the Manager to the offer	Kunvarji Finstock Private Limited
6	Members of the Committee of Independent Directors (IDC)	1. Mr. Pradip Vyas - Chairman 2. Mr. Bhavin Mehta - Member
7	IDC Member's relationship with the Target Company (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	IDC Members are Independent Directors on the Board of the Target Company. They do not have any Equity Holding in the Target Company. None of them have entered into any other contract or have other relationship with the Target Company.
8	Trading in the Equity shares/other securities of the TC by IDC Members	No trading in the Equity Shares of the Target Company has been done by any of the IDC Members.
9	IDC Member's relationship with the acquirer (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any.	None of the IDC Members holds any contracts, nor have any relationship with the Acquirer in their personal capacities.
10	Trading in the Equity shares/other securities of the acquirer by IDC Members	No trading in the Equity Shares/Other Securities of the Acquirer by IDC Members
11	Recommendation on the Open offer, as to whether the offer, is or is not, fair and reasonable	Based on the review, IDC Members believe that the Offer is fair and reasonable and in line with the Regulations.
12	Summary of reasons for recommendation	IDC has taken into consideration the following for making the recommendation: IDC has reviewed a) The Public Announcement ("PA") dated April 15, 2019; b) The Detailed Public Statement ("DPS") which was published on April 24, 2019; c) The Draft Letter of Offer ("DLOF") dated May 02, 2019; and d) The Letter of Offer ("LOF") dated June 17, 2019; Based on review of PA, DPS, DLOF and LOF, the IDC Members are of the view that the Offer price is in line with the parameters prescribed by SEBI in the Regulations.
13	Details of Independent Advisors, if any.	None
14	Any other matter to be highlighted	None

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the Regulations.

For and on behalf of the Committee of Independent Directors of TTL Enterprises Limited (Formerly Known as Trupti Twisters Limited)
Sd/-
Mr. Pradip Vyas
Chairman of IDC

Place: Ahmedabad
Date: June 21, 2019

जनसत्ता

21 जून, 2019

उम्मीदें और चुनौतियां

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को आश्वस्त कराया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है और देश की सुरक्षा के लिए सरकार हरसंभव कदम उठाएगी। सत्रहवीं लोकसभा के पहले सत्र के मौके पर संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने आंतरिक व बाह्य सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार, कालेधन, सूखा, जल संकट जैसे मुद्दों पर सरकार के अब तक के प्रयासों और भावी योजनाओं को सामने रखा है। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी इस बात का संकेत है कि जनता ने सरकार के काम और उपलब्धियों पर मुहर लगाई है और उसे सरकार से उम्मीदें काफी हैं। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना ही सरकार की सफलता है। साथ ही चुनाव में जो वादे किए गए हैं, उन्हें पूरा करना चुनौती भी है। राष्ट्रपति का अभिभाषण यों एक तरह से रस्म अदायगी ही होता है, लेकिन देश के नागरिकों के लिए इसकी अहमियत इसलिए है कि सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में राष्ट्रपति बताते हैं। वे देश के प्रथम नागरिक हैं, लोकतंत्र में सर्वोच्च पद पर ही नहीं, बल्कि उसके संरक्षक भी हैं। इसलिए उनका कहा सरकार को कहीं न कहीं जिम्मेदारियों से बांधता है।

राष्ट्रपति ने अभिभाषण में सबसे ज्यादा जोर देश की सुरक्षा और आर्थिकी से जुड़े पहलुओं पर दिया है। सुरक्षा पर इसलिए कि पिछले कुछ समय में देश को आंतरिक और बाह्य दोनों ही मोर्चों पर गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इस साल फरवरी में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले ने देश की सुरक्षा के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने को मजबूर कर दिया था और आतंकियों के ठिकानों पर हवाई हमले जैसी कार्रवाई की गई थी। राष्ट्रपति ने सरकार के कदमों की सराहना करते हुए कहा कि पुलवामा हमले के बाद हवाई हमलों से आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर भारत ने अपने इरादों और क्षमताओं को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि नक्सलवाद और आतंकवाद से निपटने में भी सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। घुसपैठ भी एक बड़ी समस्या है और यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गई है। घुसपैठ रोकने के लिए सीमा सुरक्षा को मजबूत बनाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने सरकार की विदेश नीति और प्राथमिकताओं को भी गिनाया। इसके अलावा तीन तलाक, हलाला जैसी कुप्रथाओं को खत्म करने और महिला सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। महिला सुरक्षा का मुद्दा काफी संवेदनशील रहा है और आए दिन की घटनाएं बता रही हैं कि सरकारें इस मामले में नाकाम ही साबित हो रही हैं।

कालेधन और भ्रष्टाचार जैसी गंभीर समस्या पर भी राष्ट्रपति ने सरकार के प्रयासों का जिक्र किया। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने हैं और यह मुश्किलों भरा काम है। सरकार का लक्ष्य अगले पांच साल में भारत को पांच अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का है। इसके लिए आर्थिक सुधार, कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, उद्यमियों को बिना गारंटी के कर्ज देने, जीएसटी को और सरल बनाने जैसे काम किए जाएंगे। राष्ट्रपति ने रोजगार सृजन को सरकार के एजेंडे में ऊपर बताया है। सरकार इन सब लक्ष्यों को हासिल करने के लिए क्या करती है, इसकी झलक आगामी बजट में देखने को मिल सकती है। राष्ट्रपति ने सूखे के खतरे और बढ़ते जल संकट की बात भी की। राजग सरकार के सामने अब बड़ी चुनौती तो यह है कि पिछले कार्यकाल में शुरू किए गए कामों को उसे अब तेजी से बढ़ाना होगा, तभी विकास के अपेक्षित लक्ष्य हासिल हो पाएंगे।

पहाड़ पर पताका

दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंच कर पताका फहराना पर्वतारोहियों के लिए बड़ी उपलब्धि होती है। वहां पहुंचने के लिए पर्वतारोही वर्षों अभ्यास करते हैं। मगर उनमें से बहुतों का एवरेस्ट पर पहुंचने का सपना पूरा नहीं हो पाता। हालांकि अब पर्वतारोहण के लिए इतने तरह के साधन उपलब्ध हो गए हैं, प्रशिक्षण और तकनीक में इतना विकास हुआ है कि हर साल एवरेस्ट पर पहुंच कर पताका फहराने वालों की तादाद कुछ बढ़ी हुई दर्ज होती है। इस साल इस मौसम में रिकार्ड तोड़ आठ सौ पचासी लोग एवरेस्ट पर पहुंचे। पिछले साल आठ सौ सात लोग पहुंचे थे। इस साल वहां अधिक संख्या में लोगों के पहुंचने की वजह से भीड़भाड़ काफी हो गई थी, जिसकी वजह से रास्ता थम गया था। एवरेस्ट पर बढ़ी भीड़ और थमी रफ्तार की खबरें दुनिया भर में सुर्खियां बनी थीं। निस्संदेह इस दुर्गम चोटी पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना बड़ी कामयाबी है। मगर वहां तक पहुंचने में हर साल जिस तरह कुछ पर्वतारोही अपनी जान गंवा बैठते हैं, उसे लेकर चिंता स्वाभाविक है।

कुछ साल पहले तक एवरेस्ट पर चढ़ना साहसिक खेल का हिस्सा हुआ करता था, पर अब यह रोमांच का रूप लेता जा रहा है। एवरेस्ट पर पहुंच कर पहाड़ों की सुंदरता को निहारना निस्संदेह जीवन का अद्भुत अनुभव होता होगा। इसके अलावा इनमें कई लोग ऐसे भी होते हैं, जो बर्फीली चोटियों पर बसने के सपने को साकार करने की संभावनाएं तलाशने जाते हैं। मगर इस यात्रा में कठिनाइयां भी बहुत हैं। हाड़ जमा देने वाली ठंड में कई दिन बिताना सबके वश की बात नहीं। फिर बर्फीली आंधी-तूफान के खतरे हमेशा बने रहते हैं। कई बार ऐसा हो चुका है कि बर्फीली आंधी में दब कर अनेक पर्वातारोही अपनी जान से हाथ धो बैठे। फिर चढ़ाई के दौरान स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां पैदा होने पर वहां इलाज की व्यवस्था करना कठिन है। इस साल हालांकि बर्फीली आंधी जैसी स्थिति नहीं आई, फिर भी सोलह पर्वतारोहियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। पिछले दिनों रास्ते में भीड़ अधिक जमा हो जाने के कारण पर्वतारोहियों को घंटों रुक कर इंतजार करना पड़ा। इसलिए इन खतरों को देखते हुए विशेषज्ञों ने मांग की है कि पर्वतारोहण के लिए अनुमति पत्र जारी करने में कटौती की जाए। साथ ही गाइडों के लिए कड़े मानदंड तय किए जाने चाहिए। देखना है, इसे कितनी गंभीरता से लिया जाता है।

दरअसल, जब से युवाओं में एवरेस्ट पर जाने का आकर्षण बढ़ा है, तब से कई प्रशिक्षण केंद्र इसकी तैयारी कराने लगे हैं। अब पर्वतारोहण संबंधी संसाधन जुटाना भी बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल नहीं रह गया है। इस तरह हर साल अब कुछ ऐसे उत्साही युवा भी एवरेस्ट पर पहुंचने का प्रयास करते देखे जाते हैं, जिन्हें पर्वतारोहण का पर्याप्त अनुभव नहीं है। फिर पर्वतारोहियों के साथ उनका साजो-सामान लेकर चलने वाले और गाइड भी जाते हैं। उनका प्रशिक्षण और योग्यता भी प्रश्नों से बाहर नहीं है। पर्वतारोहण के दौरान आपात स्थिति पैदा होने पर उससे पार पाने में कई लोग विफल साबित होते हैं। इसके अलावा भीड़भाड़ बढ़ने की वजह से एवरेस्ट पर भारी मात्रा में कचरा जमा हो रहा है, जिसके निष्पादन का अब तक कोई कारगर इंतजाम नहीं है। इसलिए एवरेस्ट चढ़ाई को अगर व्यावसायिक रूप देना है तो चीन, भारत और नेपाल सरकारों को मिल कर विशेषज्ञों की चिंता पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

कल्पमेधा

यह ज्यादा अक्ल की बात है कि हम ईश्वर की बातें कम करें- जिसे हम समझ-जान नहीं सकते और इंसानों की बातें ज्यादा करें- जिन्हें हम समझ-जान सकते हैं।

-खलील जिब्रान

चिकित्सा का बीमार तंत्र

संजय कुमार सिंह

कहने के लिए गरीब का बीमा है, पर इलाज के लिए अस्पताल नहीं हैं। और यह स्थिति कोई एक-दो साल में नहीं बनी है। स्वास्थ्य क्षेत्र शुरू से उपेक्षित है। इसलिए न सिर्फ अस्पताल, बल्कि डॉक्टर और डॉक्टरी की पढ़ाई भी अपर्याप्त है। महंगी है सो अलग। इसलिए शोर चाहे जितना मचे, हाल-फिलहाल होने वाला कुछ नहीं है।

बिहार में इस बार एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) जिसे स्थानीय बोलचाल में चमकी बुखार भी कहते हैं, से बड़ी संख्या में बच्चों की मौत और उस पर शोर-शराबा एक मुद्दा है और मौत के कारण तथा उन्हें दूर करने की कोशिशें या उससे निपटने के सरकारी प्रयास बिल्कुल अलग मसले हैं। दो साल पहले उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बच्चों की मौत का मामला भले ही गैस सप्लाई बंद होने के कारण सुर्खियों में आया था, पर सच्चाई यही है कि ये मौतें गर्मी और लू के कारण लगभग ऐसी ही स्थितियों और लक्षणों के साथ हुई थीं। बिहार और उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में गर्मी के दौरान मूल रूप से लू लगने से मौत के मामले आम हैं। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने पहले के वर्षों में हुई मौतों का हवाला देते हुए कह दिया था कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अगस्त महीने में रोजाना औसतन अठारह से बाईस बच्चों की मौत पिछले सालों में भी हो चुकी है।

हकीकत तो यह है कि मौतें गर्मी के मौसम में लू और ज्यादा तापमान के कारण ही होती हैं। ऐसे में मौजूदा संसाधनों के भीतर अगर मरीजों की संख्या कम होती है तो बच्चे बच जाते हैं और मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है तो बचाना मुश्किल हो जाता है। कहने की जरूरत नहीं है कि ऐसे में और बिहार-उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में छपरा, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर आदि जिलों के अलावा नेपाल के भी मरीज आते हैं। बीमारी से हालत खराब होने से पहले और सही चिकित्सा मिलने से कुछ बच्चे बच जाते हैं। कुछ इतने भाग्यशाली नहीं होते हैं कि बच सकें। इसका कारण न तो सिर्फ लीची खाना है, न ही ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होना। इतनी सारी मौतें किसी एक कारण से हो रही होतीं तो उन्हें दूर कर दिया गया होता। पर अभी वह भी स्पष्ट नहीं है।

असल में मरने वाले बच्चे बहुत ही गरीब परिवारों के होते हैं। उनकी आवाज न सत्ता सुनती है, न मीडिया। वैसे भी, बीमारी अगर बता कर आती होती तो शायद स्थिति दूसरी होती। जो रोज खाने-पहनने जैसी जरूरतें पूरी करने में लगा है, वह बिना बीमार हुए बीमार होने की क्यों सोचे? और जब बीमार हो जाता है तो न कोई उसकी सुनने वाला होता है और न वह खुद कुछ कर सकता है। सरकारी अस्पताल और मुफ्त में मिलने वाली सुविधा के भरोसे रहने वाले लोग अपने ऐसे अधिकार के लिए भी कहां लड़ पाते हैं!

बड़ी संख्या में मौत का कारण कुपोषित बच्चों का प्रतिरक्षण कम होना है। गर्मी में लू लगने या खाली पेट लीची खा लेने से मुमकिन है, समस्या गंभीर हो जाती हो। इससे बचने के उपाय सरकार को करने हैं। लोगों को यह बताया जाना चाहिए कि बच्चे को गर्मी से बचाएं, खाली पेट न रहने दें और अगर लू लग जाए तो कौन-सी दवाई तुरंत शुरू करें, इलेक्ट्रॉल का घोल पिलाएं और जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन सरकार इतना भर भी नहीं करती। गरीब, लगभग अनपढ़ लोग अगर बच्चों को धूप में नहीं निकलने दें और पीने के पानी का पर्याप्त बंदोबस्त हो तो बहुत-से लोग लू का शिकार होने से बच सकते हैं। पर अस्पताल में ज्यादातर लोगों ने कहा कि उन्हें यह जानकारी नहीं दी गई। जानकारी नहीं दिए जाने और जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचने के अपने कारण हैं। पर इतना तो स्पष्ट है कि इस बुनियादी और बहुत कम खर्चीले उपाय से जो बचाव हो सकता था, वह भी नहीं किया गया।

मुख्य रूप से इसका कारण सरकारी या राजनीतिक स्तर पर स्वास्थ्य को दी जाने वाली प्राथमिकता है। प्राथमिकता नहीं दी जाती है, यह तो साफ है और इस कारण बजट नहीं है और जब पैसे ही नहीं हैं तो कोई काम हो भी कैसे। इस तरह सब कुछ पैसे पर आकर रुक जाता है। अगर मीडिया में शोर न हो तो सरकार पर कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ना है, इसलिए सरकार वोट बटोरू काम में लगी रहती है और खर्च भी ऐसे ही काम में किए जाते हैं। वरना कोई कारण नहीं है कि 2014 में जो घोषणाएं हुई थीं, वे 2019 तक पूरी न हों और फिर उन्हें ही दोहरा देना सरकारी काम की इतिश्री है। बिना बजट के सरकार के लिए काम करना मुश्किल और खबरें रोकना अपेक्षाकृत आसान है। और इसीलिए यह बीमारी वर्षों से चली आ रही है।

बिहार में प्रति व्यक्ति बजट, डॉक्टर, अस्पताल के बेड और आइसीयू (सघन चिकित्सा इकाई) की संख्या भी चौंकाने वाली है। इसका असर यह है कि डॉक्टर और दूसरे कर्मचारी तो छोड़िए, दवाई की दुकानें तक पर्याप्त नहीं हैं। जो हैं उनके खुलने-बंद होने का समय निर्धारित है। इस कारण आपातस्थिति में बहुत साधारण-सी दवा भी उपलब्ध नहीं होती है और गरीब आदमी दुकान खुलने और दवा मिलने का इंतजार करता है, लेकिन तब तक मरीज की हालत ज्यादा बिगड़ चुकी होती है। भारत में 11082 मरीजों के लिए औसतन सिर्फ एक डॉक्टर उपलब्ध है, 1844 मरीजों पर औसतन एक बेड और 55591 की आबादी पर एक सरकारी अस्पताल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) के अनुसार एक हजार की आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए। यानी एक डॉक्टर पर दस गुने से भी ज्यादा बोझ। भारत का औसत इतना खराब है और बिहार तथा उत्तर प्रदेश की हालत इससे भी ज्यादा खराब है।

'द लैंसेट' की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता के मामले में एक सौ पनच्यानबे देशों की सूची में भारत एक सौ पैंतालीसवें स्थान पर है। वर्ष 1990 में हम एक सौ तिरपनवें पायदान पर थे। ताजा सूची 2016 के अध्ययन पर आधारित है। एक तरफ तो यह वास्तविक स्थिति है और दूसरी तरफ सरकार को वोट भी लेना होता है। इसलिए उसने कुछ करने के मुकाबले लोगों का बीमा करा देने का आसान रास्ता चुना और 'आयुष्मान भारत' नाम की स्वास्थ्य योजना लागू कर दी। कहने के लिए गरीब का बीमा है, पर इलाज के लिए अस्पताल नहीं है। और यह स्थिति कोई एक-दो साल में नहीं बनी है। स्वास्थ्य क्षेत्र शुरू से उपेक्षित है। इसलिए न सिर्फ अस्पताल, बल्कि डॉक्टर और डॉक्टरी की पढ़ाई भी अपर्याप्त है। महंगी है सो अलग। इसलिए शोर चाहे जितना मचे, हाल फिलहाल होने वाला कुछ नहीं है। एक तरफ अगर राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर में नया अस्पताल बनाने, बिस्तरों की संख्या बढ़ाने और तीमारदारों के लिए धर्मशाला भी बनवाने की घोषणा की है तो तथ्य यह है कि स्वास्थ्य पर बजट पिछले साल के मुकाबले एक हजार करोड़ रुपए कम हो गया है। ऐसे में योजना कैसे पूरी होगी और पहले भी पूरी नहीं हुई है, ये दोनों ही तथ्य चिंताजनक हैं और आश्वासनों की हकीकत बताते हैं।

ऐसा नहीं है कि मौतें कभी-कभी ही होती हैं। सच तो यह है कि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2002 से 2018 के बीच करीब सात हजार बच्चों में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम पाया गया और इसकी वजह से दो हजार बच्चों की मौत हो चुकी है। मुजफ्फरपुर में दिमागी बुखार का सबसे पहला मामला साल 1995 में सामने आया था और तब से लेकर आज तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। इंसेफेलाइटिस की समस्या सिर्फ बिहार में नहीं है। उत्तर प्रदेश और बंगाल भी इससे प्रभावित हैं। इसकी बड़ी वजह कुपोषण है। ऐसे में इस समस्या को अकेले राज्य सरकारों पर नहीं छोड़ा जा सकता। इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर काम करने की जरूरत है।

आधुनिकता के पैमाने

सुभाष चंद्र लखेड़ा

दुनिया मेरे आगे

इस पृथ्वी पर अपने उद्भव के तुरंत बाद से ही मनुष्य के रहन-सहन के तौर-तरीकों और उसकी सोच में परिवर्तन होते रहे हैं, लेकिन तब से लेकर पचास-साठ वर्ष पहले तक ऐसे परिवर्तनों की गति बहुत धीमी रही। नतीजतन, एक लंबे समय तक मनुष्य उन मानसिक दुविधाओं से मुक्त रहा जो आज नित नई जानकारियों की वजह से पैदा हो रही हैं। पिछले कुछ दशकों में ज्ञान-विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हुई आशातीत प्रगति के कारण मनुष्य के रहन-सहन में ही नहीं, बल्कि उसकी सोच में भी व्यापक बदलाव आया है। यह बदलाव इतनी तेजी से हो रहा है कि सदियों से चली आ रही सामाजिक मान्यताओं, परंपराओं, रीति-रिवाजों और मानवीय मूल्यों को आधुनिकता के नाम पर बिना कोई सोच-विचार किए नकारा जा रहा है। हालांकि कुछ ऐसी जड़ परंपराओं और रीति-रिवाजों को खत्म हो ही जाना चाहिए, जिन्हें मानवीयता और बराबरी आधारित जीवन के विरुद्ध कहा जा सकता है।

बहरहाल, किसी भी प्रगतिशील मनुष्य के लिए यह निहायत जरूरी है कि वह वर्तमान में जीए। तभी उसका सर्वांगीण विकास हो सकता है। दरअसल, हरेक दौर की अपनी अपेक्षाएं और आवश्यकताएं होती हैं। वर्तमान दौर का मनुष्य अपने पूर्वजों का हमराही चाहते हुए भी नहीं रह सकता है। आज उसे जिन समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है, उनकी उसके पूर्वजों ने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। इसलिए आज के मनुष्य के अंदर इतना लचीलापन अवश्य होना चाहिए कि वह नए विचारों को किसी मानसिक दबाव या कुंठा का शिकार हुए बिना अपना सके।

गौरतलब है कि जनसंचार माध्यमों में हुई प्रगति के कारण आज के मनुष्य के सामने सूचनाओं का अंबार लग गया है। उसके पास अब अपना भला-बुरा सोचने के लिए समय नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वह इस पृथ्वी पर सिर्फ कार्य निष्पादन के लिए आया है और एक मनुष्य के रूप में उसकी कोई अन्य उपयोगिता नहीं है। वह सिर्फ एक संसाधन है और उसकी भूमिका और उपयोगिता का निर्णय किसी और को करना है। बढ़ते हुए उपभोक्तवाद ने इस स्थिति को विकट बना दिया है। आज का मनुष्य अपनी वेशभूषा और आहार-सूची तय करने का अधिकार तक खो चुका है। दरअसल, आज सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आधुनिकता का अर्थ क्या है! कहीं ऐसा तो नहीं है कि आधुनिकता के नाम पर हम उन मूल्यों को त्यागते जा रहे हों, जिनकी वजह से हमें प्रकृति की सर्वोत्तम रचना कहलाने का हक हासिल हुआ।

आधुनिकता पर चर्चा करना इसलिए भी जरूरी है कि इसे विचारों के रूप में नहीं, बल्कि फैशन के रूप में अपनाया जा रहा है। अधिकतर लोगों के लिए आधुनिकता का अर्थ नए फैशन के कपड़े पहनना और घर को विलासिता की वस्तुओं से भरना है। ऐसे लोग आधुनिकता को एक ऐसी वस्तु समझते हैं, जिसे पर्याप्त कीमत देकर कभी भी प्राप्त किया जा सकता है। खेद की बात है कि हमने अपने समाज को आधुनिकता का वही अर्थ समझने दिया, जिसे कुछ स्वार्थी तत्त्व निज लाभ के लिए प्रचारित-प्रसारित करते रहते हैं। यही कारण है कि हमारे अधिकतर प्रौढ़ और युवाओं के लिए इसका अर्थ सिर्फ जींस पहनना, सिगरेट के छल्ले बनाते हुए किसी की जीवनशैली का उपहास करना और अंग्रेजी फिल्मों की अधकचरी समीक्षा करना है। सच तो यह है कि आधुनिकता का संबंध न तो 'किस मी नॉट' की चेपी लगी जींस-पैंट पहनना है और न ही मुंह को गोल बना कर कंधे उचका कर अंग्रेजी बोलते हुए शराब पीकर कमरतोड़ नृत्य करना है। इसका अर्थ तो उन विचारों को अपनाने से है जो हमारे सामाजिक जीवन के लिए प्राणवायु की भूमिका निभाते हैं और जो हमें एक प्रगतिशील देश के सजग नागरिक होने की योग्यता प्रदान करते हैं।

गौरतलब है कि आधुनिक दिखने और आधुनिक होने में जमीन-आसमान का अंतर है। बाप-बेटे का साथ बैठ कर शराब पीना, मां-बेटी का किटी पार्टियों में जुआ खेलना और बड़े-बुजुर्गों द्वारा दिए जाने वाले सलाह-मशविरों का मजाक उड़ाना जैसे कार्यों को आधुनिकता से जोड़ना दिमागी दिवालियापन ही है। आजकल हमारे युवा वर्ग का एक तबका भ्रमवश यह समझ बैठा है कि अब तक चली आ रही सामाजिक वर्जनाओं की अनदेखी करना ही आधुनिकता है। इसी धारणा का शिकार बने युवा वाहनों, पार्कों, बाजारों, सिनेमाघरों और दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर अपने प्रेम का प्रदर्शन करते नजर आते हैं। दिखावे की आधुनिकता ने हमारे विचारों की बुनियाद को कमजोर करने के साथ-साथ हमारी मौलिक चिंतन-मनन की क्षमताओं को भी कुंद कर दिया है। आधुनिकता का वास्तविक अर्थ न समझ पाने की वजह से आज हमारे देश में कई तरह की सामाजिक बुराइयां और विकृतियां पनपती जा रही हैं।

दरअसल, आधुनिकता का अर्थ है वर्तमान संदर्भ में अपनी और समाज की जरूरतों को पहचानना। वर्तमान में जीते हुए भविष्य को संवारने की शक्ति अर्जित करना और एक ऐसी जीवनशैली को अपनाना जो दिवास्वप्नों और ढोंग-पाखंड से पूरी तरह मुक्त हो। अगर हमारे समाज में बराबरी आधारित बर्ताव सोच के स्तर पर नहीं घुली हो, तो वह आधुनिकता सिर्फ दिखावे की होगी।

चौपाल

कैसे रहबर

एक्यूट इनसेफेलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) यानी चमकी बुखार से बिहार में हाहाकार मचा है। इस जानलेवा बीमारी से अब तक सूबे में 141 से ज्यादा मासूम बच्चों ने दम तोड़ दिया है। यह कोई नई बीमारी नहीं है बल्कि इससे पहले भी मुजफ्फरपुर में बच्चे इससे प्रभावित हो चुके हैं। बीमारी की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य सेवा की चिंता सरकार को न तो आज है न, पहले रही है। केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ राजग सरकार के सांसद, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तक- सब अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए तरह-तरह के बयानों से जनता को दिग्भ्रमित करने में लगे हैं। कोई लीची को बहाना बना रहे हैं तो कोई वर्षा न होने को बीमारी का कारण बता रहे हैं। एक ओर मां के सामने बच्चे दम तोड़ रहे हैं तो दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोते हुए चिंतन करने में लगे थे। सुशासन बाबू नींद से तब जागे जब सैकड़ों बच्चे काल के गाल में समा गए। प्रचंड बहुमत पाने वाले भाजपा, जद (एकी) और लोजपा नेताओं को अपने प्रदेश के नौनिहालों की तनिक भी चिंता होती तो स्वास्थ्य सेवा के मुद्दे पर निरर्थक ब्यानों के जरिए सरकार का बचाव करते नजर नहीं आते।

हास्यास्पद है कि चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों के बारे में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की चिंता से कोसों दूर उसके स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सामने मीडिया की मौजूदगी में विश्व कप क्रिकेट के दौरान भारत-पाक मैच का स्कोर जानने में रुचि ले रहे थे। अफसोसनाक है कि कुछ मीडिया एंकर सरकार की विफलता पर सवाल उठाने के बजाय विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक नौटंकी बता कर उसे रोगियों की सेवा करने और अस्पताल जाकर सफाई करने की नसीहत देते हैं। दुखद है कि मीडियाकर्मी बार-बार डॉक्टरों को कोसने से भी बाज नहीं आ रहे। उन्हें कौन बताए कि सुविधाएं उपलब्ध करना सरकार की जिम्मेदारी है न कि डॉक्टर्स या विपक्ष की। सवाल है कि लोगों ने वोट स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दे पर नहीं दिया था तो फिर आज उन नेताओं से इन मुद्दों पर सवाल भी किस मुंह से पूछे?

लोकतंत्र में नेताओं की मनमानी इतनी बढ़ जाए कि जनहित के मुद्दे पर सोचने के लिए उनके पास समय नहीं हो तो फिर यकीनन आमजन को गहन चिंतन-मनन की आवश्यकता है।

● *मंजर आलम , रामपुर डेहरू, मधेपुरा, बिहार*

नशे का जाल

इन दिनों अब पंजाब के साथ-साथ हिमाचल और हरियाणा के युवाओं में भी नशे की लत बढ़ती जा रही है। नशे ने बड़ी संख्या में घर उजाड़ कर रख दिए हैं। नशाखोरी का इलाज करवाने वालों की बढ़ती संख्या से इस समस्या की गंभीरता का पता चलता है। इस संख्या में पिछले दस सालों में दस गुना वृद्धि हुई है। कभी इन तीनों राज्यों में दूध और घी की नदियां बहा करती थीं और कहां अब शराब की बाढ़ आई हुई है जो युवाओं को अपने साथ बहा कर ले जा रही है।

शराब के अलावा अन्य अधिकतर नशीले पदार्थ इन तीनों राज्यों में पाकिस्तान से आते हैं लेकिन इन्हें फैलाने वाले हमारे अपने ही लोग हैं, जिनमें पुलिस और अन्य विभागों के कर्मचारी-अधिकारी भी शामिल हैं। इस सबको देखते हुए सरकार को कड़े फैसले लेने होंगे और जल्द से जल्द नशा तस्करों पर नकेल कसनी होगी।

● *राघव जैन, जालंधर*

नाहक विरोध

एक देश, एक चुनाव पर आयोजित सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों का भाग न लेना खलने वाला है। यह मुद्दा राष्ट्रहित में होकर अर्थव्यवस्था से भी संबंधित है। ऐसे सर्वहिताय मुद्दे पर अपनी राय व सुझाव देना विपक्ष का कर्तव्य होता है ताकि सभी बिंदुओं पर विचार कर किसी सर्वमान्य हल पर सहमति बनाई जा सके। सरकार चाहे किसी भी दल की हो, सकारात्मक मुद्दों पर विपक्ष को सहयोग देना जरूरी है। ऐसे मुद्दे पर आयोजित बैठक का विरोध / बहिष्कार लोकतंत्र के हित में नहीं कहा जा सकता है।

● *हेमा हरि उपाध्याय, खाचरोद, उज्जैन*

योग बनाए निरोग

ओशो के अनुसार, 'योग धर्म, आस्था और अंधविश्वास से परे एक सीधा प्रायोगिक विज्ञान है। यह जीवन जीने की कला है, एक पूर्ण चिकित्सा पद्धति है। एक पूर्ण मार्ग है- राजपथ। दरअसल, धर्म लोगों को खूंटे से बांधता है और योग सभी तरह के खूंटों से मुक्ति का मार्ग बताता है।' भारत के धर्म, संस्कृति और धरोहर ने विश्व को बहुत कुछ ऐसा दिया है जो इंसान को अच्छे मार्ग की ओर अग्रसर करता है। इन्हीं में से एक है योग विधि, जिसे अपना कर इंसान तन और मन से स्वस्थ होता है। योग मात्र शरीर को दुरुस्त नहीं करता, बल्कि मानसिक तौर पर भी स्वस्थ बनाता है, सकारात्मक सोच को बढ़ाता है और इंसान का प्रकृति से भी तालमेल बढ़ाता है।

आज विश्वभर में बहुत से लोगों का ऐसी बीमारियों, जो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की हो सकती हैं, ने जीना दुश्वार किया हुआ है। आज की भागदौड़ और भौतिकवाद में इंसान इतना व्यस्त हो गया है कि अपने शरीर की तरफ जरा ध्यान नहीं देता और बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। अगर लोग योग को अपना लें तो अपने शरीर को चुस्त-दुरुस्त रख सकते हैं। योग के महत्त्व को समझते हुए 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने को हरी झंडी दे दी थी। योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलना भारत के लिए गर्व की बात है। यहां यह कहना भी उचित होगा कि जहां एक तरफ भारत ने दुनिया को योग की राह पर अग्रसर करके निरोग रहने का मंत्र दिया, वहीं दूसरी तरफ भारत के लोग योग से किनारा करके कई जानलेवा बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। देश के हरेक नागरिक को योग से जुड़ना चाहिए। खासतौर पर युवाओं को योग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन यह भी खयाल रखना होगा कि योग तभी निरोग बनाएगा जब उसके साथ-साथ खानपान और जीवनशैली में भी सुधार किया जाएगा।

● *राजेश कुमार चौहान, जालंधर*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

नई फिल्म

- 'मेंटल है क्या
- 'ड्राइव

बॉक्स ऑफिस

फिल्म	कुल कमाई
भारत	195.5 करोड़
मैन इन ब्लैक	10.75 करोड़
गेम ओवर	5.65 करोड़
एक्स मैन	17.15 करोड़

19 जून तक की कमाई

जन्मदिन

- राज बब्बर 23 जून
- आफताब शिवदासानी 25 जून
- करिश्मा कपूर 25 जून
- अर्जुन कपूर 26 जून

जज बनना जिम्मेदारी भरा काम : करीना

आमने सामने

आरती सक्सेना

करीना कपूर की गिनती बॉलीवुड की उन अदाकारों में होती है जिन्होंने अपनी शर्तों और अपने तरीके से अपना करिअर संवारा है। तभी तो सफल करिअर के बीच में उन्होंने शादी कर ली। वहीं मां बनने के बाद भी फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा। बीस साल के अभिनय करिअर में करीना पहली बार जी टीवी के शो 'डांस इंडिया डांस' सीजन 7 में जज की भूमिका में दिखाई देंगी। इस शो को लेकर करीना कितनी उत्साहित हैं? और अपने अभिनय करिअर को लेकर वे क्या सोचती हैं? जानते हैं करीना कपूर की जुबानी...

सवाल : लंबे अंतराल के बाद पहली बार छोटे पर्दे पर बतौर जज आ रही हैं जी टीवी के शो डांस इंडिया डांस 7 के जरिए। कैसा लग रहा है?

● मैं खुश होने के साथ बेहद उत्साहित हूं। साथ में नर्वस भी क्योंकि मुझे जज की तरह कड़क होकर नंबर देना नहीं आता। मैं खुल कर तारीफ करने में विश्वास करती हूं। लिहाजा मुझे पता नहीं कि शो में जज करने के दौरान कैसी प्रतिक्रिया दूंगी।

सवाल : टीवी पर आने में आपने काफी समय लगा दिया कोई खास वजह?

● दरअसल मुझे इससे पहले भी कई सारे शो ऑफर हुए थे। लेकिन 15-20 साल से मैं अपने अभिनय करिअर में व्यस्त थी इसलिए छोटे पर्दे पर आने का मौका नहीं मिला। फिर शादी हो गई, तैमूर हो गया तो और भी वक्त नहीं मिला। इसके अलावा जजिंग के लिए मुझे कई सारे शो ऑफर हुए थे लेकिन मुझे किसी शो ने इतना प्रभावित नहीं किया कि मैं उसमें बतौर जज आने का कार्यक्रम बनाऊं। लेकिन डांस इंडिया डांस की लोकप्रियता को देखते हुए मैंने शो में जज बनना मंजूर कर लिया। क्योंकि यह मेरा भी पसंदीदा शो है।

सवाल : आपके घर वालों ने आपके इस फैसले पर कितना सहयोग दिया। उन सबकी क्या प्रतिक्रिया थी ?

● मेरे मॉम-डैड को यह शो बहुत पसंद है। साथ ही सैफ भी इस शो को लेकर बहुत उत्साहित हैं। इस शो के पहले दिन जब मैंने शूटिंग की तो सैफ काफी व्याकुल थे यह जानने के लिए डांस इडिया डांस में जजिंग करने का मेरा पहला दिन कैसा रहा। सैफ मेरे इस फैसले से काफी खुश हैं क्योंकि उन्हें भी ये डांसिंग शो पसंद है।

सवाल : आपका बेटा तैमूर अभी से स्टार बन गया है। आए दिन इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया में उस0की तस्वीर छपती रहती है। खबर है कि वह गुड न्यूज फिल्म में काम भी करने वाले हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या तैमूर आपके इस शो में नजर आ सकते हैं?

● अरे नहीं। वह कोई फिल्म में काम नहीं कर रहा। वह अभी बहुत छोटा है। अभी तो सिर्फ दो साल का है। उसे तो इतनी भी समझ नहीं कि अभिनय क्या होता है। इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया में वह अपनी क्यूटनेस की वजह से लोकप्रिय हो गया है। अलबत्ता में तैमूर के अभिनय के खिलाफ हूं। मैं नहीं चाहती हूं कि वह इतनी छोटी सी उम्र में बड़े या छोटे पर्दे पर काम करे।

सवाल : अगर डांस की बात करें तो कपूर खानदान अपने-अपने डांस स्टाइल के लिए प्रसिद्ध रहा है। आप डांस कितना पंसद करती हैं?

● मैं बचपन से डांस का शौक रखती हूं। बचपन में श्रीदेवी जी के गाने पर आईने के सामने नाचती थी। उस दौरान मुझे साड़ी पहन कर शीशे के सामने डांस करना बेहद पंसद था। चूंकि बचपन से ही मुझे डांस करना और डांस देखना पंसद है। लिहाजा मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस शो में भी बहुत एन्जॉय करूंगी।

सवाल : खबर है कि आप आमिर खान के साथ फिल्म लाल सिंह चड्ढा में बतौर हीरोइन नजर आने वाली हैं, इसमें कितनी सच्चाई है?

● अभी इस बारे में बात करना जल्दबाजी होगी। बात तो चल रही है लेकिन अभी तक कुछ पक्का नहीं हुआ है।

सवाल : करण जौहर की फिल्म तख्त, अक्षय के साथ गुड न्यूज और इंग्लिश मीडियम को लेकर क्या कहेंगी?

● मैंने इन सभी फिल्मों के शूटिंग शेड्यूल पूरे किए हैं। फिलहाल मेरा ध्यान डांस इंडिया डांस 7 पर है। इसकी शूटिंग साढ़े तीन महीने तक चलेगी। उसके बाद ही फिल्मों में काम करने को लेकर मैं कोई कमेंट कर पाऊंगी ।

सवाल : आपके अलावा माधुरी दीक्षित नेने डांस दीवाने, शिल्पा शेट्टी सुपर डांसर की जज हैं। आप इनसे कितनी अलग और कितना बेहतर नजर आने वाली हैं?

● माधुरी दीक्षित और शिल्पा शेट्टी बेहतरीन जज हैं, उनका अपना अलग ही स्टाइल है। हर किसी का जज करने का अपना तरीका होता है। इस शो में जजिंग करने का मेरा भी तरीका कुछ अलग ही होगा।

सवाल : क्या आप करण जौहर की वेब फिल्म कभी खुशी कभी गम में भी नजर आने वाली हैं?

● करण जौहर मेरे लिए खास हैं, वे हमारे पुराने दोस्त हैं। उनकी बात सिर आंखो पर। लेकिन फिलहाल मेरा इस बारे में कोई इरादा नहीं है ।

तन और मन के साथ साधना करें : योगाचार्य भारत भूषण

सुरेंद्र सिंघल

भागती-दौड़ती जिंदगी में योग स्वस्थ रखेगा

हाथ जोड़कर अभिवादन करने से दूर होते हैं रोग

बातचीत

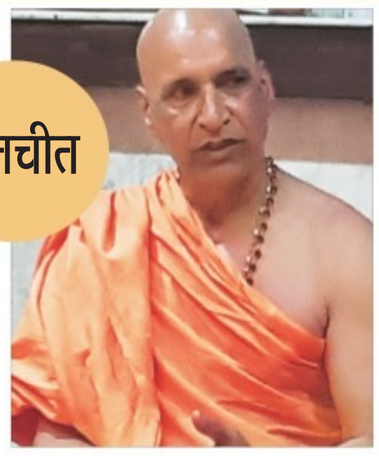

अंतरराष्ट्रीय योगगुरु पद्मश्री स्वामी भारत भूषण कहते हैं कि योग का मुख्य उद्देश्य मन की चंचलता को नियंत्रित करके दुखों से मुक्ति है। मोक्षायतन अंतरराष्ट्रीय योगाश्रम सहारनपुर के जरिए योग को देश और दुनिया में काफी पहले फैलाने में अग्रणी माने जाने वाले 68 वर्षीय ऊर्जावान और तेजस्वी योगी भारत भूषण ने आज अपने संस्थान पर साधकों को योग क्रियाएं कराईं।

मंगलवार रात ही वे मुरादाबाद के कार्यक्रमों से सहारनपुर लौटे थे और बुधवार प्रातः पांच बजे वे पुलिस लाइन स्थित योग कार्यक्रम में गए। वहां से वे जिला कारागार में कैदियों और जेल कर्मचारियों को योग कराने पहुंचे और पूर्व निर्धारित प्रातः नौ बजे वे अपने संस्थान पर साधकों के बीच थे। कहीं भी उनके चेहरे पर थकावट या तनाव की लकीरें नहीं थी। अपनी चिरपरिचित मिठास, लगाव और स्नेह के साथ उन्होंने साधकों के बीच वर्तमान में योग की महिमा और आवश्यकता पर अपने विचार रखें।

डॉ भारत भूषण को योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए 1991 में पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया गया था। उन्होंने 1990 में ऋषिकेश से अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव की शुरुआत की। 11 दिसंबर 2014 को जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी तो उस दौरान और उसके बाद से भारत भूषण की भूमिका और बढ़ गई। उन्होंने पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश के राजभवन में राज्यपाल राम नाइक के सौजन्य सानिध्य में तीन दिवसीय योग समारोह में श्रेष्ठ योगदान दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ योग में हिस्सा लिया। भारत भूषण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ सूरीनाम की यात्रा पर गए जहां दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने मंच के सामने अन्य गणमान्य साधकों के साथ योग क्रियाएं की। प्रधानमंत्री ने योग की देश और दुनिया में बढ़ती लोकप्रियता और स्वीकार्यता सहित कई महत्त्वपूर्ण बिंदुओं पर भारत भूषण के साथ बातचीत भी की।

भारत भूषण कहते हैं कि विदेशी योग को भारतीय शैली में अपनाना चाहते हैं। योग भारत की पांच हजार साल पुरानी परंपरा है। योग संस्कृत के युज शब्द से बना है जिसका अर्थ है मिलन। योग शारीरिक व्यायाम मात्र नहीं है। यह तन और मन को साधने से पूरा होता है। वे कहते हैं कि योग भागती-दौड़ती जिंदगी में मनुष्य को स्वस्थ रखता है। उन्होंने कहा कि वे अपनी माता की प्रेरणा से योग साधक बने। वे कहते हैं कि हाथ जोड़कर अभिवादन करने से बीमारियां दूर होती हैं।

आज योग हिंदू धर्म संस्कृति दर्शन एवं अध्यात्म तक सीमित नहीं रह गया है। विश्व के 207 देशों में योग लोगों की जिंदगी का अभिन्न अंग बन गया है। चीन और अमेरिका में जिस तेजी के साथ भारतीय शैली के योग की मांग बढ़ रही है, उसे देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को योग को शिक्षा के पाठ्यक्रम का अनिवार्य विषय बनाने में पहल किए जाने की जरूरत है। वर्तमान स्थिति से भारत भूषण संतुष्ट नहीं है। इस दिशा में वे बहुत काम किए जाने की आवश्यकता महसूस करते हैं।

जीवनसाथी

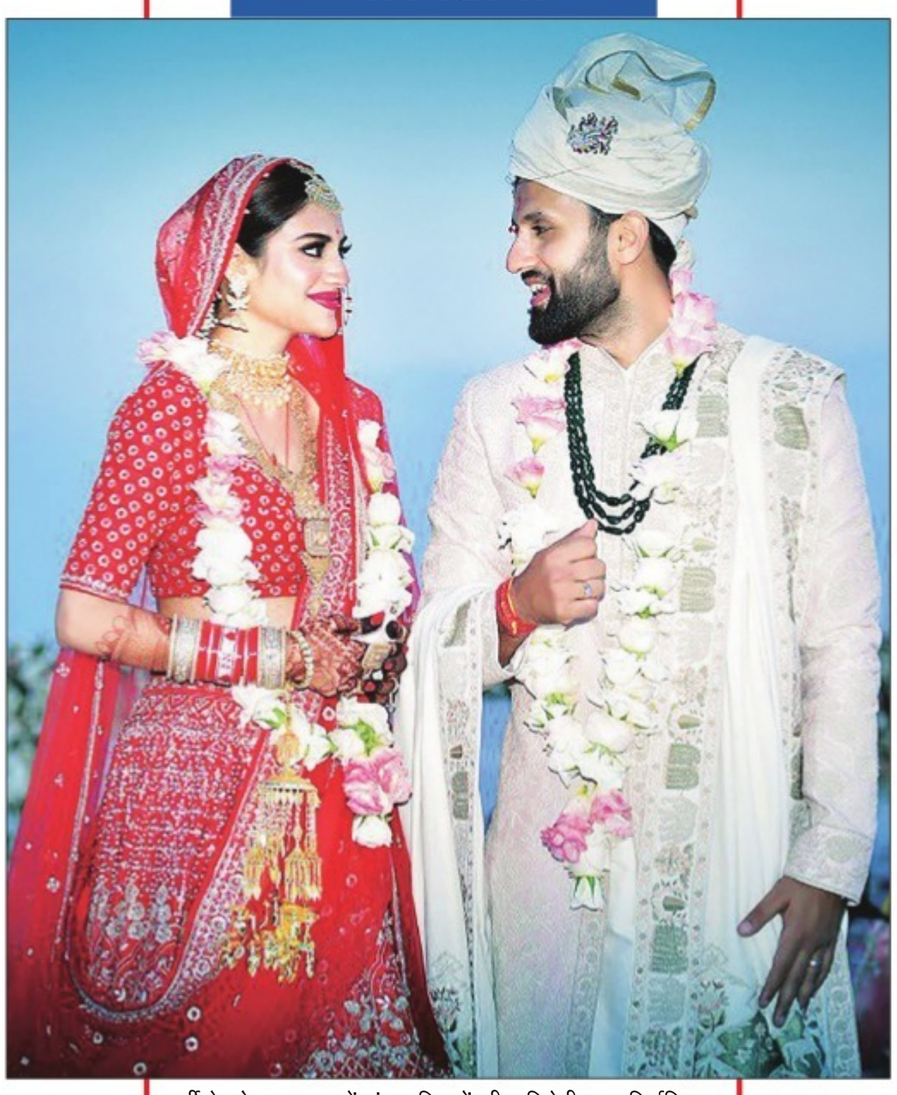

तुर्की के बोडरम शहर में बांग्ला फिल्मों की अभिनेत्री व नवनिर्वाचित तृणमूल सांसद नुसरत जहां ने कोलकाता के व्यापारी निखिल जैन के संग सात फेरे लिए।

एलवी प्रसाद (17 जनवरी 1908-22 जून 1994)

...और एक छोटी फिल्म बड़ी बन गई

गणेशनंदन तिवारी

हमारी याद आएगी

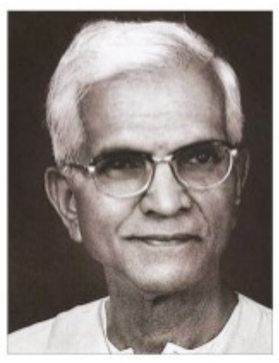

कर्ज में डूबे तेलुगुभाषी किसान के एक युवा बेटे ने जब पिता की परेशानियां देखीं, तो उनकी मदद करने और हालात बदलने के लिए पत्नी से कुछ रुपए लेकर उसने घर छोड़ दिया। साल भर बीत गया। कोई खोज-खबर नहीं मिली, तो परिवार ने मान लिया कि दुनिया उसे लील गई। मगर किसान का बेटा लौटा। उसने हालात बदले, कर्ज के बोझ से परिवार को निकाला और समाज में प्रतिष्ठा दिलाई। सिनेमा में काम कर शोहरत और दौलत कमाई। हिंदी और तेलुगू की पहली बोलती फिल्मों में अभिनय किया। बाद में फिल्में भी बनाई। यह युवा थे दादासाहेब फालके विजेता अक्किनेनी लक्ष्मी वारा प्रसाद राव यानी एलवी प्रसाद, जिनकी बनाई 'एक दूजे के लिए' ने प्रदेशवाद और भाषावाद के टकराव के बीच प्यार की ताकत बताई। शनिवार को एलबी प्रसाद की 25वीं पुण्यतिथि है।

किसी नए कलाकार को कोई निर्माता अपनी फिल्म में काम दे। कुछ दिन के बाद वही कलाकार उस फिल्म के निर्माता से कहे कि उसे तो एक बड़े निर्माता की 'बड़ी फिल्म' मिल रही है इसलिए उसे इस फिल्म से आजाद किया जाए। नया कलाकार फिल्म छोड़ देता है मगर हफ्ते भर बाद आकर कहता है कि उस 'बड़ी फिल्म' के निर्माता ने तो किसी और हीरो को ले लिया है। अब आप वापस मुझे अपनी फिल्म में ले लीजिए। ऐसी स्थिति में शायद ही कोई निर्माता कलाकार की बात सुनता। मगर उदार निर्माता ने नए कलाकार को माफ कर वापस फिल्म में लिया। बाद में उनके संबंध इतने अच्छे बने कि दोनों ने आधा दर्जन फिल्में साथ कीं। यह नए कलाकार थे जीतेंद्र और उन्हें मौका दिया था निर्माता, निर्देशक अभिनेता, छायाकार एलवी प्रसाद ने।

किस्सा 1969 की फिल्म 'जीने की राह' (जीतेंद्र-तनुजा) का है, जिसका निर्माण-निर्देशन एलवी प्रसाद कर रहे थे। प्रसाद हिंदी और तेलुगू में सफल फिल्में बना चुके थे और उनकी साख थी। 'जीने की राह' उनकी 1953 की एक तेलुगू फिल्म का रीमेक थी, जिसके प्रसाद खुद हीरो थे। जीतेंद्र को वी शांताराम ने 'गीत गाया पत्थरों ने' (1964) में मौका दिया था और पांच साल का अनुंबध किया था कि इस बीच बाहर की फिल्मों में काम करोगे, तो कमाई का आधा हिस्सा दोगे। यह अलग बात थी कि जीतेंद्र ने बाहर की फिल्में भी की और शांताराम को कमाई का आधा हिस्सा भी दिया।

प्रसाद की 'जीने की राह' और सुबोध मुखर्जी की 'अभिनेत्री' दोनों की तारीखें टकरा रही थीं। जीतेंद्र चाहते थे कि प्रसाद उन्हें आजाद कर दें ताकि वह 'अभिनेत्री' में काम कर सके। सुबोध मुखर्जी बड़े निर्माता-निर्देशक थे और अशोक कुमार के जीजा शशधर मुखर्जी के भाई थे। मुखर्जी देव आनंद को लेकर 'मुनीमजी', 'पेइंग गेस्ट' और 'लव मैरिज' बना चुके थे। मुखर्जी की फिल्म जंगली ने शम्मी कपूर को स्टार बना दिया था। इसलिए जीतेंद्र को लगता था कि 'अभिनेत्री' उन्हें स्टार बना सकती है।

जीतेंद्र की बात सुन प्रसाद को झटका लगा। मगर वह संघर्षरत कलाकार की मजबूरी जानते थे। उन्होंने जीतेंद्र को आजाद कर दिया। मगर जीतेंद्र को तब झटका लगा, जब उन्होंने एक फिल्म पत्रिका ने सुबोध मुखर्जी की नई फिल्म 'अभिनेत्री' के विज्ञापन में शशि कपूर और हेमा मालिनी के नाम देखे। जीतेंद्र ने जिस फिल्म के लिए एलवी प्रसाद की 'जीने की राह' छोड़ी थी, वह शशि कपूर को मिल गई थी।

जीतेंद्र वापस एलवी प्रसाद के पास लौटे। हालात बताए। एलवी प्रसाद ने जीतेंद्र को समझाया कि कोई फिल्म छोटी बड़ी नहीं होती है न किसी निर्माता की साख से फिल्म चलती है। वापस फिल्म में लिया। प्रसाद ने जो कहा था वही हुआ भी। नामीगिरामी निर्माता-निर्देशक सुबोध मुखर्जी की 'अभिनेत्री' बॉक्स पर बुरी तरह से फेल हुई और 'जीने की राह' हिट हो गई। उसके गाने 'बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा', 'आप मुझे अच्छे लगने लगे...', 'इक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए...' खूब लोकप्रिय हुए। बाद में एलवी प्रसाद और जीतेंद्र ने 'खिलौना', 'ससुराल', 'बिदाई' जैसी फिल्मों में साथ काम किया।

खबर कोना

अर्जुन कपूर स्टारर 'पानीपत' में नजर आएंगी जीनत अमान

गुजरे जमाने की मशहूर अभिनेत्री जीनत अमान लंबे समय के बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं। वह आशुतोष गोवारिकर की फिल्म 'पानीपत' में नजर आएंगी। हाल ही में इसकी घोषणा फिल्म के निर्माताओं ने की। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाली बिग बजट फिल्म 'पानीपत' में जीनत एक खास भूमिका में होंगी। निर्माताओं द्वारा जारी एक बयान में कहा जीनत अमान फिल्म में सकीना बेगम का किरदार निभाएंगी। फिल्म में सकीना होशियारगंज प्रांत की बागडोर संभाल रही थी और क्षेत्र की राजनीति से दूर, अपने राज्य की सीमाओं के भीतर रहती थी। जब पेशवा मदद के लिए उसके पास गए तब पानीपत की लड़ाई में उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं गोवारिकर ने कहा कि उनके लिए यह एक 'सम्माननीय और प्रशंसक के रूप में खास क्षण' है कि वो जीनत अमान को निर्देशित करेंगे। इस सप्ताह के अंत में जीनत फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगी। मालूम हो कि फिल्म में अर्जुन कपूर, कीर्ति सेनन और संजय दत्त मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। यह फिल्म पानीपत की तीसरी लड़ाई पर आधारित है। आशुतोष गोवारीकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म 6 दिसंबर 2019 को रिलीज होगी।

सैफ की फिल्म 'जवानी जानेमन' पर काम शुरू

बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान की फिल्म 'जवानी जानेमन' की शूटिंग मंगलवार को लंदन में शुरू हो गई। इस फिल्म में सैफ एक पिता के रोल में नजर आएंगे। 'जवानी जानेमन' एक कॉमेडी फिल्म है, इसमें सैफ अली खान के साथ तब्बू और आलिया फर्नीचरवाला भी नजर आएंगी। आलिया फर्नीचरवाला बॉलीवुड अभिनेत्री पूजा बेदी की बेटी है जो इस फिल्म से डेब्यू कर रही हैं। फिल्म को जैकी भगनानी की प्रोडक्शन कंपनी पूजा एंटरटेनमेंट, सैफ अली खान की ब्लैक नाइट फिल्म्स और जय शेवक्रामणि की नोर्दन लाइट्स फिल्म प्रोड्यूस कर रही है। भगनानी ने कहा, ''मेरे पास आई अब तक की यह बेहद मजेदार कहानियों में से एक है। फिल्म पर काम शुरू हो गया है और इसे लेकर हमलोग बहुत उत्साहित हैं।'' शेवक्रामणि ने कहा कि सैफ और आलिया के किरदारों के बीच बाप-बेटी के रिश्ते की कहानी बेहद खास है जिससे दर्शक जुड़ाव महसूस करेंगे। फिल्म का निर्देशन नितिन कक्कड़ कर रहे हैं।

महिलाएं अब पुरुषों की मोहताज नहीं : हुमा कुरैशी

'नेटफिल्क्स' पर अपनी हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरिज 'लैला' के लिए लोकप्रियता बटोर रहीं हुमा कुरैशी का कहना है कि महिला किरदार अब पुरुषों की मोहताज नहीं रह गई है। सीरिज 'लैला' में हुमा शालिनी के किरदार में हैं जो अपनी बेटी लैला की तलाश कर रही है। इस सीरीज में मां का किरदार निभाने पर हुमा कुरैशी ने कहा कि ऑन स्क्रीन मां का किरदार निभाना बहुत मुश्किल था। मेरा किरदार शालिनी जो अपनी बेटी को बचाने के लिए लड़ती है वो काफी मुश्किल था। हुमा ने कहा, '' मुझे नहीं पता। कब तक यह सवाल पूछा जाएगा..लेकिन मेरे लिए यह बिल्कुल समृद्ध था। मुझे लगता है कि अब बहुत हो गया, कब तक चमकता हुआ कवच पहने एक योद्धा हमें बचाने के लिए आता रहेगा? कब आप अपनी जिंदगी के हीरो बनेंगे?'' बता दें कि 'लैला' प्रयाग अकबर की किताब पर आधारित है।

ऋतिक और कंगना की लड़ाई में 'बहन' भी शामिल

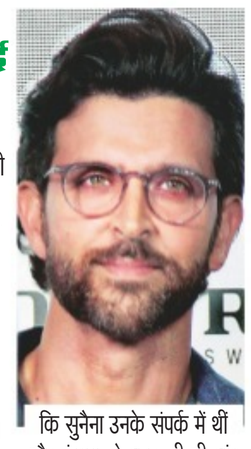

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और अभिनेता ऋतिक रोशन के बीच तीन साल पहले शुरू हुई जुबानी जंग हाल ही में उस समय एक बार और बढ़ गई जब कंगना की बहन ने एक विवादास्पद ट्वीट कर दिया। कंगना की बहन रंगोली चंदेल का दावा है कि ऋतिक रोशन की बहन सुनैना के साथ उनका परिवार ठीक तरह से व्यवहार नहीं कर रहा है। रंगोली अपनी बहन कंगना की तरफ से सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहती हैं। उन्होंने अपना दावा दोहराया कि सुनैना उनके संपर्क में थीं और कंगना से मदद की भी मांग की थी। वहीं ऋतिक की पूर्व पत्नी सुजैन खान ने कहा कि वह रोशन परिवार का हिस्सा रही हैं, इसलिए जानती हैं कि सुनैना काफी प्यारी और लोगों का खयाल रखने वाली है। ट्वीट पर ऋतिक की ओर से कोई बयान नहीं आया है।

राहुल बोले, पार्टी तय करेगी मेरा उत्तराधिकारी

कहा, रफाल विमान सौदे पर अपने पुराने रुख पर कायम

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 जून।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को स्पष्ट किया है कि वह खुद अपना उत्तराधिकारी नहीं चुनेंगे, बल्कि पार्टी इस संबंध में निर्णय लेगी। लोकसभा में पार्टी की करारी हार के बाद पद से इस्तीफे की पेशकश करने वाले राहुल अपने फैसले पर अटल हैं और उनके उत्तराधिकारी के तौर पर अलग-अलग नामों पर चर्चा हो रही है।

कांग्रेस अध्यक्ष गांधी ने संसद परिसर में गुरुवार को संवाददाताओं द्वारा यह पूछे जाने पर कि उनके बाद किसे कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाएगा, जवाब दिया कि उनके उत्तराधिकारी के बारे में वह निर्णय नहीं लेंगे। कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्लूसी) अध्यक्ष पद से राहुल के इस्तीफे के प्रस्ताव को खारिज कर चुकी है और उन्हें सभी स्तरों पर पार्टी का पुनर्गठन करने भी को कहा है। लेकिन इस्तीफे की पेशकश के करीब 25 दिन बाद भी राहुल तमाम मान-मनौव्वल के बावजूद अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं हैं।

नए कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम चर्चा में है। कहा जा रहा है कि संगठन में अपनी सूझबूझ का परिचय दे चुके गहलोत पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए ज्यादातर लोगों की पसंद हैं। यह दीगर बात है कि 25 मई को सीडब्लूसी की जिस बैठक में राहुल ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की थी, उस बैठक में उन्होंने सबसे ज्यादा नाराजगी गहलोत से ही जताई थी। राजस्थान में अपनी सरकार होने के बावजूद पार्टी के सभी 25 लोकसभा सीटों पर हार जाने से कांग्रेस अध्यक्ष खासे नाराज थे। बताते हैं कि उन्होंने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम से भी बताते हैं कि उन्होंने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम से भी अपनी नाराजगी जताई थी।

गांधी ने यह भी कहा कि आज भी उनका वही रुख है कि रफाल विमान सौदे में चोरी हुई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण में रफाल के जिक्र के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में गांधी ने संसद भवन में यह टिप्पणी की। गांधी ने कहा कि मेरा रुख आज भी वही है कि रफाल विमान सौदे में चोरी हुई है। दूसरी ओर राहुल के इस्तीफे और उनके उत्तराधिकारी को लेकर पूछने पर यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। संसद परिसर में संवाददाताओं द्वारा इस संबंध में पूछने पर उन्होंने कहा-नो कमेंट।

एएन-32 हादसे में मारे गए सभी 13 लोगों के शव बरामद

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 जून।

एएन-32 विमान हादसे में जान गंवाने वाले वायुसेना के सभी 13 कर्मियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। वायुसेना के प्रवक्ता के मुताबिक मौके से छह शव मिले हैं। मारे गए सात अन्य लोगों के पार्थिव अवशेष नहीं मिल सके हैं। छह शवों को अरुणाचल प्रदेश की परी पर्वतीय शृंखला स्थित दुर्घटनास्थल से विमान के जरिए पश्चिमी सियांग जिले के आलो लाया गया। वहां से इन शवों को जोरहाट स्थित वायुसेना के अड्डे पर ले जाया गया। सात अन्य लोगों के पार्थिव अवशेषों को दुर्घटनास्थल से लाए जाने का काम जारी है।

भारतीय वायुसेना ने एक हफ्ता पहले दुर्घटनास्थल पर विमान का मलबा तलाश लिया था। उसके बाद खोजी टीमें भेजी गई थीं। खराब मौसम की वजह से हवाई अभियानों में लगातार दिक्कत आ रही थी। एएन-32 विमान तीन जून को लापता हुआ था

● वायुसेना के प्रवक्ता के मुताबिक मौके से छह शव मिले हैं। मारे गए सात अन्य लोगों के पार्थिव अवशेष नहीं मिल सके हैं।

और इसके मलबे का पता 11 जून को चल पाया था।

रूस निर्मित यह एएन-32 विमान तीन जून की दोपहर असम के जोरहाट से चीन की सीमा के निकट मेनचुका एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड जा रहा था। उड़ान भरने के 33 मिनट बाद ही विमान का संपर्क टूट गया था। आठ दिनों तक चले खोजी अभियान के बाद विमान का मलबा अरुणाचल प्रदेश में सियांग और शी-योमी जिलों की सीमा पर गट्टे गांव के पास देखा गया था। भारतीय वायु सेना का विमान एएन-32 अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ी से टकराकर गहरी खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसके बाद से ही इसकी तलाश की जा रही थी। सेना के गरुण कमांडो, सेना के कुली और शिकारियों का एक दल इस विमान की तलाश कर रहा था। सेना ने इसकी बरामदगी के लिए स्थानीय शिकारियों की भी मदद ली थी।

एमआइ 17 हेलिकॉप्टर ने 11 जून को विमान के मलबे को ढूंढ़ा था। उसके बाद 15 पर्वतारोहियों की टीम को वहां भेजा गया था। बाद में तीन और पवर्तारोहियों को वहां भेजा गया था। घने जंगलों के बीच गहरी खाई में गिरे विमान के मलबे से शवों को निकालकर पैदल ही बाहर लाया जा रहा है।

इस में जो लोग सवार थे, उन्हें वायुसेना ने हादसे की पुष्टि होने के बाद मृत घोषित कर दिया था। इन लोगों के नाम हैं- विंग कमांडर जीएम चार्ल्स, स्क्वाड्रन लीडर एच विनोद, फ्लाइट लेफ्टिनेंट आर थापा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट ए तंवर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट एस मोहंती, फ्लाइट लेफ्टिनेंट एमके गर्ग, वारंट अफसर केके मिश्रा, सार्जेंट अनूप कुमार, कारपोरल शेरिन, लीड एअरक्राफ्ट मैन एसके सिंह, लीड एअरक्राफ्ट मैन पंकज, नॉन कांबैट पुताली, नॉन कांबैट राजेश कुमार।

कोर्ट में पेशी से छूट की प्रज्ञा की याचिका खारिज

पेज 1 का बाकी

इस हालत में नहीं हैं कि अदालत में मौजूद रह सकें। उन्होंने यह भी कहा कि वह साध्वी हैं और साधना के लिए उन्हें कठोर अनुशासन में रहना होता है।

इसके अलावा सांसद होने के नाते और पार्टी के आदेश पर उन्हें संसद के सत्रों में भाग लेना होता है, इसलिए उनके लिए यह संभव नहीं है कि वह हर हफ्ते मुंबई की यात्रा करके अदालत में हाजिर हो सकें।

एनआइए के विशेष न्यायाधीश वीएस पडालकर ने इस पर कहा कि ये आधार तर्कसंगत नहीं हैं। हालांकि, न्यायाधीश ने गुरुवार को उनको गैरहाजिर होने की अनुमति दे दी।

भ्रष्ट अफसरों को जबरन वीआरएस दिया जाए : योगी

लखनऊ, 20 जून (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्ट अधिकारियों के लिए कड़ा संदेश देते हुए गुरुवार को कहा कि ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की सरकार में कोई जगह नहीं है। सरकारी बयान में बताया गया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें जबरन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी जाए। योगी सचिवालय प्रशासन विभाग के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भ्रष्ट बाबुओं की सूची तैयार की जाए और सुझाव दिया कि उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए बाध्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने ई-आफिस प्रणाली में तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया, अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रोन्नति, पदों को भरे जाने और कर्मचारियों के रिटायरमेंट जैसे मुद्दों पर उचित कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए, उनका प्रमोशन रोक दिया जाए और उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय में जल्द ही बायोमीट्रिक सिस्टम शुरू किया जाएगा।

भारत ने ओमान की खाड़ी में दो युद्धपोत तैनात किए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 जून।

भारतीय नौसेना ने ओमान की खाड़ी में अपने दो युद्धपोत तैनात किए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ रहे तनाव और पिछले दिनों तेल के टैंकरों पर हुए हमले के बाद भारत ने एहतियात बरतते हुए यह कदम उठाया है।

नौसेना के प्रवक्ता कैप्टन डीके शर्मा ने गुरुवार को बताया, 'हमने विध्वंसक 'आइएनएस चेन्नई' और गश्ती पोत 'आइएनएस सुनायना' को 'ऑपरेशन संकल्प' के तहत ओमान की खाड़ी में तैनात किया है। यह कदम समुद्री इलाकों में सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।'

नौसेना ने अपने गश्ती लड़ाकू विमान पी-8 आइ को हवाई सर्वेक्षण के लिए तैनात किया है। कैप्टन शर्मा ने बताया, 'हिंद महासागर क्षेत्र का इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर भी खाड़ी क्षेत्रों में जहाजों की आवाजाही पर करीबी से नजर रख रहा है। इसे नौसेना ने दिसंबर 2018 में गुरुग्राम के सेंट्रल हब में स्थापित किया था।'

अमेरिका और कई अन्य देशों ने पिछले दिनों दो ऑयल टैंकरों पर हुए हमले का आरोप ईरान पर लगाया है। जबकि तेहरान ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। मामले को पूरी तरह समझने के बाद डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने 13 और 16 जून को सभी जहाजों को परामर्श जारी कर बताया था कि ये अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाएं। नौसेना ने अपने बयान में कहा, 'भारतीय नौसेना इस क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में शांति कायम रखने के लिए कार्यरत है।'

अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पिओ 25 से 27 जून तक भारत दौरे पर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 जून।

विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल पोम्पिओ 25 से 27 जून तक भारत का दौरा करेंगे। चुनाव के बाद से दोनों देशों के बीच यह पहली उच्च स्तरीय वार्ता होगी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि अपनी यात्रा के दौरान पोम्पिओ विदेश मंत्री एस जयशंकर व अन्य पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे।

रवीश कुमार ने कहा, 'हम इस दौरे को दोनों पक्षों के लिए रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने और परस्पर हित वाले मामलों पर उच्च स्तरीय बातचीत जारी रखने के महत्त्वपूर्ण अवसर के तौर पर देख रहे हैं।'

अपने दौरे में पोम्पिओ रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने को लेकर भारतीय नेतृत्व से बातचीत करेंगे। उनका यह दौरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 28-29 जून को जापान के ओसाका में जी20 शिखर वार्ता से इतर होने वाले वाली मुलाकात से पहले हो रहा है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि अपनी यात्रा के दौरान पोम्पिओ विदेश मंत्री जयशंकर तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात करेंगे।

कुमार ने कहा, 'हम इस दौरे को दोनों पक्षों के लिए रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने और परस्पर हित वाले मामलों पर उच्च स्तरीय बातचीत जारी रखने के महत्त्वपूर्ण अवसर के तौर पर देख रहे हैं।'

उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय ढांचे के तहत आने वाले ज्यादातर मुद्दों पर चर्चा होगी और कुछ बातचीत क्षेत्रीय एवं परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों पर भी होगी।

कुमार ने एच-1 बी कार्य वीजा को सीमित करने के अमेरिका के विचार को लेकर आ रही खबरों के बारे में पूछे जाने पर कहा, 'हमें अमेरिकी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। हम इस मामले पर अपनी बात दोहरा रहे हैं और अमेरिकी सरकार से बातचीत कर रहे हैं।'

छह पनडुब्बियों के निर्माण के लिए नौसेना ने जारी किया रुचिपत्र

नई दिल्ली, 20 जून (भाषा)।

भारतीय नौसेना ने 'मेक इन इंडिया' के तहत करीब 45 हजार करोड़ रुपए की लागत से छह पी-75 (आइ) पनडुब्बियों के निर्माण के लिए संभावित रणनीतिक भागीदारों को छांटने के वास्ते रूचिपत्र जारी किया है। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी।

नौसेना ने कहा कि इससे देश में पनडुब्बियों के निर्माण की दिशा में स्वदेशी डिजाइन तथा निर्माण की क्षमता विकसित होगी और परियोजना के हिस्से के तौर पर पनडुब्बी की आधुनिक डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी हासिल होगी। रक्षा खरीद परिषद ने इसे 31 जनवरी को मंजूरी दी थी। नौसेना ने कहा कि मूल उपकरण विनिर्माताओं के चयन के लिए दो सप्ताह में रुचिपत्र जारी किए जाएंगे। रणनीतिक भागीदारों को मूल उपकरण विनिर्माताओं के साथ मिलकर देश में इन पनडुब्बियों के निर्माण का संयंत्र लगाने को कहा गया है। इसके पीछे का उद्देश्य देश को पनडुब्बियों के डिजाइन एवं उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाना है।

ईरान ने मार गिराया अमेरिकी ड्रोन

पेज 1 का बाकी

मध्य कमान के प्रवक्ता एवं नौसेना कैप्टन बिल अर्बन ने एक बयान में कहा बीएएमएस- ड्रोन को एक ईरानी मिसाइल ने उस वक्त मार गिराया जब यह होर्मुज जलसंधि के ऊपर अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में था। उन्होंने कहा कि विमान के ईरान के हवाई क्षेत्र में होने की ईरानी रिपोर्ट झूठी है।

इससे पहले, रिवोल्यूशनरी गार्ड ने एक बयान में कहा कि अमेरिका निर्मित ग्लोबल हॉक निगरानी ड्रोन विमान को एक मिसाइल से निशाना बनाया गया। उस पर यह हमला उस वक्त किया गया, जब वह होरमोजगन प्रांत के जल क्षेत्र के ऊपर था। ईरानी सेना ने ड्रोन की तस्वीरें अभी प्रकाशित नहीं की है।

बताते चलें कि इस जल क्षेत्र में करीब हफ्ते भर पहले दो टैंकरों पर हमला हुआ था और अमेरिका ने इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया था। इस घटना से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। हालांकि, ईरान ने इसमें अपनी किसी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है।

ईरान ने संकेत दिया है कि अमेरिका ने ही यह हमला (जहाजों पर) कराया होगा ताकि इसी बहाने इस्लामी गणराज्य (ईरान) के खिलाफ बल प्रयोग किया जा सके। तसनीम समाचार एजंसी ने रिवोल्यूशनरी गार्ड प्रमुख हुसैन सलामी के हवाले से बताया कि ड्रोन विमान को गिराना ईरान की सीमाओं की हिफाजत करने वालों की ओर से एक स्पष्ट संदेश है। सलामी ने कहा कि हम यह घोषणा करते हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं लेकिन हम युद्ध की किसी भी घोषणा का जवाब देने के लिए तैयार हैं।

बताते चलें कि 2015 के ऐतिहासिक परमाणु करार से पिछले साल मई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हटने की घोषणा के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है।

बेतहाशा रो रहे छात्रों के वीडियो से विभागीय अफसर स्तब्ध

जम्मू, 20 जून (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर में अपनी कक्षा में बिना किसी स्पष्ट कारण के एक साथ बेतहाशा रो रहे तीन दर्जन से अधिक छात्रों के स्तब्ध कर देने वाले वीडियो ने राज्य शिक्षा प्राधिकारियों को पसोपेश में डाल दिया है जिसके बाद उन्होंने बच्चों को मनोवैज्ञानिक परामर्श मुहैया कराया है। इनमें अधिकतर लड़कियां हैं। कठुआ के एक स्कूल में 13 और 14 जून को हुई घटना से संबंधित वीडियो के सामने के तुरंत बाद प्राधिकारी हरकत में आ गए। वीडियो में नजर आ रहा है कि कठुआ के एक सरकारी स्कूल के करीब तीन दर्जन छात्र बेतहाशा रो रहे हैं और उनके अध्यापक उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं।

कठुआ प्रमुख शिक्षा अधिकारी प्रेम नाथ ने कहा कि 13 जून को स्थिति उतनी खराब नहीं थी लेकिन अगले दिन सुबह की सभा समाप्त होने के बाद बच्चे जब अपनी कक्षाओं में जा रहे थे, तब फिर उनका ऐसा व्यवहार देखा गया। नाथ ने बताया कि उन्होंने निकटवर्ती स्कूलों से टीमें तत्काल तैनात कीं और संबंधित एसडीएम एवं तहसीलदार के साथ चिकित्सकीय दल एवं एंबुलेंस स्कूल पहुंचे।

चिकित्सकीय दल ने बच्चों की जांच की और पाया कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने कहा कि हमने बच्चों के पिता से भी संपर्क किया और हमें बताया गया कि उनमें से कुछ छात्रों ने अपने घरों में भी ऐसा ही व्यवहार किया है। प्रेम नाथ ने कहा कि स्कूल में इसके बाद कुछ भी गलत नहीं हुआ और बच्चे सामान्य रूप से कक्षाओं में आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों की भलाई के लिए गुरुवार सुबह स्कूल में दो सदस्यीय 'मार्गदर्शन एवं परामर्श' टीम तैनात की गई।

इस बीच, डोडा में एक स्कूल के अध्यापक मोहम्मद यासीन चौधरी को निलंबित कर दिया गया। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अध्यापक छात्रों को कथित रूप से देर से आने पर निर्ममता से पीटता दिख रहा है।

बंगाल हिंसा में दो की मौत, चार घायल

पेज 1 का बाकी

के दौरान जमकर गोलियां और देसी बम चले। मौके पर पहुंचे पुलिसवालों को उत्तेजित भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। लेकिन पुलिस ने फायरिंग से इनकार किया है। भाटपाड़ा की हिंसा के ममता बनर्जी ने राज्य सचिवालय में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में परिस्थिति की समीक्षा की। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हिंसा में रामबाबू साव (17) नामक एक पानीपुरी विक्रेता की मौके पर मौत हो गई जबकि गंभीर रूप से घायल संतोष साव ने बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया।

इलाके में हिंसा उस समय शुरू हुई जब पुलिस महानिदेशक भाटपाड़ा थाने की नई इमारत के उद्घाटन के लिए वहां जाने वाले थे। उद्घाटन के एक घंटा पहले हुई हिंसा और बम धमाकों के चलते महानिदेशक बीच रास्ते से ही कोलकाता लौट आए। थाने का उद्घाटन स्थगित कर दिया गया है। हिंसा के बाद इलाके में तमाम दुकानें, बाजार और दफ्तर बंद हो गए। इस बीच, भाजपा नेता मुकुल राय ने दावा किया कि पुलिस की गोली से ही दो लोगों की मौत हुई है। बैरकपुर के भाजपा सांसद अर्जुन सिंह ने ताजा हिंसा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने भी दावा किया कि पुलिस की गोली से ही दोनों मौतें हुई हैं। सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री पुलिस को उकसा कर अशांति फैला रही हैं।

दूसरी ओर, गृह सचिव आलापन बनर्जी ने बताया कि मृतकों की शिनाख्त क्रमशः रामबाबू साव और संतोष साव के तौर पर की गई है। उन्होंने बताया कि हिंसा और आतंक की वजह से इलाके के लोग घर छोड़ कर भाग रहे हैं। गृह सचिव ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व और अपराधी पहले से ही इलाके में सक्रिय हैं और अब कुछ बाहरी तत्व भी उनके साथ मिलकर इलाके में अशांति फैला रहे हैं। सरकार भाटपाड़ा में कानून व व्यवस्था की स्थिति पर नजदीकी निगाह रख रही है।

अमित शाह को सीधे रिपोर्ट करेगी आइबी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 जून।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने मंत्रालय के 22 में 21 डिवीजनों के काम अपने राज्यमंत्रियों जी किशन रेड्डी और नित्यानंद राय को सुपुर्द कर दिए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी कार्य आबंटन पत्र के मुताबिक, सिर्फ एक डिवीजन खुफिया ब्यूरो (आइबी) सीधे गृह मंत्री को रिपोर्ट करेगी।

पिछली एनडीए सरकार में राज्य मंत्री किरेन रिजिजू को पूर्वोत्तर डिवीजन और हंसराज अहीर को जम्मू-कश्मीर डिवीजन दिया गया था। रिजिजू इस बार युवा एवं खेल मंत्रालयों के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बने हैं और चुनाव हार जाने के कारण हंसराज अहीर मंत्री नहीं बने हैं।

राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को राजनीति और सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माने जा रहे जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर मामलों, साइबर सुरक्षा, समेत 12 डिवीजन दिए गए हैं। इसमें केंद्र शासित प्रदेश, काउंटर रेडिकलाइजेशन, नक्सल हिंसा, पुलिस आधुनिकीकरण, महिला सुरक्षा, न्यायपालिका समेत अन्य डिवीजन सौंपे गए हैं।

दूसरी ओर, दूसरे राज्य मंत्री नित्यानंद राय को केंद्र-राज्य संबंध, आइपीएस अफसरों की

● गृह मंत्री ने 22 में से 21 डिवीजनों के काम अपने राज्य मंत्रियों को बांटे

ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़ा पुलिस-एक, विदेशी मामले, आपदा प्रबंधन, सीमा प्रबंधन, प्रशासनिक कार्य, अंतरराष्ट्रीय संबंधन समन्वय जैसे डिवीजन दिए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह आइबी के अतिरिक्त कैबिनेट और राष्ट्रपति भवन से जुड़े सभी मामले देखेंगे। यह पहली बार है कि जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के मामलों को एक ही मंत्री के हवाले किया गया है।

पिछली एनडीए सरकार में राज्य मंत्री किरेन रिजिजू को पूर्वोत्तर डिवीजन और हंसराज अहीर को जम्मू-कश्मीर डिवीजन दिया गया था। रिजिजू इस बार युवा एवं खेल मंत्रालयों के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बने हैं तो चुनाव हार जाने के कारण हंसराज अहीर मंत्री नहीं बने हैं। गृह मंत्री अमित शाह की हरी झंडी मिलने के बाद से कार्यों के बंटवारे से जुड़ा आदेश मंगलवार को जारी किया गया। एक अधिकारी के मुताबिक, इस वक्त संसद सत्र चल रहा है, ऐसे में सवालों के जवाब के लिए दो मंत्रियों की जरूरत थी। इसी सिलसिले में यह आदेश जारी किया गया है।

पूर्व आइपीएस अफसर संजीव भट्ट को उम्रकैद

पेज 1 का बाकी

उसकी मौत हुई। मुकदमे के दौरान अभियोजक तुषार गोकणी ने दलील दी कि मृतक को दी गई यातनाओं में भट्ट की भूमिका जाहिर है। भट्ट के खिलाफ यह मामला बरसों से लंबित था क्योंकि उनके और अन्य के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी राज्य सरकार ने नहीं दी थी। सरकार ने बाद में यह मंजूरी दी। भट्ट को 23 साल के एक अन्य व्यक्ति को मादक पदार्थ रखने के आरोप में कथित तौर पर फंसाने के मामले में पांच सितंबर 2018 को गिरफ्तार किया गया था। यह मामला फिलहाल विचाराधीन है।

बिहार में मरने वाले बच्चों की संख्या 124 हुई

पेज 1 का बाकी

जिले में मरने वाले बच्चों की संख्या अब 121 हो गई है। उन्होंने बताया कि उनके जिले में अब तक इस रोग से ग्रसित कुल 562 बच्चे भर्ती कराए गए जबकि स्वास्थ्य लाभ लेने के बाद 219 बच्चों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बुधवार तक 95 और निजी केजरीवाल अस्पताल में 19 बच्चों की मौत हो गई थी। मंगलवार को पूर्वी चंपारण जिले में एक बच्चे की और 16 जून को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक बच्चे और 13 जून को समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर में एक बच्चे की मौत हो गई थी।

इस बीच गोरखपुर के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. कफील खान, जिन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की कथित कमी के कारण एक अस्पताल में बड़ी संख्या में जापानी इंसेफेलाइटिस पीड़ित बच्चों की मौत के बाद पिछले साल निलंबित कर दिया गया था, अपनी सेवाएं देने मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जरिए जमानत पर रिहा किए जाने के बाद 'सभी के लिए स्वास्थ्य' अभियान का संचालन करने वाले डॉ. कफील मुजफ्फरपुर शहर के दामोदरपुर इलाके में एक शिविर लगाकर रोगी बच्चों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं।

कफील ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी दिमागी बुखार के लक्षणों के प्रबंधन के बारे में जागरुकता फैलाने के उद्देश्य से वीडियो जारी किया है।

प्रधानमंत्री ने सांसदों को दिया रात्रिभोज

पेज 1 का बाकी

समाज पार्टी (बसपा) और राजद के सांसद भी रात्रिभोज में अनुपस्थित रहे। होटल अशोक में आयोजित रात्रिभोज में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद के अलावा राजग और यूपीए के घटक दलों के विभिन्न नेता शामिल हुए। इनमें द्रमुक की कनिमोई, आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, भाजपा में शामिल हुए तेदेपा के तीन सांसद वाईएस चौधरी, सीएम रमेश और टीजी वेंकटेश भी शामिल थे।

भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि सांसदों ने प्रधानमंत्री के साथ एक बहुत अनौपचारिक माहौल में संवाद किया और वे उनके साथ सेल्फी लेते हुए देखे गए। उन्होंने कहा कि माहौल बहुत सौहार्दपूर्ण था। सूत्रों ने कहा कि जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री ने इस दौरान पूर्व लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन द्वारा निभाई गई भूमिका की प्रशंसा की।

लोकसभा में आज पेश होगा तीन तलाक पर रोक का विधेयक

पेज 1 का बाकी

हो गया था क्योंकि यह राज्यसभा में लंबित था। दरअसल, लोकसभा में किसी विधेयक के पारित हो जाने और राज्यसभा में उसके लंबित रहने की स्थिति में निचले सदन (लोकसभा) के भंग होने पर वह विधेयक निष्प्रभावी हो जाता है। सरकार ने सितंबर 2018 और फरवरी 2019 में दो बार तीन तलाक अध्यादेश जारी किया था। इसका कारण यह है कि लोकसभा में इस विवादास्पद विधेयक के पारित होने के बाद वह राज्यसभा में लंबित रहा था। मुसलिम महिला अध्यादेश, 2019 के तहत तीन तलाक के तहत तलाक अवैध, अमान्य है।

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR SECURITIES. NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

K.P.R. Agrochem Limited

Our Company was incorporated as *"K.P.R. Fertilisers Private Limited"* on January 2, 2007 as a private limited company under the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Andhra Pradesh. Our Company was converted into a public limited company and the name of our Company was changed to *"K.P.R. Fertilisers Limited"* pursuant to a fresh certificate of incorporation consequent upon change of name on conversion to public limited company dated December 19, 2008 issued by the Registrar of Companies, Andhra Pradesh. The name of our Company was then changed to *"K.P.R. Agrochem Limited" vide* a Certificate of Incorporation pursuant to change of name dated September 21, 2015 issued by Registrar of Companies, Hyderabad. For details of change in name and registered office of our Company, please refer to the chapter titled *"History and Certain Corporate Matters"* on page 214 of the Red Herring Prospectus.

Registered Office: Door No. 8-256, Tata Nagar, Balabhadrapuram – 533 343, Andhra Pradesh, India I **Telephone:** +91 8857 237 367/236 767 | **Fax:** +91 8857 237 333;
Email: ipo@kprgroup.net | **Website:** www.kpragrochem.com | **Contact Person:** Narayana Rao Poluri, Company Secretary and Compliance Officer;
Corporate Identity Number : U24129AP2007PLC052216

OUR PROMOTERS: PAPA REDDY KOVVURI, VENKATA MUKUNDA REDDY KARRI, RAJASEKHAR REDDY KOVVURI, SATYANARAYANA REDDY KOVVURI (S/O. VEERARAGHAVA REDDY KOVVURI), SATYANARAYANA REDDY KOVVURI (S/O. RAMACHANDRA REDDY KOVVURI) AND CRESCO TECHNOLOGY LLP

PUBLIC ISSUE OF [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF K.P.R. AGROCHEM LIMITED (OUR "COMPANY" OR "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE, AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION (THE "ISSUE") COMPRISING OF A FRESH ISSUE OF [●] EQUITY SHARES BY OUR COMPANY AGGREGATING UP TO ₹ 2,100 MILLION (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 12,000,000 EQUITY SHARES BY THE SELLING SHAREHOLDERS (AS DEFINED IN "DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS" ON PAGE 3 OF THE RED HERRING PROSPECTUS AND INCLUDING MEMBERS OF THE PROMOTER GROUP OF OUR COMPANY) AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION (THE "OFFER FOR SALE"). THE ISSUE COMPRISES A NET ISSUE TO THE PUBLIC OF [●] EQUITY SHARES (THE "NET ISSUE") AND A RESERVATION OF [●] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES FOR ALLOCATION AND ALLOTMENT ON A PROPORTIONATE BASIS (AS DEFINED IN THE RHP), NOT EXCEEDING 5% OF OUR POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL (THE "EMPLOYEE RESERVATION PORTION"). THE ISSUE AND THE NET ISSUE TO THE PUBLIC WOULD CONSTITUTE [●]% and [●]% RESPECTIVELY, OF OUR POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL.

- **QIB CATEGORY : UPTO 25% OF THE NET ISSUE**
- **NON INSTITUTIONAL INVESTOR CATEGORY : NOT LESS THAN 35% OF THE NET ISSUE**
- **RETAIL CATEGORY : NOT LESS THAN 40% OF THE NET ISSUE**
- **EMPLOYEE RESERVATION CATEGORY : UPTO 430,000 EQUITY SHARES**

Price Band: ₹ 59 to ₹ 61 per Equity Share of Face Value ₹ 10 each. The Floor Price is 5.90 times of the Face Value and the Cap Price is 6.10 times of the Face Value. Bids can be made for a minimum of 200 Equity Shares and in multiples of 200 Equity Shares thereafter. Discount of ₹ 3 to the Issue Price is being offered to Retail Individual Bidders and Eligible Employees bidding in the Employee Reservation Portion

Risks to Investors:

(i) The Merchant Banker associated with the Issue has handled 1 public issue in the past three years which has closed below the issue price on the listing date.

(ii) Average cost of acquisition per Equity Share by our Promoters is - 1) Papa Reddy Kovvuri ₹ 1.90, 2) Venkata Mukunda Reddy Karri ₹ 2.59, 3) Rajasekhar Reddy Kovvuri ₹ 2.48, 4) Satyanarayana Reddy Kovvuri (S/o. Ramachandra Reddy Kovvuri) ₹ 1.73, 5) Satyanarayana Reddy Kovvuri (S/o. Veera Raghava Reddy Kovvuri) ₹ 2.67, 6) Cresco Technology LLP ₹ 9.38, whereas the Issue Price at the upper end of the Price Band is ₹ 61.

BASIS FOR ISSUE PRICE

The Issue Price of ₹ [●] will be determined by our Company and the Selling Shareholders in consultation with the Book Running Lead Manager, on the basis of assessment of market demand through the Book Building Process and on the basis of qualitative and quantitative factors as described below. The face value of the Equity Shares is ₹ 10 and the Issue Price is 5.90 times the face value at the lower end of the Price Band and 6.10 times the face value at the higher end of the Price Band.

Investors should also refer to the section titled *"Risk Factors"* on page 18 and chapters titled *"Our Business"*, and *"Financial Statements"* on pages 180 and 256, respectively, of the Red Herring Prospectus to have an informed view before making an investment decision.

QUALITATIVE FACTORS

Some of the qualitative factors which form the basis for computing the Issue Price are:

- Wide agri-input product portfolio with presence across the agri-value chain;
- Strong and growing distribution network;
- Certified manufacturing facilities;
- Material sourcing capabilities;

For further details, see chapter titled *"Our Business"* on page 180 of the Red Herring Prospectus.

QUANTITATIVE FACTORS

Information presented in this section is derived from the Restated Consolidated Summary Statements and Restated Standalone Summary Statements presented in accordance with Ind AS, Companies Act and the SEBI ICDR Regulations.

Some of the quantitative factors which may form the basis for computing the Issue Price are as follows:

1. Basic and Diluted Earnings Per Share ("EPS") as per Restated Consolidated and Standalone Financial Information

Basic and Diluted EPS:

Fiscal	Consolidated (₹ per Equity Share) Basic and Diluted EPS	Standalone (₹ per Equity Share) Basic and Diluted EPS	Weight
2016	2.84	2.75	1
2017	2.66	2.55	2
2018	3.47	3.31	3
Weighted Average	3.10	2.96	
Nine month period ended December 31, 2018*	3.23	3.11	

*Not annualized

Notes: EPS has been calculated in accordance with the Indian Accounting Standard 33 – "Earning Per Share" issued by the ICAI. The face value of each Equity Share is ₹10 each. Further, the weighted average has been calculated as below:

a) Basic earnings per share = restated profit after tax attributable to equity shareholders for the year / weighted average number of shares outstanding during the year;

b) Diluted earnings per share = restated profit after tax attributable to equity shareholders for the year / weighted average number of diluted shares outstanding during the year.

2. Price / Earning (P/E) Ratio in relation to Issue Price of ₹ [●] per Equity Share

Particulars	Consolidated	Standalone
a) P/E ratio based on basic EPS for the year ended March 31, 2018 at the Lower end of the price band	17.00	17.82
b) P/E ratio based on diluted EPS for the year ended March 31, 2018 at the Lower end of the price band	17.00	17.82
c) P/E ratio based on basic EPS for the year ended March 31, 2018 at the Higher end of the price band	17.58	18.43
d) P/E ratio based on diluted EPS for the year ended March 31, 2018 at the Higher end of the price band	17.58	18.43
e) Industry P/E Multiple:*		
Highest		50.61
Lowest		10.43
Industry Composite		23.99

** The Industry high and low has been considered based on the standalone financials from the Industry Peer Set consisting of Coromandel International Limited, Chambal Fertilisers & Chemicals Limited, Deepak Fertilizers & Petrochemicals Corp Limited, Insecticides India Limited, Excel Crop Care Limited, Dhanuka Agritech Limited and Aarti Industries Limited. The Industry composite has been calculated as the arithmetic average standalone P/E of the Industry peer set provided below. For further details please see "Comparison with Listed Industry Peers" in para 6. herein.*

3. Return on Net Worth (RONW):

Fiscal	Consolidated	Standalone	Weight
2016	14.29	14.15	1
2017	11.78	11.59	2
2018	13.34	13.11	3
Weighted Average	12.98	12.78	
Nine month period ended December 31, 2018*	11.08	11.02	

** Not annualized*

Note: The return on net worth is arrived at by dividing restated net profit after tax by restated net worth, as at the end of the year / period.

4. Minimum return on increased net worth after the Issue required for maintaining pre-issue EPS at March 31, 2018.

	At the Lower end of the Price Band		At the Higher end of the Price Band	
Particulars	Consolidated (%)	Standalone (%)	Consolidated (%)	Standalone (%)
Basic EPS	8.88	9.15	8.79	9.06
Diluted EPS	8.88	9.15	8.79	9.06

5. Net Asset Value (NAV) per Equity Share

Particulars	NAV (₹ per Equity Share)	
	Consolidated	Standalone
NAV per Equity Share as of March 31, 2016	19.91	19.41
NAV per Equity Share as of March 31, 2017	22.59	21.97
NAV per Equity Share as of March 31, 2018	26.01	25.22
NAV per Equity Share as of December 31, 2018	29.14	28.23
NAV per Equity Share after the Issue	[●]	[●]
NAV per Equity Share at the Floor Price	37.28	37.92
NAV per Equity Share at the Cap Price	37.64	38.29
Issue Price per Equity Share	[●]	[●]

Note: Net Asset Value per Equity Share represents net worth at the end of the year / period, as restated divided by the number of Equity Sharesoutstanding at the end of the period / year.

'Net worth' has been defined as the aggregate of the paid up share capital, share premium account andreserves and surplus (excluding revaluation reserve) as reduced by the aggregate of the miscellaneous expenditure (to the extent not adjusted or written off) and the debit balance of the profit and loss account.

6. Comparison of Accounting Ratios with Industry Peers

We believe following is our peer group which has been determined on the basis of listed public companies comparable in the similar line of segments in which our Company operates i.e. manufacturing and sale of fertilisers, pesticides, and manufacturing of supplements for animal feeds whose business segment in part or full may be comparable with that of our business, however, the same may not be exactly comparable in size or business portfolio on a whole with that of our business.

Name of the company	Standalone/ Consolidated	Face Value (₹)	EPS (₹) [a]		RONW [b] (%)	NAV per Equity Share [a] (₹)	P/E Ratio[c] (x)
			Basic	Diluted			
K.P.R. Agrochem Limited	Standalone	10	3.31	3.31	13.11	25.22	[●]*
	Consolidated	10	3.47	3.47	13.34	26.01	[●]*
Peer Group**							
Coromandel International Limited	Standalone	1	22.57	22.50	20.79	108.48	19.62
	Consolidated	1	22.72	22.64	21.23	106.91	19.49
Chambal Fertilisers & Chemicals Limited	Standalone	10	11.54	11.54	16.57	69.64	14.06
	Consolidated	10	11.99	11.99	19.91	60.2	13.53
Deepak Fertilizers & Petrochemicals Corp Limited	Standalone	10	12.80	12.80	6.99	183.19	10.43
	Consolidated	10	18.60	18.60	8.02	231.98	7.18
Insecticides India Limited	Standalone	10	40.63	40.63	15.34	264.95	15.86
	Consolidated	10	40.78	40.78	15.39	265.07	15.80
Excel Crop Care Limited	Standalone	5	73.88	73.88	15.64	472.51	50.61
	Consolidated	5	73.74	73.74	15.19	485.57	50.70
Dhanuka Agritech Limited	Standalone	2	25.71	25.71	19.92	129.05	15.32
	Consolidated	2	25.71	25.71	19.92	129.05	15.32
Aarti Industries Limited	Standalone	5	38.92	38.92	20.88	186.37	42.04
	Consolidated	5	40.95	40.95	21.93	194.15	39.95

Above are for the financial year 2018.

**Based on the Issue Price to be determined on conclusion of book building process and the basic EPS of our Company.*

***Source: Respective peer groups' regulatory filings on BSE Limited.*

a) The basic and diluted EPS for peer companies is based on the respective peer group's regulatory filings with the BSE Limited for the Fiscal ended March 31, 2018;

b) The RONW and NAV per share for the peers have been computed based on the respective peer groups regulatory filings with the BSE Limited for the Fiscal ended March 31, 2018 as follows:

i. Return on Net Worth = Profit for the year (profit attributable to the parent company in case of consolidated)/Total equity (Paid up equity share capital plus reserves, excluding non-controlling interest in case of consolidated)

ii. Net Asset Value per share = Total Equity (Paid up equity share capital plus reserves, excluding revaluation reserves, excluding non-controlling interest in case of consolidated) / number of Equity Shares outstanding as at year.

c) The P/E figures for the peers is computed based on the closing price on the BSE (available at www.bseindia.com) as on April 9, 2019, divided by basic EPS based on the respective peer groups regulatory filings with the BSE Limited for the year ended March 31, 2018.

The Issue Price of ₹ [●] has been determined by our Company and the Selling Shareholders, in consultation with the Book Running Lead Manager on the basis of the assessment of market demand from investors for the Equity Shares determined through the Book Building Process and is justified based on the above qualitative and quantitative parameters. Investor should read the above mentioned information along with the section titled *"Risk Factors"* the on page 18 of the Red Herring Prospectus and the financials of our Company including important profitability and return ratios, as set out in the chapter titled *"Financial Statements"* on page 256 of the Red Herring Prospectus. The trading price of the Equity Shares could decline due to the factors mentioned in section titled *"Risk Factors"* on page 18 of the Red Herring Prospectus and an investor may lose all or part of his investment.

BID / ISSUE PROGRAM

OPENS ON: FRIDAY, 28th JUNE 2019* | CLOSES ON: TUESDAY, 2nd JULY 2019**

**Our Company and the Selling Shareholders may, in consultation with the BRLM, consider participation by Anchor Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations. The Anchor Investor Bid/Issue Period shall be one Working Day prior to the Bid / Issue Opening Date, i.e., Thursday, June 27th, 2019.*

***Our Company and the Selling Shareholders, in consultation with the BRLM, may consider closing the Bid/Issue Period for QIBs one Working Day prior to the Bid/Issue Closing Date in accordance with SEBI ICDR Regulations.*

ASBA# | **Simple, Safe, Smart way of Application- Make use of it !!!** | **# Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For details, check section on ASBA below.** | **Mandatory in Public Issues from January 01, 2016. No cheques will be accepted.**

UPI UNIFIED PAYMENTS INTERFACE **Now available in ASBA for retail individual investors**

Investors have to apply through the ASBA process. #ASBA has to be availed by all the investors except anchor investor. UPI may be availed by Retail Individual Investors. For details on the ASBA and the UPI process, please refer to the details given in ASBA form and abridged prospectus and also please refer to the section *"Issue Procedure"* beginning on page 536 of the RHP. The process is also mentioned in the General Information Document available on the website of Association of Investment Bankers of India (**"AIBI"**) and the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com. ASBA bid-Cum Application forms can be downloaded from the website of BSE Limited (**"BSE"**) and National Stock Exchange of India Limited (**"NSE"**) and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. List of banks supporting UPI is also available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. ICICI Bank Limited has been appointed as Sponsor Bank for the Issue, in accordance with the requirements of the SEBI circular dated November 1, 2018.

In case of revision to the Price Band, the Bid/Issue Period will be extended by at least three (3) additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the Bid/Issue Period not exceeding ten (10) Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Issue Period, if applicable, will be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a press release, and also by indicating the change on the website of the Book Running Lead Manager (**"BRLM"**), and at the terminals of the members of the Syndicate and by intimation to Self Certified Syndicate Banks (**"SCSBs"**), the Sponsor Bank, and other Designated Intermediaries, as applicable.

Pursuant to Rule 19(2)(b)(i) of the SCRR, the Issue is being made for at least 25% of the post-Issue paid-up Equity Share capital of our Company. The Issue is being made through a Book Building Process in accordance with the provisions of Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, wherein upto 25% of the Net Issue shall be allotted on a proportionate basis to QIBs. Our Company and the Selling Shareholders, in consultation with the BRLM may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors at the Anchor Investor Issue Price, on a discretionary basis, out of which at least one-third will be available for allocation to domestic Mutual Funds subject to valid bids being received at or above the Anchor Investor Issue Price. Such number of Equity Shares representing 5% of the QIB Portion (excluding Anchor Investor Portion) shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remaining QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above Issue Price. Further, not less than 35% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non Institutional Investors and not less than 40% of the Net Issue shall be available for allocation to Retail Individual Bidders, subject to valid Bids being received from them at or above the Issue Price, subject to availability of Equity Shares. For further details, please refer to the chapter *"Issue Procedure"* on page 536 of the Red Herring Prospectus.

Bidders / Applicants should note that on the basis of PAN, DP ID and Client ID as provided in the Bid cum Application Form, the Bidder may be deemed to have authorized the Depositories to provide to the Registrar to the Issue, any requested Demographic Details of the Bidder as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for unblocking of ASBA Account or for other correspondence(s) related to an Issue. Bidders/Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Bidders' sole risk. Bidders should ensure that PAN, DP ID and the Client ID are correctly filled in the Bid cum Application Form. The PAN, DP ID and Client ID provided in the Bid cum Application Form should match with the PAN, DP ID and Client ID available in the Depository database, otherwise, the Bid cum Application Form is liable to be rejected.

Retail Individual Bidders bidding using the UPI Mechanism must provide the UPI ID in the relevant space provided in the Bid cum Application Form and the Bid cum Application Form that does not contain the UPI ID are liable to be rejected.

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF OUR COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS: For information on the main objects and other objects of our Company, see *"History and Certain Corporate Matters"* on page 214 of the Red Herring Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section *"Material Contracts and Documents for Inspection"* on page 616 of the Red Herring Prospectus.

LIABILITY OF MEMBERS OF THE COMPANY: Limited by shares.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: The authorised share capital of the Company is ₹ 1,250,000,000 divided into 125,000,000 Equity Shares of ₹ 10 each. The issued, subscribed and paid-up share capital of the Company before the Issue is ₹ 854.64 million divided into 85,464,000 Equity Shares of ₹ 10 each. For details of the Capital Structure, see chapter titled *"Capital Structure"* beginning on page 97 of the Red Herring Prospectus.

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company: Papa Reddy Kovuri - 4,000 Equity Shares, Venkata Mukunda Reddy Karri - 3,000 Equity Shares, and Rajasekhar Reddy Kovvuri - 3,000 Equity Shares, aggregating to 10,000 Equity Shares of ₹ 10 each.

LISTING: The Equity Shares offered through the Red Herring Prospectus are proposed to be listed on BSE and NSE. Our Company has received in-principle approvals from BSE and NSE for listing of the Equity Shares pursuant to their letters dated April 25, 2018 and May 04, 2018, respectively. For the purposes of this Issue, BSE shall be the Designated Stock Exchange.

DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI"): It is to be distinctly understood that submission of the draft red herring prospectus to SEBI should not, in any way, be deemed or construed to mean that the same has been cleared or approved by SEBI. SEBI does not take any responsibility either for the financial soundness of any scheme or the project for which this issue is proposed to be made or for the correctness of the statements made or opinions expressed in the draft red herring prospectus. The investors are advised to refer to page 516 of the Red Herring Prospectus for the full text of the Disclaimer clause of SEBI.

DISCLAIMER CLAUSE OF THE BSE (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE): The exchange does not in any manner warrant, certify or endorse the correctness or completeness of any of the contents of the offer document or warrant that the Company's securities will be listed or will continue to be listed on the exchange or take any responsibility for the financial or other soundness of the Company, its promoters, its management or any scheme or project of the Company and it should not for any reason be deemed or construed that the offer document has been cleared or approved by the exchange. The investors are advised to refer to page 521 of the Red Herring Prospectus for the full text of the Disclaimer clause of BSE.

It is to be distinctly understood that the permission given by BSE to use their network and software of the Online IPO system should not in any way be deemed or construed that the compliance with various statutory requirements approved by BSE; nor does it in any manner warrant, certify or endorse the correctness or completeness of any of the compliance with the statutory and other requirements nor does it take any responsibility for the financial or other soundness of this Issuer, its Promoters, its management or any scheme or project of this Issuer. It is also to be distinctly understood that the approval given by BSE is only to use the software for participating in book building process.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE to use their network and software of the Online IPO system should not in any way be deemed or construed that the compliance with various statutory and other requirements by K.P.R. Agrochem Limited, BRLM, etc. are cleared or approved by NSE; nor does it in any manner warrant, certify or endorse the correctness or completeness of any of the compliance with the statutory and other requirements nor does it take any responsibility for the financial or other soundness of this Issuer, its Promoters, its management or any scheme or project of this Issuer.

It is also to be distinctly understood that the approval given by NSE should not in any way be deemed or construed that the offer document has been cleared or approved by NSE; nor does it in any manner warrant, certify or endorse the correctness or completeness of any of the contents of the prospectus; nor does it warrant that the securities will be listed or will continue to be listed on the Exchange. The investors are advised to refer to page 522 of the Red Herring Prospectus for the full text of the Disclaimer clause of NSE.

GENERAL RISK: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issuer and this Issue, including the risks involved. The Equity Shares offered in the Issue have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the section titled *"Risk Factors"* on page 18 of the Red Herring Prospectus.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
Prabhudas Lilladher — POWERING YOUR FINANCIAL GROWTH **PL CAPITAL MARKETS PRIVATE LIMITED** 3rd Floor, Sadhana House, 570, P. B. Marg, Worli, Mumbai - 400 018, India. **Telephone:** +91 22 6632 2222 | **Fax:** +91 22 6632 2229 | **Email:** kpripo@plindia.com **Website:** www.plindia.com | **Investor Grievance ID:** grievance-mbd@plindia.com **Contact Person:** Sahana Raghunathan / Rohan Menon | **SEBI Registration Number:** INM000011237	KARVY FINTECH **KARVY FINTECH PRIVATE LIMITED** Karvy Selenium Tower B, Plot No - 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032, Telangana, India. **Telephone:** +91 40 6716 2222 | **Fax:** +91 40 2343 1551 | **Email:** kpragrochem.ipo@karvy.com **Website:** www.karvyfintech.com | **Investor Grievance ID:** einward.ris@karvy.com **Contact Person:** Murali Krishna M | **SEBI Registration Number:** INR000000221	*K.P.R. Agrochem Limited* **Narayana Rao Poluri** Door No. 8 – 256, Tata Nagar, Balabhadrapuram, East Godavari – 533 343, Andhra Pradesh, India **Telephone:** +91 8857 237 367/236 767 | **Fax:** +91 8857 237 333 | **E-mail:** ipo@kprgroup.net | **Website:** www. kpragrochem.com Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer, BRLM or the Registrar to the Issue in case of any pre-Issue or post Issue related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders or non-receipt of funds by electronic mode.

AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Issue. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the BRLM to the Issue at www.plindia.com and websites of BSE and NSE i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively.

AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: K.P.R. Agrochem Limited, **Telephone:** +91 8857 237 367/236 767, **Fax:** +91 8857 237 333; BRLM: PL Capital Markets Private Limited, **Telephone:** +91 22 6632 2222, **Fax:** +91 22 6632 2229 and the Syndicate Member: Prabhudas Lilladher Private Limited, **Telephone:** +91 22 6632 2222, and at the select locations of the Sub-Syndicate Members, Registered Brokers, RTAs and CDPs participating in the Issue. Bid-cum-application Forms will also be available on the websites of BSE, NSE and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the Stock Exchanges and SEBI.

SYNDICATE MEMBER: Prabhudas Lilladher Private Limited.

SUB-SYNDICATE MEMBERS: Almondz Global Securities Limited, Anand Rathi Share & Stock Brokers Limited, Ashika Stock Broking Limited, Axis Capital Limited, Amit Jasani Financial Services Limited, Bonanza Portfolio Limited, Centrum Broking Limited, Edelweiss Securities Limited, Eureka Stock & Share Broking Services Limited, HDFC Securities Limited, Hem Securities Limited, ICICI Securities Limited, IDBI Capital Market Services Limited, IIFL Securities Limited, JM Financial Services Limited, Jobanputra Fiscal Services Private Limited, Karvy Stock Broking Limited, Kotak Securities Limited, LKP Securities Limited, Matalia Stock Broking Private Limited, Motilal Oswal Financial Services Limited, Nirmal Bang Securities Private Limited, Pravin Ratilal Share and Stock Brokers Limited, RR Equity Brokers Private Limited, SBICAP Securities Limited, Sharekhan Limited, SMC Global Securities Limited, SS Corporate Securities Limited, Systematix Shares and Stocks (India) Limited, Tradebulls Securities Private Limited, Viren M Shah, YES Securities (India) Limited.

APPLICATIONS SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA): All potential investors, other than Anchor Investors, are required to mandatorily utilise the ASBA process providing details of their respective bank account (including UPI ID in case of RIBs) which will be blocked by the SCSBs to participate in the Issue. Anchor Investors are not permitted to participate in the Anchor Investor Portion through the ASBA process. The investor is required to fill the Bid cum Application form and submit the same with the relevant SCSB or the Syndicate Member at the Specified Location or the Registered Brokers at the Broker Center or the RTA or the CDP. The SCSB will block the amount in the account as per the authority contained in the Bid cum Application form and undertake other tasks as per the specified procedure. On Allotment, the amount will be unblocked and the account will be debited only to the extent required to be paid for Allotment of Equity Shares. Hence, there will be no need for refunds for any category of investor, except Anchor Investors. For more details on the ASBA process, please refer to the section, *"Issue Procedure"* beginning on page 536 of the Red Herring Prospectus.

BANKERS TO THE ISSUE / SPONSOR BANK / ESCROW COLLECTION BANK: ICICI Bank Limited.

REFUND BANK: ICICI Bank Limited.

All capitalised terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.

For K. P. R. AGROCHEM LIMITED
On Behalf of the Board of Directors
Sd/-
Whole time Director and Executive Director

Place: Balabhadrapuram
Date: June 20, 2019

K. P. R. Agrochem Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make a public Issue of its Equity Shares and has filed the Red Herring Prospectus with Registrar of Companies Andhra Pradesh at Vijayawada. The Red Herring Prospectus shall be available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the BRLM to the Issue at www.plindia.com and websites of BSE and NSE i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively. Bidders should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see the Red Herring Prospectus, including, the section titled *"Risk Factors"* beginning on page 18 of the Red Herring Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and any applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being offered and sold outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the Securities Act and the applicable laws of the jurisdictions where such offers and sales are made. There will be no public offering in the United States.

Raka

एक्ज़िम बैंक EXIM BANK
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

ऋण आस्ति की बिक्री

भारतीय निर्यात-आयात बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप ई-नीलामी/स्विस चैलेंज मैथड द्वारा पात्र संस्थाओं अर्थात बैंकों/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/वित्तीय संस्थाओं आदि को एक अर्जक ऋण आस्ति की बिक्री प्रस्तावित है, जिसका प्रिंसिपल बकाया 69,837,500 यूएस डॉलर प्लस नीलामी की तारीख तक उपचित ब्याज है।

विवरण : https://www.eximbankindia.in/tenders-and-notices पर।

'मॉनसून के आज गोवा पहुंचने की संभावना'

पणजी। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के लगभग एक पखवाड़े की देरी के बाद शुक्रवार को गोवा पहुंचने का अनुमान है।

मौसम विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।अधिकारी ने कहा कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में बीते कुछ दिनों से मॉनसून पूर्व बारिश हो रही है और यह गुरुवार को भी जारी रहेगी। (भाषा)

SBI भारतीय स्टेट बैंक
आर.ए.सी.पी.सी.- प्रथम तल, स्थानीय मुख्यालय, मोती महल मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ-226001

शुद्धि-पत्र

इस समाचार पत्र के लखनऊ संस्करण में दिनांक 20.06.2019 को प्रकाशित **श्रीमती प्रभा सिंह पत्नी श्री धनेश प्रताप सिंह** के कब्जा नोटिस का संदर्भ ग्रहण करें। **कब्जा नोटिस {नियम 8 (1) के तहत चल सम्पत्ति}** के स्थान पर **कब्जा नोटिस {नियम 6 (1) के तहत चल सम्पत्ति}** पढ़ा जाये। अन्य विवरण पूर्ववत है।

प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

महाराष्ट्र के सतारा में कम तीव्रता के भूकम्प के दो झटके

पुणे, 20 जून (भाषा)।

महाराष्ट्र के सतारा जिले में गुरुवार सुबह 4.8 और 3.0 तीव्रता वाले भूकम्प के दो झटके महसूस किए गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

सतारा जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि अब तक जानमाल के किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। उन्होंने कहा कि भूकम्प महसूस होने पर कुछ इलाकों में लोग घरों से बाहर निकल आए।

भारतीय मौसम विभाग के यहां स्थित केंद्र के एक अधिकारी ने कहा कि पुणे से करीब 120 किमी दूर सतारा में भूकम्प का पहला झटका सुबह 7:47 पर महसूस किया गया, जबकि दूसरा झटका आठ बजकर 27 मिनट पर आया। उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे झटके के लिए भूकम्प का केंद्र जमीन के 10 किलोमीटर और पांच किलोमीटर नीचे दर्ज किया गया।

रांची में योग दिवस समारोह की अगुवाई करेंगे प्रधानमंत्री

शाह रोहतक और राजनाथ दिल्ली में होंगे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 जून।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत शीर्ष पदाधिकारी तथा भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता शुक्रवार को देश भर में आयोजित होने जा रहे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री के शामिल होने के मद्देनजर रांची के प्रभात तारा मैदान में तगड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं।

इस मौके पर प्रधानमंत्री रांची में विशाल कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अमित शाह रोहतक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा नई दिल्ली में दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर भगवा पार्टी के मुख्यालय के सामने स्थित पार्क में पार्टी के अन्य नेताओं के साथ योग करेंगे।

अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि इसके अलावा लोकसभा के नवनिर्वाचित ओम बिड़ला संसद भवन परिसर में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 21 जून को विश्व भर में मनाए जाने वाले दिन को मनाने के लिए दिल्ली में कई कार्यक्रमों के आयोजन की योजना है। नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी और बड़ी संख्या में लोगों के साथ राजपथ में सुबह-सुबह होने वाले योग सत्र में हिस्सा लेंगे।

भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि प्रदेश भाजपा राष्ट्रीय राजधानी में करीब 300 योग सत्र का आयोजन करेगी, जिसमें करीब 10 लाख लोगों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, 'भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर 40 बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।' केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर शाहदरा के यमुना क्रीड़ा परिसर में योग सत्र में शामिल होंगे।

दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे अन्य केंद्रीय मंत्रियों में रविशंकर प्रसाद (हौज खास), पीयूष गोयल (लोधी गार्डन), हर्षवर्धन (कुदसिया गार्डन, सिविल लाइंस), स्मृति ईरानी (दादा देव ग्राउंड, राज नगर), थावर चंद गहलोत (संगम विहार), धर्मेंद्र प्रधान (तालकटोरा गार्डन), रमेश पोखरियाल (बुराड़ी), मुख्तार अब्बास नकवी (रामजस खेल मैदान, पटेल नगर) और अर्जुन मुंडा (लाडो सराय) समेत अन्य शामिल हैं। ये कार्यक्रम सुबह साढ़े छह बजे से शुरू होंगे।

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालय: कार्यपालक अभियंता (सी) डीआर-II
दिल्ली गेट एसटीपी फेज-II, दिल्ली सचिवालय के सामने, आई पी इस्टेट, नई दिल्ली-110002
ईमेल: eecdr2@gmail.com एनआईटी सं. 02 (2019-20) ईई (सी) डीआर II
निविदा आईडी: 2019_DJB_174396_1

क्रम सं.	कार्य का विवरण	निविदा राशि (रु.)	धरोहर राशि (रु.)	निविदा शुल्क (रु.)	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	आश्रम चौक में प्रस्तावित अंडरपास के एलाइन्मेन्ट में आने वाले 2X1200 एमएम डाया सीवरेज पम्पिंग मैन का स्थानांतरण	22870308/-	229000/-	1000/-	17.6.2019	10.7.2019 3.00 बजे अप. तक।

पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी हस्ता./-
विज्ञा.सं. जे.एस.वी. 2019-20/87 (आर. जी. सारस्वत)
कार्यपालक अभियंता (सी) डीआर-II

दिल्ली जल बोर्ड: दिल्ली सरकार

कार्यालय: कार्यपालक अभियंता (दक्षिण) IV
ओ.एच.टी.ओ.आई.ए. फेज-II, गोविन्दपुरी के सामने, नई दिल्ली-20,
ईमेल: eesouthiv498@gmail.com/ टेली. 011-26388976

शुद्धिपत्र

एनआईटी सं. 10

एनआईटी सं. 10 एस-IV (2019-20) के आंशिक संशोधन में तकनीकी बोली खुलने की तिथि 22.06.2019 की जगह तकनीकी बोली खुलने की तिथि 4.7.2019 पढ़ें।
अन्य विवरण पूर्ववत रहेंगे।

हस्ता./-
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019-20/86 कार्यपालक अभियंता (दक्षिण)-IV

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालय: कार्यपालक अभियंता (एनई) II
आर-पॉकेट, दिलशाद गार्डन, दिल्ली- 95
प्रैस एनआईटी सं. 04 (2019-29)

क्रम सं.	कार्य का विवरण	निविदा राशि	ईएमडी राशि	निविदा शुल्क	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1	मुस्तफाबाद एसी-69 में रोशन विहार के गली नं. 10, 11 तथा शेष गलियों में पुराने/ गहरे/ क्षतिग्रस्त 100 एमएम डाया सीआई वाटर लाइन का विस्थापन। निविदा आईडी नं. 2019_DJB_174509_1	2684500/-	54000/-	500/-	19.6.2019	4.7.2019 के 2.30 बजे अप. तक।

पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी हस्ता./-
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019-20/ 89 कार्यपालक अभियंता (एनई)- II

पूर्वोत्तर रेलवे **ई-निविदा सूचना**

निम्नलिखित कार्य के लिये ई-निविदायें भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप मुख्य विद्युत इंजीनियर, यांत्रिक कारखाना, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर द्वारा आमन्त्रित की जाती है:-

निविदा सूचना संख्या EL-WS-GKP-2019-05

निविदा सूचना सं० एवं कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	बयाने की राशि
EL-WS-GKP-2019-05 हायरिंग आफ वन नान ए.सी. मल्टी यूटिलिटी वेहीकल फार द आफिस आफ डिप्टी सी.इ.इ. मैकेनिकल वर्कशाप, गोरखपुर, फार ट्वेल्व मन्थ्स।	₹ 3,41,312.52	₹ 6,800/-
	ई-निविदा फार्म का मूल्य: ₹ 1,000/-	

कार्य पूर्ण करने की समय/अवधि स्वीकार पत्र जारी होने के तिथि से: 12 माह
● **आन लाइन ई-निविदायें जमा करने की तिथि: 12-07-2019** समय 15:00 बजे तक।
● पूर्ण विवरण एवं निविदा की प्रस्तुति करने के लिये भारतीय रेल के वेबसाइट http://www.ireps.gov.in पर देखें।
मुजाधि/विद्युत-34 **उप मुख्य विद्युत इन्जीनियर (कार.)/गोरखपुर**
यात्री सुविधा सम्बन्धित शिकायत हेतु मो० नं०: 09794845956 पर एसएमएस करें
गाड़ियों की छतों व पावदान पर कदापि यात्रा न करें।

सार्वजनिक सूचना
प्ररूप संख्या आईएनसी-26
केन्द्रीय सरकार के समक्ष उत्तरी क्षेत्र
कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13(4) व कम्पनीज (इनकार्पोरेशन) नियम 2014 के नियम 30(6) (a) के अर्न्तगत प्रकरण
एवं
एमपी पब्लिर्सस प्राईवेट लिमिटेड (CIN: U22222UP2014PTC067064) जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. ए-1-4, सेक्टर-7, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, यूपी 201301 है, E-mail: ravisingh@orientfashions.com Tel No. : 011-42600000 के प्रकरण में .....वादी/आवेदक
कम्पनी ने असाधरण आम सभा की 18 मई 2019 को हुई बैठक में अपना पंजीकृत कार्यालय उत्तर प्रदेश राज्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा में परिवर्तित करने हेतु विशेष प्रस्ताव पारित किया था। सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि तदनुसार कम्पनी अपने मैमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन में होने वाले बदलाव की पुष्टि हेतु केन्द्र सरकार के समक्ष कम्पनी कानून 2013 की धारा 13 के अर्न्तगत आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखती है। कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तावित परिवर्तन से अगर किसी व्यक्ति के हितों पर कोई प्रभाव पड़ने का अनुमान है तो अपनी आपत्ति, अपने हितों की प्रकृति और आपत्ति के आधार को स्पष्ट करने वाले शपथ पत्र सहित पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 फोन: 011-24366038, फैक्स: 011-24366039 के पते पर इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 दिन के अन्तर्गत भेज सकते है। आपत्ति पत्र की एक प्रति कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय लॉट नं. ए-1-4, सेक्टर-7, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, यूपी 201301 पर भी भेजें।
दिनांक: 21.06.2019 आवेदक के लिए और उसकी तरफ से
स्थान: नोएडा, उत्तर प्रदेश विनीत सुरेश सेठी
निदेशक (डीआईएन-00284866)

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
केंद्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में
तथा
अगटोस कन्ट्रोल एवम सलूशन प्राईवेट लिमिटेड सी.आई.एन.- U72200DL2012PTC245368 जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय **प्लॉट नं. 483, तीसरा तल, ब्लॉक-डी, रामफल चौक, सेक्टर-7, पालम एक्स्टेंशन, द्वारका, नई दिल्ली-110075** में स्थित है, के मामले में, ----- आवेदक
एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए **शुक्रवार, 15 मार्च, 2019** को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित स्थानांतरण में यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप दाखिल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लेखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारिख से 14 दिनों के भीतर बी-2, विंग, सेकंड फ्लोर, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर **प्लॉट नं. 483, तीसरा तल, ब्लॉक-डी, रामफल चौक, सेक्टर-7, पालम एक्स्टेंशन, द्वारका, नई दिल्ली-110075** पर भेजें।
कृते एवं के लिए
अगटोस कन्ट्रोल एवम सलूशन प्राईवेट लिमिटेड
तिथि: 20.06.2019 हस्ता./- **शैलेन्द्र कुमार**
स्थान: दिल्ली (**निदेशक**) डिन: 06393932

SBI भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा-I
12वां तल, जवाहर व्यापार भवन, एसटीसी बिल्डिंग, 1 टॉल्स्टॉय मार्ग, जनपथ, नई दिल्ली-110001, ई-मेल sbi.04109@sbi.co.in

नियम-8 (1) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के **अन्तर्गत कब्जा सूचना**
जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन **भारतीय स्टेट बैंक, 12वां तल, जवाहर व्यापार भवन, एसटीसी बिल्डिंग, 1 टॉल्स्टॉय मार्ग, जनपथ, नई दिल्ली-110001** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 की अधिसूचना 54) के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत (1) **मैसर्स जेकेएम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लि.**, सी-84, बेसमेंट, ग्रेटर कैलाश, पार्ट- I, नई दिल्ली - 110048, और: ए-14, प्रथम तल, सैक्टर -7, सिटी नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी.-201301, और: ए-28, सैक्टर-9, सिटी नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, यू.पी.- 201301, (2) श्री राम किशोर जालान (एमडी और प्रमोटर) सी-84, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली-110048 (3) श्री गौरव जालान (निदेशक और प्रमोटर) सी-48, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली-110048, और: 34, ईश्वर नगर, नई दिल्ली -110065, (4) श्री वैभव जालान (प्रमोटर) सी-84, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली -110048 (5) सुश्री मीरा जालान, 34, ईश्वर नगर, नई दिल्ली -110065, (6) सुश्री मनीषा गर्ग, सी-84, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश, पार्ट- I, नई दिल्ली, 110048 (7) श्री अनिल गर्ग सी-84, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश, पार्ट- I, नई दिल्ली-110048, (8) सुश्री चंदा देवी, 34, ईश्वर नगर, नई दिल्ली -110048 को एक मांग नोटिस दिनांक **16.08.2018 और तदोपरान्त नोटिस दिनांकित 07.09.2019** को जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि **रू 536,33,69,074/- (रु. पाँच सौ छत्तीस करोड तैतीस लाख उनहत्तर हजार चौहत्तर मात्र) दिनांक 16.08.2018 तक ब्याज की गणना, साथ में भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चे और लागत इत्यादि सहित** उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।
कर्जदार/गारंटर उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार और गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **18.06.2019** को लिया है।
विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **भारतीय स्टेट बैंक, 12वां तल, जवाहर व्यापार भवन, एसटीसी बिल्डिंग, 1 टॉल्स्टॉय मार्ग, जनपथ, नई दिल्ली-110001 के प्रभार वास्ते राशि रू 536,33,69,074/- (रु. पाँच सौ छत्तीस करोड तैतीस लाख उनहत्तर हजार चौहत्तर मात्र) दिनांक 16.08.2018 तक ब्याज की गणना, साथ में लागत इत्यादि सहित के अधीन होगा।**
कर्जदार(रो) का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

चल/अचल संपत्ति का विवरण
(1) सम्पत्ति पर मालिकाना हक : मैसर्स जेकेएम इन्फ्रा प्रौजेक्ट्स लि.
सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि भूमि एवं भवन प्लॉट नं. 138, ब्लॉक-डी, सैक्टर-51, नोएडा, यू.पी में स्थित, क्षेत्रफल 300 वर्ग मी. और चौहद्दी : पूरब में - प्लॉट नं. डी-139, पश्चिम में - प्लॉट नं. डी-137, उत्तर में - 60फीट चौडी रोड, दक्षिण में - प्लॉट नं. डी-139
(2) सम्पत्ति पर मालिकाना हक : मैसर्स जेकेएम इन्फ्रा प्रौजेक्ट्स लि.
सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि भूमि एवं भवन ए-28, ब्लॉक-ए, सैक्टर-9, नोएडा, यू.पी में स्थित, क्षेत्रफल 800 वर्ग मी., चौहद्दी : पूरब में - प्लॉट नं. 27, पश्चिम में - प्लॉट नं. 29, उत्तर में - 40फीट चौडी रोड, दक्षिण में - अन्य की सम्पत्ति
(3) सम्पत्ति पर मालिकाना हक : श्री आर.के. जालान
सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि भूमि एवं भवन सी-84, बेसमेंट, जीके- I, नई दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 300 वर्ग गज, चौहद्दी : पूरब में - 50फीट चौडी रोड, पश्चिम में - सर्विस लेन, उत्तर में - प्लॉट नं. सी-82, दक्षिण में - प्लॉट नं. सी-86
(4) सम्पत्ति पर मालिकाना हक : श्रीमती मीरा जालान
सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि भूमि एवं भवन सी-84, भूतल, जीके- I, नई दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 300 वर्ग गज लगभग, तल का क्षेत्रफल 2100 वर्ग फीट, चौहद्दी : पूरब में - 50फीट चौडी रोड, पश्चिम में - सर्विस लेन, उत्तर में - प्लॉट नं. सी-82, दक्षिण में - प्लॉट नं. सी-86
(5) सम्पत्ति पर मालिकाना हक : श्री अनिल गर्ग और श्रीमती मनीषा गर्ग
सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि भूमि एवं भवन, जी-1354, एलजीएफ, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 1400 वर्ग फीट लगभग, चौहद्दी : पूरब में - पार्क रोड, पश्चिम में - सर्विस लेन, उत्तर में - प्लॉट नं. जी-1353, दक्षिण में - रोड
(6) सम्पत्ति पर मालिकाना हक : श्री अनिल गर्ग और श्रीमती मनीषा गर्ग
सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि भूमि एवं भवन, ई-174 (बेसमेंट), अमर कॉलोनी, लाजपत नगर, नई दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 900 वर्ग फीट, चौहद्दी : पूरब में - सर्विस लेन, पश्चिम में - प्रवेश / पार्क, उत्तर में - प्लॉट नं. ई-175, दक्षिण में - प्लॉट नं. ई-73/172
दिनांक : 18-06-2019, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

उ.प्र. पावर ट्रॉसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड
अल्पकालीन ई-निविदा सूचना
इलेक्ट्रॉनिक निविदा निम्नलिखित कार्यों हेतु दो भागों में अलग-अलग ई-टेण्डर इच्छुक, ख्याति प्राप्त, जी.एस.टी. रजिस्टर्ड, अनुभव युक्त एवम् पैनकार्ड धारक जो व्यापार कर विभाग में पंजीकृत हो तथा आयकर अदेय प्रमाण पत्र रखते हों, फर्मों से निम्नांकित विवरणानुसार धरोहर राशि व निविदा लागत सहित आमंत्रित किए जाते हैं। निविदा से सम्बन्धित समस्त अभिलेख एवम् शर्तें ई-टेण्डर पोर्टल www.etender.up.nic.in पर दिनांक 27.06.2019 से 05.07.2019 को 17.00 बजे तक डाउनलोड किए जा सकेंगे। बिड दिनांक 05.07.2019 के 17.00 बजे तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन जमा कर दी जानी चाहिए एवम् ऑनलाइन समस्त ई-टेण्डर दिनांक 06.07.2019 को 13.00 बजे कार्यालय की सक्षम ई-टेण्डर कमेटी विद्युत प्रेषण खण्ड फतेहपुर द्वारा खोली जाएगी। निविदा के प्रथम भाग में अनुभव प्रमाण पत्र एवं शर्तें संलग्न, धरोहर राशि निविदा के समक्ष अंकित धनराशि जो कि इलेक्ट्रानिक फण्ड ट्रान्सफर (आर.टी.जी.एस/एन.ई.एफ.टी.) के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, 220 विद्युत प्रेषण खण्ड-फतेहपुर के चालू खाते में देय तथा द्वितीय भाग में कार्य/आपूर्ति विवरण एवम् दरें होनी चाहिए। यदि निविदा खुलने का दिवस अवकाश का दिवस है तो निविदा अगले कार्य दिवस में पूर्व निर्धारित समय पर खोली जाएगी। अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि व किसी भी निविदा को या सभी निविदाओं को बिना किसी कारण बताएं अस्वीकार/ निरस्त कर सकते हैं। क्र.सं. 1, निविदा संख्या E-T_08/19-20, कार्य का संक्षिप्त विवरण वि.प्रे.खं. फतेहपुर के अधीन 220/132 के.वी. विद्युत प्रेषण उपकेन्द्र-फतेहपुर में 200 एम.वी.ए. ट्रॉन्सफार्मर बे में स्थापित 245 के.वी. ए.बी.बी. मेक सर्किट ब्रेकर के वाई फेस के मेन ड्राइव के अनुरक्षण का कार्य। धरोहर राशि 1000/-, निविदा अपलोड करने का दिनांक कब से 27.06.2019, निविदा अपलोड करने का दिनांक कब तक 05.07.2019, निविदा खुलने का दिनांक 06.07.2019 **"राष्ट्रहित में बिजली बचाएं"** हस्ता./- **अधिशासी अभियंता विद्युत प्रेषण खण्ड-फतेहपुर**
पत्रांक: 410/ **वि.प.ख.(फ)/ टेन्डर नोटिस**
दिनाक:- 20.06.2019

शुद्धिपत्र
इस समाचार पत्र में 19.06.2019 को प्रकाशित फॉर्म जी में कार्पोरेट ऋणी के नाम को आइआरइओ फाइवरिवर प्रा. लि. पढ़ा जाए।
कंवल चौधरी
मै. आइआरइओ फाइवरिवर प्रा. लि.
के विषय में प्रस्ताव पेशेवर,
IBB/IPA-002/IP-N00207/2017-18/10661
मेल: kanwalchaudhary@gmail.com

प्रारूप संख्या 25क
क्षेत्रीय निदेशक कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष नॉर्थेर्न रीजन नई दिल्ली
कंपनी अधिनियम 2013 कंपनी अधिनियम की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में
मेसर्स **"दून इंडस्ट्रियल फण्ड लिमिटेड (CIN:U17122UP1973PLC089062) जिसका पंजीकृत कार्यालय महमूदाबाद एस्टेट बिल्डिंग, 15-हज़रतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001,** में स्थित है के मामले में, **आवेदक**
आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि कंपनी को ऐसे संपरिवर्तन का अधिकार देने के लिए तारीख 17.06.2019 को आयोजित विशेष आम अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प कि शर्तों के अनुसार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में संपरिवर्तन करने कि इच्छा रखने वाली कंपनी ने पूर्वोक्त नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 कि धारा 14 के अधीन आवेदन किया है।
कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति के कारण यदि किसी व्यक्ति के हित पर प्रभाव पड़ने कि संभावना है तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन कि तारीख से 14 दिन के भीतर निम्नलिखित पते पर आवेदक कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय को भेजी गई प्रति सहित किसी हलफनामे द्वारा अपनी आपत्ति भेज सकता है या किसी के माध्यम से भिजवा सकता है या रजिस्ट्रीकृत पोस्ट द्वारा भेज सकता है जिसमे सम्बंधित क्षेत्रीय निदेशक कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नॉर्थेर्न रीजन नई दिल्ली को उसके हित और आपत्ति के आधार की प्रकृति का उल्लेख किया जायेगा।
आवेदक के लिए या उसकी ओर से
अमिताभ तायल
निदेशक
Din: 00556569
मेसर्स **"दून इंडस्ट्रियल फण्ड लिमिटेड**
पंजीकृत कार्यालय : महमूदाबाद एस्टेट बिल्डिंग, 15-हज़रतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001"
तारीख : 20.06.2019 स्थान : लखनऊ

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank
Branch Office: Farrkhnagar (U.P.) Loni Block, Ghaziabad, Distt. Farrukhnagar, UP- 201006
E-mail: br.8764@syndicatebank.co.in

कब्जा नोटिस
8(1), नियम के तहत, सुरक्षा प्रवर्तन नियम, 2002
जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक शाखा गाजियाबाद का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(2) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 02.04.2019, को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता ईश्वर दयाल, रामबीर कसाना खाताधारक हैं को मांग नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर राशि रू.- 1020005.4/- (रूपये दस लाख बीस हजार पांच और चार पैसे केवल) अदा करने की तिथि उस पर ब्याज अदा करने को कहा गया था।
ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त अधिनियम के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 15 जून 2019 को निम्नलिखित वर्णित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से संपत्तियों के मालिक तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन सिंडिकेट बैंक, फारूखनगर शाखा को देय धनराशि रू.- 1037114.80/- अदा करने की तिथि तथा उस पर ब्याज अदा करने को कहा गया था।
अचल संपत्तियों का विवरण
प्लॉट जिसकी माप 198 स्क्वेयर यार्डस खसरा नं0. 643, गांव शरीफाबाद राजपुर, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद मालिक रामबीर पुत्र भीम सिंह। **जिसकी सीमाऐ- उत्तर** में महाबीर का प्लॉट, **दक्षिण** में महेन्द्र का आवास, **पूर्व** में हरबीर सिंह का आवास और **पश्चिम** में रास्ता 15 फिट।
दिनांक: 15.06.2019 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान: फारूखनगर। **सिंडिकेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय**

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank Faithful. Friendly
धरुहेरा, सोहना रोड, एनएच-2, रेवाड़ी जिला धरुहेरा हरियाणा -123106
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति के लिए) {अधिनियम - नियम-8 (1) के अंतर्गत परिशिष्ट IV}
जैसा कि,
वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम सं. 54) के अंतर्गत **सिंडिकेट बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि **11-03-2019** जारी कर **ऋणधारक स्व. श्री जैपाल सिंह पुत्र स्व.श्री दयाराम यादव अपने कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से श्री दिनेश पुत्र श्री स्व. जैपाल सिंह, श्रीमती मनीषा पुत्री स्व. श्री जैपाल सिंह एवं श्रीमती सुमित्रा पत्नी स्व. श्री जैपाल सिंह एवं गारंटर श्री राम मेहर पुत्र श्री दुली चंद** को सूचना प्राप्ति कि तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि **रु. 7,86,695.37 (रूपये सात लाख छियासी हजार छः सौ पिचानबे एवं पैसे सैंतीस मात्र)** तथा उस पर आगे कि लागत एवं ब्याज आदि वापस लौटाने के निर्देश दिया था।
उपरोक्त कर्जदार राशि चुकाने में विफल रहे हैं, संपत्ति के स्वामी तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ प

अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा

राष्ट्रीय सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 जून।

हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव के नतीजों को 'भारत की विकास यात्रा जारी रखने के लिए जनादेश' बताते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार की 'सर्वोच्च प्राथमिकता' है। साथ ही उन्होंने लक्षित हमले और हमले का जिक्र करते हुए कहा कि भविष्य में भारत अपनी सुरक्षा के लिए 'हर संभव कदम उठाएगा।

ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में सत्रहवीं लोकसभा के पहले सत्र में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने वर्तमान सरकार के पांच वर्षों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की रूपरेखा पेश की। उन्होंने कहा कि लोकसभा के इतिहास में सबसे बड़ी संख्या में, 78 महिला सांसदों का चुना जाना नए भारत की तस्वीर प्रस्तुत करता है। इस लोकसभा में लगभग आधे सांसद पहली बार निर्वाचित हुए हैं। इस चुनाव में देश की जनता ने बहुत ही स्पष्ट जनादेश दिया है। सरकार के पहले कार्यकाल के मूल्यांकन के बाद, देशवासियों ने दूसरी बार और भी मजबूत समर्थन दिया है। ऐसा कर देशवासियों ने वर्ष 2014 से चल रही विकास यात्रा को निर्बाध व और तेज गति से आगे बढ़ाने का जनादेश दिया है।

राष्ट्रपति ने लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश के 61 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने मतदान कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और दुनिया में भारत के लोकतंत्र की साख बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवादी ठिकानों पर पहले लक्षित हमला और फिर पुलवामा हमले के बाद हवाई हमला करके भारत ने अपने इरादों और क्षमताओं को प्रदर्शित किया है। भविष्य में भी अपनी सुरक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि नया भारत 'संवेदनशील' भी होगा और 'आर्थिक रूप से समृद्ध' भी। लेकिन इसके लिए देश का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। यही कारण है कि आतंकवाद और नक्सलवाद से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए विदेशी, आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। इससे देश के अनेक क्षेत्रों में सामाजिक असंतुलन की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। इसके साथ ही आजीविका के अवसरों पर भी भारी दबाव अनुभव किया जा रहा है। मेरी सरकार ने यह तय किया है कि घुसपैठ की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रों में 'नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस' की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर अमल में लाया जाएगा। घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा पर सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा। सरकार जहां घुसपैठियों की पहचान कर रही है, वहीं आस्था के आधार पर उत्पीड़न का शिकार हुए परिवारों की सुरक्षा के लिए भी वह प्रतिबद्ध है। इसके लिए भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को उचित संरक्षण देते हुए नागरिकता कानून में संशोधन का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन हो, आर्थिक और साइबर अपराध हों, भ्रष्टाचार और काले धन पर कार्रवाई हो या फिर ऊर्जा सुरक्षा, हर मुद्दे पर भारत के विचारों को विश्व समुदाय समर्थन देता है। आज आतंकवाद के मुद्दे पर पूरा विश्व, भारत के साथ खड़ा है। देश में बड़े आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करना इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार की 'पड़ोसी देश पहले' (नेबरहुड फर्स्ट) की नीति दक्षिण एशिया एवं निकटवर्ती क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की हमारी सोच का प्रमाण है। इस पूरे क्षेत्र की प्रगति में भारत की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी। यही कारण है कि इस क्षेत्र में व्यापार, कनेक्टिविटी और जनता के बीच संपर्क को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राष्ट्रपति ने तीन तलाक प्रथा का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में हर बहन-बेटी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने के मकसद से 'तीन तलाक' और 'निकाह-हलाला' जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन जरूरी है। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि हमारी बहनों और बेटियों के जीवन को और अधिक सम्मानजनक एवं बेहतर बनाने वाले इन सभी प्रयासों में अपना सहयोग दें। पिछले 21 दिनों में किसान, व्यापारियों समेत समाज के सभी वर्गों के लिए कई फैसले किए और उन पर अमल शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार एक मजबूत, सुरक्षित और समावेशी भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

केवी के 1019 विद्यार्थियों को मिली जेईई एडवांस्ड में सफलता

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 जून।

- आइआइटी रुड़की की ओर से आयोजित परीक्षा में बैठे थे केंद्रीय विद्यालयों के 6094 विद्यार्थी

मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय के अधीन संचालित केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस्ड-2019 में बेहतर परिणाम प्राप्त किया है। केंद्रीय विद्यालयों (केवी) के कुल 6094 विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठे थे जिनमें से 1019 ने सफलता प्राप्त की। जेईई (एडवांस्ड) देश के विभिन्न आइआइटी में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है।

आइआइटी रुड़की ने 14 जून को जेईई एडवांस्ड-2019 का परिणाम घोषित किया था। यह परीक्षा 27 मई को आयोजित की गई थी जिसमें देश भर के 1,61,319 परीक्षार्थी बैठे, जिनमें से 38,705 ने सफलता प्राप्त की। जेईई मेंस के परिणाम 29 अप्रैल को घोषित किए गए थे। इसमें केवी के 21,229 विद्यार्थियों ने भाग लिया जिनमें से 6,094 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस्ड के लिए पात्रता हासिल की थी। आज की तारीख में कुल 1205 केवी चल रहे हैं, जिनमें से तीन विदेश (तेहरान, काठमांडो और मास्को) में स्थित हैं और इनमें 12.75 लाख से अधिक विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान की जा रही है।

नवोदय विद्यालय के 966 विद्यार्थी रहे सफल

नवोदय विद्यालय समिति के विद्यालयों के 966 विद्यार्थी जेईई एडवांस्ड-2019 में सफल रहे। नवोदय विद्यालयों के 4,451 विद्यार्थियों ने इस परीक्षा को दिया था। इसी तरह नीट-2019 देने वाले 14,500 विद्यार्थियों में से 12,654 विद्यार्थी सफल रहे हैं।

'भाषण के प्रवाह में बहकर दिया गया था बयान'

नई दिल्ली, 20 जून (भाषा)।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान वन संरक्षण से जुड़े एक कानून को लेकर की गई अपनी टिप्पणी पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नोटिस का जवाब देते हुए कहा है कि वे राजनीतिक भाषण के प्रवाह में बहकर ऐसा बोल गए। दरअसल, गत 23 अप्रैल को मध्य प्रदेश में एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, 'नरेंद्र मोदी ने एक नया कानून बनाया है, आदिवासियों के लिए एक नया कानून बनाया है, उसमें एक लाइन लिखी है कि आदिवासियों को गोली से मारा जा सकेगा। कानून में लिखा है कि आदिवासियों पर आक्रमण होगा। आपकी जमीन छीनते हैं, जंगल लेते हैं, जल लेते हैं और फिर कहते हैं कि आदिवासियों को गोली मार दी जाएगी। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए।' इससे जुड़ी मीडिया रिपोर्ट पर आयोग ने तीन मई को गांधी को नोटिस जारी किया था।

कैलाश मानसरोवर श्रद्धालुओं का पहला जत्था तिब्बत पहुंचा

पिथौरागढ़, 20 जून (भाषा)।

कैलाश मानसरोवर यात्रा के 58 श्रद्धालुओं का पहला जत्था गुरुवार को लिपुलेख दर्रे के जरिए तिब्बत पहुंच गया। यात्रा की नोडल एजंसी कुमाऊं मंडल विकास निगम (केएमवीएन) के महाप्रबंधक अशोक जोशी ने बताया कि श्रद्धालुओं का पहला जत्था सुबह सवा आठ बजे 17500 फीट ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख दर्रे को पार कर तिब्बत में पहुंच गया। जोशी ने कहा कि पहले जत्थे के अलावा, श्रद्धालुओं के दो अन्य बैच भी लिपुलेख दर्रे के करीब पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि दल के सभी सदस्यों का गुंजी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के चिकित्सकों ने चेकअप किया था।

यू.पी. एसबेस्टस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : पी.ओ. मोहनलालगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226301
CIN: L26942UP1973PLC003743, फोन नं. : +91 7897885557/58
ईमेल: upasbestos@upasbestos.com, वेब: www.upal.in

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की अतिरिक्त साधारण आम बैठक पी.ओ. मोहनलालगंज, लखनऊ-226301, उत्तर प्रदेश, में स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बुधवार, 10 जुलाई, 2019 को 11:00 बजे पर आयोजित की जाएगी।

प्रस्तावित प्रस्तावों की स्थापना की बैठक की सूचना, सदस्यों को भेजी गई है। नोटिस और कहा गया दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.upal.in पर उपलब्ध हैं और अतिरिक्त साधारण आम बैठक की तारीख तक व्यवसाय के दौरान सभी कार्य दिवसों पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए कहे गए दस्तावेजों की प्रतियां भी उपलब्ध हैं। कंपनी ने 19 जून, 2019 को नोटिस प्रेषण पूरा कर लिया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 और लिस्टिंग अनुबंध के उपनियम 44 के नियम 20 के साथ पढ़ा गया है, आपकी कंपनी अपने सदस्यों को अतिरिक्त साधारण आम बैठक में लेनदेन किए जाने वाले प्रस्तावों पर मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है। कंपनी ने मैसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड ('कार्वी' या 'सेवा प्रदाता') के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग सुविधा की व्यवस्था https://evoting.karvy.com पर उपलब्ध कराई है।

वह सदस्य जिनका नाम कट ऑफ तारीख यानी 2 जुलाई, 2019 के रूप में सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देता है केवल रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे। रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने वाले सदस्य बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

बैठक के नोटिस को प्रेषित करने और 2 जुलाई, 2019 को शेयर धारण करने के बाद कंपनी का सदस्य बनने वाला कोई भी व्यक्ति, जो पहले से ही कार्वी के साथ पंजीकृत है, अपने मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति एजीएम नोटिस के प्रेषण के बाद, लेकिन, कट ऑफ तारीख यानी 2 जुलाई, 2019 को या उससे पहले कंपनी का सदस्य बन गया है, तो वह उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के लिए ई-मेल आईडी evoting@karvy.com पर कार्वी को लिख सकता है (या) श्रीमती सी. शोभा आनंद, कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट-यू.पी. एस्बेस्टोस लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लाट 31-32, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानक्रामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद-500032, फोन नंबर 040-67162222 से/पर संपर्क कर सकता है।

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा 7 जुलाई, 2019 को सुबह 09:00 बजे (भा.म.स) शुरू होगी और 9 जुलाई, 2019 को 17:00 बजे (भा.म.स) समाप्त होगी। इसके बाद मतदान के लिए रिमोट ई-वोटिंग अक्षम कर दी जाएगी।

कंपनी ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए जांचकर्ता के रूप में कंपनी सचिव श्री आदित्य अग्रवाल को नियुक्त किया है।

- इस प्रकार सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 की आवश्यकता और लिस्टिंग अनुबंध की धारा 42 के अनुसार कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर 2 जुलाई, 2019 से 9 जुलाई, 2019 तक बंद रहेगा (दोनों दिन समावेशी)।

बैठक में भाग लेने और मतदान करने के हकदार एक सदस्य को उसके बजाय चुनाव में भाग लेने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य नहीं होना चाहिए। वैध होने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति करने वाले उपकरण को बैठक के शुरू होने से 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

कृते यू.पी. एस्बेस्टस लिमिटेड
हस्ता/-
(मनीष कुमार सिंह)
कंपनी सचिव
एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक : 19.06.2019
स्थान : लखनऊ

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]
मै. बीटा इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	मै. बीटा इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	11.2.2008
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/ पंजीकृत है	कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत आरओसी दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/ कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U45200DL2008PTC173874
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालयः बी-4/45, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली- 110029, प्रशा. कार्यालयः 2, एवैन्यू-4, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500034, परियोजना साईटः नंद नगर इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, ग्राम महुआ खेरागंज, काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	14.6.2019 (आदेश की प्रति) 18.6.2019 को आईआरपी को उपलब्ध करायी गई।)
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	11.12.2019 (दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया आरंभ होने की तिथि से 180 दिन)
8.	प्रस्ताव प्रॉफेशनल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के रूप में कार्यरत है	सेनापति वराहा सत्यनारायण, पंजी. सं. IBBI/IPA-003/IP-N00063/ 2017-18/10549
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल का पता एवं ईमेलः	फ्लैट- 201, पर्ल प्लॉक, श्री साईराम मैनर अपार्टमेन्ट्स, युसुफगुडा, हैदराबाद-500045 ई-मेलः svsatya30@gmail.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	एटलस फाइनांसियल रिसर्च एंड कन्सल्टिंग प्रा.लि., प्लॉट नं. 5, केपीआर एवैन्यू, जयहिन्द एन्क्लेव, माधापुर, हैदराबाद-500081, ई-मेलः ip.betainfratech@atlasfin.in
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	28.06.2019
12.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल द्वारा सुनिश्चित किया गया	लागू नहीं
13.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र तथा (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	वेबलिंक https://ibbi.gov.in/downloadform.html भौतिक पताः जैसा कि ऊपर क्रम सं. 10 में वर्णित है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, ने 14.6.2019 को मै. बीटा इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतद्द्वारा मै. बीटा इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के पास 28.6.2019 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष यथा सूचीबद्ध किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये (लागू नहीं) प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद को दर्शाएं।

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाणों को जमा करने पर दंडित किया जा सकता।

हस्ता./-
तिथिः 19.6.2019
स्थानः हैदराबाद
सेनापति वराहा सत्यनारायण
अंतरिम प्रस्ताव कर्मी

RBL BANK
पंजी. कार्यालयः 1ला लेन, शाहूपुरी, कोल्हापुर- 416001
नियंत्रण कार्यालयः वन इंडिया बुल्स सेन्टर, टावर 2 बी, छठा तल, 841, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल (वेस्ट), मुम्बई-400013

नीलामी बिक्री सूचना

31.12.2017 को रु. 9,23,83,401/- (रुपए नौ करोड़ तेईस लाख तिरासी हजार चार सौ एक) तथा 1.1.2018 से अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज तथा ऋण की वसूली तक लागत, चार्जेज तथा खर्चे की वसूली के लिए मै. महान प्रोटीन्स लि. को दूध की आपूर्ति करने वाले विभिन्न मिल्क प्रॉड्यूसर्स को स्वीकृति अग्रिमों के लिए आरबीएल बैंक लि. के पास गिरवी रखी गई नीचे वर्णित संपत्ति की वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अधीन सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री

विवरण	आरक्षित मूल्य (रु.)	ईएमडी	निरीक्षण की तिथि एवं समय	नीलामी की तिथि एवं समय	नीलामी का स्थान
खसरा नं. 646, ग्राम बरहान, कासीकलान रोड, मथुरा जिला, उत्तर प्रदेश में स्थित भूमि माप 0.909 हेक्टे. (क्षेत्रफल 0.909 हेक्टे.) (स्वामी -महान प्रोटीन्स लि.) कॉर्पोरेट गारन्टर का नामः मै. महान प्रोटीन्स लि. पर्सनल गारंटर का नामः राजीव गोयल	रु. 58.00 लाख	2.90 लाख	2.7.2019 को 11 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप.	9.7.2019 को 3.00 बजे अप. से 4.00 बजे अप.	आरबीएल बैंक लि. बिल्डिंग नं. 1, 1ला तल, ओखला फेज 3, मोदी मिल्स के सामने, नई दिल्ली-110020

नियम एवं शर्तें

1. बोली प्रपत्र तथा बिक्री के नियम एवं शर्तें आरबीएल बैंक लिमिटेड बिल्डिंग नं. 1, 1ला तल, ओखला फेज 3, मोदी मिल्स के सामने, नई दिल्ली-110020 में स्थित हमारी शाखा कार्यालय से रु. 100/- अप्रतिदेय के भुगतान पर किसी भी कार्य दिवस को 10 बजे पूर्वा. से 6.00 बजे अप. के बीच प्राप्त की जा सकती है।
2. बोलीदाता को नीलामी की तिथि को बोली में व्यक्तिगत रूप से भाग लेना होगा तथा आरटीजीएस द्वारा अथवा आरबीएल बैंक लि. के पक्ष में दिल्ली में देय किसी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक के पे आर्डर/ डिमांड ड्राफ्ट द्वारा उपरोक्त धरोहर राशि के साथ मुहरबंद लिफाफे में बोली आरबीएल बैंक लिमिटेड, बिल्डिंग नं. 1, 1ला तल, ओखला फेज 3, मोदी मिल्स के सामने, नई दिल्ली-110020 के पास 5.7.2019 के 5.00 बजे अप. या उससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के पास पहुंच जाना चाहिए। आरक्षित मूल्य से कम में बोली स्वीकार नहीं की जाएगी। बोली के मुहरबंद लिफाफे को नीलामी के स्थान पर वर्णित समय में खोला जाएगा।
3. बोलीदाता को निरीक्षण के लिए उसके ऑरिजिनल तथा पासपोर्ट आकार के एक फोटोग्राफ के साथ केवाईसी दस्तावेजों जैसे पैन कार्ड/ निवास के प्रमाण की स्वतः सत्यापित प्रति को जमा करना होगा।
4. संपत्ति की बिक्री पूरी तरह है "जैसा है जहां है तथा जो भी वहां है आधार" पर होगी तथा इच्छुक बोलीदाता संपत्ति के विरुद्ध यदि कोई हो किसी दावे, चार्जेज, करों, लेवीज, देयताओं एवं/अथवा उपचयित किसी अन्य बकायों के विषय में अपनी स्वतंत्र जांच कर सकते हैं। उसका वहन सफल क्रेता को ही करना होगा। वर्तमान उपचयित देयताओं संपत्ति पर यदि कोई हो, बैंक की जानकारी में नहीं है।
5. नीलामी प्रक्रिया में बोली प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त उच्चतम बोली राशि से शुरू होगी तथा उसके बाद बोलीदाता न्यूनतम रु. 25,000/- (रुपए पच्चीस हजार मात्र) में अपनी बोली में वृद्धि कर सकते हैं।
6. सफल बोलीदाता को उनकी बोली की स्वीकृति पर तत्काल अर्थात उसी दिन या अधिकतम अगले कार्य दिवस के 5.00 बजे अप. तक 25% बोली राशि (ईएमडी सहित) का भुगतान करना होगा तथा शेष राशि का भुगतान नीलामी की तिथि से 15 दिनों के भीतर किया जाएगा।
7. यदि सफल बोलीदाता ऊपर क्लॉज (6) में वर्णित रूप से 25% बोली राशि का भुगतान करने में विफल होते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी तथा बिक्री को निरस्त माना जाएगा। इसी प्रकार, यदि बोलीदाता बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर शेष 75% राशि का भुगतान करने में विफल होते हैं तो उनकी 25% बोली राशि जब्त कर ली जाएगी।
8. भुगतान की शर्तों के अनुपालन पर बिक्री पुष्टि के बाद प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के अनुसार सफल बोलीदाता के पक्ष में बिक्री प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा तथा सफल क्रेता को सभी करों, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण प्रभारों तथा सफल बोलीदाता के नाम में बिक्री प्रमाणपत्र पंजीकृत कराने के लिए अनुषांगिक खर्चे का वहन करना होगा। संपूर्ण बोली राशि की प्राप्ति के बाद ही प्राधिकृत अधिकारी विषय संपत्ति का कब्जा सौंपेगे।
9. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी भी प्रस्ताव/ बोली को स्वीकार या निरस्त करने अथवा नीलामी को स्थगित/ निरस्त करने तथा साथ ही बिना किसी पूर्व सूचना के बिक्री के नियमों एवं शर्तों को संशोधित करने का अधिकार है।
10. इच्छुक बोलीदाता टेलीफोन 0124-6105100, एक्स्टें. 614, मोबाईल- 08447733617 पर प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

सरफैसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 30 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना

ऋणधारकों/गारन्टरों को एतद्द्वारा सरफैसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 8 के प्रावधानों के विषय में अवगत कराया जाता है कि बिक्री आयोजित होने से पूर्व किसी भी समय वे बकाया देयता/ चार्जेज/ खर्चे का भुगतान कर प्रतिभूतियों को विमोचित कर सकते हैं अन्यथा संपत्ति की बिक्री/नीलामी कर दी जाएगी तथा शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज एवं लागत के साथ वसूल की जाएगी।

स्थानः मथुरा
तिथिः 21.6.2019
प्राधिकृत अधिकारी
शिवजी प्रसाद
आरबीएल बैंक लि.

प्रपत्र-क
सार्वजनिक घोषणा
(भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन)
सोल्यूशंस बिजनेस सेंटर प्राईवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कॉर्पोरेट ऋणी का नाम	सोल्यूशंस बिजनेस सेंटर प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणी के समावेश की तिथि	19 अप्रैल, 2012
3.	प्राधिकारी जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट व्यक्ति समावेश/पंजीकृत है	कंपनीज़ अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़, नई दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान नंबर/ कॉर्पोरेट ऋणी का सीमित देयता पहचान नंबर	CIN: U74900DL2012PTC234514
5.	कॉर्पोरेट ऋणी के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का पता	पंजीकृत कार्यालयः एच-69, यूजीएफ, आऊटर सर्कल एचडीएफसी बैंक के ऊपर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 (भारत)
6.	कॉर्पोरेट ऋणी के परिशोधन की शुरुआती तिथि	14 मार्च, 2019 (आइआरपी द्वारा इ-मेल के माध्यम से आदेश प्राप्ति की तिथिः- 18 जून, 2019)
7.	दिवालियापन प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	10 सितंबर, 2019 (परिशोधन प्रस्ताव प्रक्रिया की शुरूआत की तिथि से 180 दिन)
8.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर के रूप में के कार्यरत दिवालियापन पेशेवर का नाम व पंजीकरण नंबर	हरीश गोयल, रजि. नं. IBBI/IPA-001/IP-P01459/2018-2019/12244
9.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर का पता व इ-मेल जैसा कि बोर्ड के साथ पंजीकृत है।	431, कानूनगो अपार्टमेंट्स, प्लॉट नं. 71, आइ.पी. एक्स्टेंशन, दिल्ली-110092, इ-मेल आइडीः harish_goyal77@hotmail.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर से पत्राचार के लिए प्रयोग की जाने वाली इमेल तथा पता, यदि क्रम संख्या 9 में दिए विवरण से अलग है	826, विकास दीप बिल्डिंग, डिस्ट्रिक्ट सेंटर लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली-110092, इ-मेलः cirp.sbcpl@gmail.com
11.	दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	02 जुलाई, 2019
12.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर द्वारा निर्धारित धारा 21 की उप-धारा (6ए) के खण्ड (बी) के अधीन लेनदार की श्रेणी, यदि कोई है	लागू नही (उपलब्ध जानकारी के अनुसार)
13.	श्रेणी में लेनदार के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में चिह्नित दिवालियापन पेशेवर के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नही (उपलब्ध जानकारी के अनुसार)
14.	(क) संबंधित फार्म और (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधि का विवरण पर उपलब्ध हैः	(क) वेबलिंकः http://ibbi.gov.in/downloadform.html (ख) भौतिक पताः लागू नही।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली ने दिनांक 14 मार्च, 2019 को **सोल्यूशंस बिजनेस सेंटर प्राईवेट लिमिटेड** की कारपोरेट दिवालियापन प्रस्ताव प्रक्रिया को शुरू करने का आदेश दिया है। **सोल्यूशंस बिजनेस सेंटर प्राईवेट लिमिटेड** के लेनदारों को केवल प्रविष्टि नंबर 10 के अंतर्गत वर्णित पतों पर अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर को 02 जुलाई, 2019 को या उस से पूर्व अपने दावों को प्रमाण सहित प्रस्तुत करने के लिए एतद्द्वारा आमंत्रित किया जाता है।

वित्तीय लेनदारों को केवल इलैक्ट्रॉनिक तरीके द्वारा अपने दावों का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदारों अपने दावे व्यक्ति, डाक द्वारा या इलैक्ट्रॉनिक तरीके द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रविष्टि नंबर 12 कें अंतर्गत सूचीबद्ध अनुसार श्रेणी से संबंधित वित्तीय लेनदारों को फार्म सीए में श्रेणी (निर्दिष्ट श्रेणी) के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि संख्या 13 के अंतर्गत सूचीबद्ध 3 दिवालियापन पेशेवरों से प्राधिकृत प्रतिनिधि की वरीयता को दर्शाना होगा।

गलत या भ्रामक प्रमाणों को प्रस्तुत करना जुर्माने का हकदार होगा।

तिथिः 21.06.2019
स्थानः नई दिल्ली
ह./- हरीश गोयल,
सोल्यूशंस बिजनेस सेंटर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर
रजि. नं.: IBBI/IPA-001/IP-P01459/2018-2019/12244

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक !
भौतिक कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

सिक्योरिटीजाइजेशन एवं रिक्न्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट (एनफोर्समेंट) नियमों 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब नैशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी/ऋणियों/गारन्टरों को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाए गए खाते में उनके नामों के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख/उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था। ऋणी/ऋणियों/गारन्टरों द्वारा राशि

तालिबान के प्रमुख शांति वार्ताकार की मेजबानी की थी : चीन

बेजिंग, 20 जून (भाषा)।

चीन ने गुरुवार को पहली बार इस बात को स्वीकार किया कि उसने बातचीत के लिए अफगान तालिबान के प्रमुख शांति वार्ताकार मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को बुलाया था। चीन के मुताबिक अफगानिस्तान में अपनी सामरिक भूमिका को बढ़ाने और युद्धग्रस्त देश में शांति बहाल करने के प्रयासों के तहत उसने यह कदम उठाया था।

पाकिस्तान सरकार ने मुल्ला बरादर को पिछले साल जेल से छोड़ा था। वह 1994 में तालिबान का गठन करने वाले शीर्ष चार कमांडरों में से एक है। माना जाता है कि वह अब तक रिहा किए गए अफगान तालिबान कैदियों में से सबसे ऊंची रैंक का है। जेल से रिहा होने के बाद मुल्ला बरादर अफगानिस्तान समाधान के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि जालमय खलीलजाद के साथ बातचीत कर रहा है।

पाकिस्तान का करीबी सहयोगी चीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच मतभेद खत्म करने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान अपने पड़ोसी पाकिस्तान पर अफगान तालिबान, हक्कानी नेटवर्क और अन्य आतंकवादी समूहों को पनाहगाह उपलब्ध कराने का आरोप लगाता रहा है जो युद्धग्रस्त देश में हमले करते रहते हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग ने मीडिया से यहां गुरुवार को कहा, 'दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख बरादर ने चीन का दौरा किया। उनके दौरे के दौरान, चीनी अधिकारियों ने शांति एवं सामंजस्य प्रक्रिया के साथ ही आतंकवाद के खिलाफ जंग पर उससे बातचीत की।' लू ने बताया कि बरादर को अफगानिस्तान में शांति एवं सामंजस्य प्रक्रिया में चीन की सकारात्मक भूमिका के बारे में बताया गया।

तख्तापलट की कोशिश का आरोप

तुर्की में पूर्व वायु सेना प्रमुख समेत 24 लोगों को आजीवन कारावास

सिनकन, 20 जून (एएफपी)।

तुर्की की एक अदालत ने 2016 में देश के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन के तख्तापलट की नाकाम कोशिश से जुड़े मामले में 24 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सरकारी समाचार एजंसी अनादोलु ने कहा कि न्यायाधीश ने 24 लोगों में से 17 को 139 लोगों की हत्या, 'संविधान के उल्लंघन' और 'राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश' के मामलों में मत्यु पर्यंत कारावास की सजा सुनाई है। ऐसी सजाओं में कारावास की कठोर शर्तें होती हैं।

पूर्व वायुसेना प्रमुख अकिन ओजतुर्क और सत्तारूढ़ पार्टी के पूर्व सांसद सबन दिसली के भाई मेहमत दिसली भी इन 17 लोगों में शामिल हैं। इस मामले में दो दर्जन से अधिक सैन्य अधिकारियों समेत 224 संदिग्धों के खिलाफ मई 2017 में सुनवाई शुरू हुई थी। अनादोलु के अनुसार अदालत ने अर्दोआन के पूर्व सैन्य सहयोगी कर्नल अली याजिकी को भी 'संविधान का उल्लंघन' करने के लिए मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। याजिकी को तख्ता पलट के प्रयास के दौरान एक होटल में एर्दोआन की हत्या की साजिश के मामले में 2017 में 18 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। मुकदमे में और फैसले आने की उम्मीद है। संदिग्धों में अमेरिका स्थित मुसलिम प्रचारक फतेहउल्ला गुलेन भी शामिल हैं, जिन्हें तुर्की तख्तापलट की कोशिश का जिम्मेदार मानता है। इस कोशिश के दौरान सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग घायल हो गए थे। हालांकि, गुलेन तुर्की के दावों को खारिज करते रहे हैं।

उत्तरी सीरिया में दो दिनों में 130 लड़ाकों की मौत

बेरूत, 20 जून (एएफपी)।

उत्तर-पश्चिमी सीरिया में सरकारी बलों और जिहादियों के बीच संघर्ष में दो दिनों में 130 लड़ाकों की मौत हो गई। इदलिब क्षेत्र में सरकार और उसका सहयोगी रूस अप्रैल महीने के आखिर से बमबारी कर रहे हैं। इस क्षेत्र में करीब तीस लाख लोग रहते हैं।

ट्रंप से वार्ता से पहले शी ने की किम से मुलाकात

प्योंगयांग, 20 जून (एएफपी)।

उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने बृहस्पतिवार को प्योगयांग की ऐतिहासिक यात्रा पर पहुंचे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत किया। यह दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब शी और किम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अलग-अलग तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

14 वर्षों के दौरान किसी चीनी राष्ट्राध्यक्ष का यह पहला उत्तर कोरियाई दौरा है। शीत युद्ध के समय के सहयोगियों के बीच रिश्तों में उस वक्त ठंडापन आ गया था जब उत्तर कोरिया अपनी परमाणु महत्त्वाकांक्षाओं को लेकर बार-बार परीक्षण कर रहा था और बेजिंग संयुक्त राष्ट्र में उस पर लगे प्रतिबंधों का समर्थन कर रहा था। हाल के दौरान शी और उत्तर कोरियाई नेता रिश्तों में आई इस दरार को पाटने की कोशिश में जुटे हैं। बीते एक साल में किम चार बार चीन का दौरा कर चुके हैं और प्योंगयांग चाहता था कि शी भी ऐसे ही कदम उठाएं। राजनयिकों के अनुसार चीन इस बात का इंतजार कर रहा है कि किम और ट्रंप के बीच परमाणु वार्ता किस प्रकार रहती है।

प्रारूप संख्या आईएनसी-25 ए पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी मे संपरिवर्तन के लिए समाचार पत्र मे प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक,
कारपोरेट कार्यमंत्रालय के समक्ष बी-2, विन्ग, द्वितीय स्थल, अन्तयोदय भवन, सी जि ओ कोम्पलेक्स नई दिल्ली- 110003
कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 14 और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले के और मैसर्स टुलिप स्कूलस लिमिटिड जिसका रजिस्टर्ड कार्यलय बेसमेंट सी -9/43, सैक्टर -8, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 मे स्थित है के मामले में।

आवेदक

आम जनता को यह सूचना देता है कि कंपनी को ऐसे संपरिवर्तन का अधिकार देने के लिए तारीख 20 मई 2019 को आयोजित विशेष आम अधिवेशन मे पारित संकल्प की शर्तो के अनुसार प्राइवेट लिमिटिड कंपनी में संपरिवर्तन करने की इच्छा रखने वाली कंपनी ने पूर्वोक्त नियमों के साथ गठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 14 के अधीन आवेदन किया है।
कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति के कारण यदि किसी व्यक्ति के हित पर प्रभाव पडने की संभावना है तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिन के भीतर निम्नलिखित पते पर आवेदक कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यलय को भेजी गई प्रति सहित किसी हलफनामे द्वारा अपनी आपत्ति भेज सकता है या किसी के माध्यम से भिजवा सकता है या रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज सकता है जिसमें संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, नॉर्थेन निदेशक बी-2 विन्ग, द्वितीय स्थल, अन्तयोदय भवन, सी जी ओ कॉम्पलेकस, नई दिल्ली -110003 को उसके हित और आपत्ति के आधार की प्रकृति का उल्लेख किया जाएगा।

टुलिप स्कूलस लिमिटिड
(CIN: U80211DL2006PLC149520)
बेसमेन्ट सी-9/43 सैक्टर-8,
रोहिणी, नई दिल्ली-110085
ईमेल : pawansangai@yahoo.co.in

दिनांक: 19.06.2019
स्थान : दिल्ली

आवेदक के लिए या उसकी ओर से
टुलिप स्कूलस लिमिटिड
राकेश गुप्ता
निदेशक
डिन : 02428928
पता : 1615, सेक्टर -15, भाग -2
गुडगांव-122001, हरियाणा

kotak KOTAK MAHINDRA BANK LTD.
शाखा कार्यालयः 7वाँ तल, प्लॉट नं०-7 सेक्टर-125, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201313

शुद्धि-पत्र

यह शुद्धिपत्र जनसत्ता हिन्दी समाचारपत्र में दिनांक 19.06.2019 को प्रकाशित हुए अचल सम्पत्तियों के बिक्री सूचना के सन्दर्भ में है। जिसमें केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 26 जुलाई, 2019 प्रकाशित हो गई है, जो कि गलत है, इसे 22 जुलाई, 2019 पढ़ें। अन्य सभी नियम व शर्तें यथावत् रहेंगी।

दिनांकः 19.06.2019 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः नई दिल्ली कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

प्रपत्र सं. आइएनसी-26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
प्रादेशिक निदेशक उत्तरी क्षेत्र, के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (6) के खंड (अ) के मामले में
और
सरोजा टेक्सकोन प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U21020DL2012PTC237464)
जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : आई-115, दूसरा फ्लोर, कीर्ति नगर, नई दिल्ली - 110015 में स्थित है
.....आवेदक

आम जनता को यह नोटिस दी जाती है कि यह कंपनी प्रादेशिक निदेशक उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानांतरित करने के लिए तारीख बुधवार, 19 जून, 2019 को आयोजित असाधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ मे कंपनी के संघम ज्ञापन मे संशोधन की पूष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनो के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक दवारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।
वास्ते सरोजा टेक्सकोन प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
तिथि : 20.06.2019 पवन कुमार शर्मा
स्थान : नई दिल्ली निदेशक
डीआईएन : 06994853
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : आई-115, दूसरा फ्लोर, कीर्ति नगर, नई दिल्ली - 110015

फॉर्म नं0. आईएनसी-26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य मे स्थानान्तरित करने हेतु समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष,
उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4), और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(6)(ए) के मामलें में तथा
दिल्ली वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय एफ-27/2, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज II, नई दिल्ली- 110020 में है के मामलें में
याचिकाकर्ता
सूचना
एतदद्वारा सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को एफ-27/2, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज II, नई दिल्ली-110020 से कर्नाटक राज्य के बैंगलोर में स्थानान्तरित करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत दिनांक 18.06.2019 को सदस्यों द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव के अनुकूल, केंद्र सरकार के समक्ष कंपनी के संस्था बहि नियमावली में परिवर्तन करने की याचिका प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।
यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है तो वह शपथपत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2 फ्लोर, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा भेजे, और एक प्रतिलिपि कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर भेजी जानी चाहिए।
कृते और आवेदक की ओर से
हस्ता/-
पुखराज जैन
स्थानः नई दिल्ली निदेशक
तिथिः 18.06.2019 DIN: 02671640

"प्रपत्र सं. आईएनसी-26"
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये
समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में
तथा
हेडस्टार्ट इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड (CIN: U93000DL210PTC207365) जिसका पंजीकृत कार्यालय 105, साउथेक्स प्लाजा-II, साउथ एक्स्टें. पार्ट-II, नई दिल्ली-110049 में है, के मामले में
..... आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "गोआ राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 18.06.2019 को आयोजित वार्षिक साधारण सभा/असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ-पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पतेः बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:
105, साउथेक्स प्लाजा-II, साउथ एक्स्टें. पार्ट-II, नई दिल्ली-110049
आवेदक के लिये तथा उसकी ओर से
हस्ता./-
श्री नीरज शर्मा
तिथिः 19 जून, 2019 निदेशक
स्थानः दिल्ली DIN: 06469865

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में सीनांतरित करने के लिए समाचारपत्र में प्रकाशन हेतु विज्ञापन
केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, नई दिल्ली उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) (क) के क्लॉज (क) के विषय में
तथा
ओपीएस ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएन : U74899DL1995PTCO71703)
जिसका पंजीकृत कार्यालय 290, द्वितीय तल ई ब्लॉक, रमेश नगर नई दिल्ली पिश्चीम दिल्ली 110015 में स्थित है के विषय में,
.....(याचिकादाता)

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा इसका पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के संबंध में गुरूवार, 30 मई 2019 को इसकी आसाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी के संस्था ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की याचना हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन एक आवेदन केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।
कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां निवेशक शिकायत प्रपत्र मरकर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर सुपुर्द कर सकता है अथवा क्षेत्रीय निदेशक, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर सुपुर्द करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है, जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को नीचे लिखे पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए :
290, द्वितीय तल ई ब्लॉक, रमेश नगर नई दिल्ली पिश्चीम दिल्ली 110015 में स्थित ह
कृते एवं हिते आवेदक
ओपीएस ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
अविनाश चंद्र बंसल
(निदेशक)
तिथि : 19-06-2019
स्थान : नई दिल्ली डीआईएन : 01803256

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
शुद्धिपत्र-1
दिनांक 29.05.2019 को प्रकाशित "एन एससीबीआई एयरपोर्ट, कोलकाता में एप्रॉन और टैक्सी लिंक (नारायणपुर साइड) को जोड़ने के लिए सी श्रेणी हवाई जहाजों के लिए 3 हैंगर्स का निर्माण" उपशीर्षः आन्तरिक एवं बाह्य विद्युत कार्य। कार्य के लिए निविदा आईडी नं. 2019_AAI_26054_1 को संदर्भ लें। ई-निविदा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 28.06.2019 को 1800 बजे तक बढ़ा दी गई है। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया सीपीपी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल रेफरेंस http://etender.gov.in/eprocure/app या www.aai.aero पर लॉग ऑन करें।

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
(भारत सरकार का उपक्रम)
(A Govt. of India Undertaking)
आईसीडी तुगलकाबाद, नई दिल्ली-110020
कॉनकॉर CONCOR
निविदा सूचना (केवल ई-टेंडरिंग मोड)
कॉनकॉर द्वारा "आईसीडी/केकेयू, जयपुर में रेल साइडिंग के समान्तर ड्रेन के लिए कवर्स उपलब्ध कराना तथा सीसी ब्लॉक पेवमेंट की मरम्मत" के कार्य हेतु एकल निविदा पद्धति में ऑनलाइन ई-निविदा केवल ई-टेंडरिंग मोड के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। बिड दस्तावेज रू. 1000/- का भुगतान ऑनलाइन करने के पश्चात वेबसाइट www.tenderwizard.com/CCIL से डाउनलोड किया जा सकता है।

निविदा संख्या	कॉन/उ.क्षे./अभि./केकेयू/ड्रेन कवर/पेवमेंट/2019
अनुमानित लागत	₹ 24.70 लाख (सब सम्मिलित)
संविदा की अवधि	स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि के पश्चात 15वें दिन से 04 माह
धरोहर राशि जमा	₹ 49,400/-, ई-भुगतान द्वारा
दस्तावेज का मूल्य	₹ 1,000/- सभी करों एवं शुल्कों सहित, ई-भुगतान के माध्यम से
निविदा प्रोसेसिंग शुल्क	₹ 1,457/- सभी करों एवं शुल्कों सहित, (अप्रतिदेय), ई-भुगतान के माध्यम से
बिक्री की तिथि (ऑनलाइन)	21-06-2019 (11.00 बजे) से 11-07-2019 (17.00 बजे) तक
प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	12-07-2019 ; 15.00 बजे तक
खोलने की तिथि एवं समय	15-07-2019 के 15.30 बजे

ग्राह्यता मानदंडों तथा अन्य विवरण के लिए www.concorindia.com अथवा eprocure.gov.in अथवा www.tenderwizard.com/CCIL लॉग ऑन करें। बोलीदाताओं से वेबसाइट्स नियमित रूप से देखने का अनुरोध है। कॉनकॉर का बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है।
कार्यकारी निदेशक/उत्तरी क्षेत्र

नलवा सन्स इन्वैस्टमेन्ट्स लिमिटेड
CIN: L65993DL1970PLC146414
पंजीकृत कार्यालय : 28, नजफगढ़ रोड, मोती नगर इन्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110015
फोन नं. (011)45021854, 45021812, फैक्स नं. (011)25928118, 45021982
निवेशकों हेतु ई-मेल आईडी : investorcare@nalwasons.com, वेबसाइट : www.nalwasons.com

सार्वजनिक सूचना - शेयर सर्टिफिकेट की गुमशुदगी

सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित शेयर सर्टिफिकेट गुम हो गए हैं। यदि इस सूचना के प्रकाशन के सात दिनों तक वैध आपत्ति नहीं मिली तो कम्पनी इनके स्थान पर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जारी कर देगी।

जिन्दल स्ट्रिप्स लिमिटेड (अब नलवा सन्स इन्वैस्टमेन्ट्स लिमिटेड) के इक्विटी शेयर (16.9.2003 के बाद जारी)

फोलियो सं.	शेयरधारक का नाम	सर्टिफिकेट नं.	विशिष्ट संख्या	शेयरों की संख्या
430155	मधु पटेल; महेंद्र पटेल	621912	62048861-62048875	15
21400	के मुरली कृष्णन	617362	60964738-60964830	93
51338	बिमल हसमुखलाल शाह; रश्मि बिमल शाह	609924	61125725-61125738	14

जिन्दल स्ट्रिप्स लिमिटेड (अब नलवा सन्स इन्वैस्टमेन्ट्स लिमिटेड) के पुराने इक्विटी शेयर (11.7.1999 के बाद और 16.9.2003 तक जारी)

फोलियो सं.	शेयरधारक का नाम	सर्टिफिकेट नं.	विशिष्ट संख्या	शेयरों की संख्या
51338	बिमल हसमुखलाल शाह; रश्मि बिमल शाह	416435	45732304-45732363	60
82006	मधु चौधरी	522187	50107439-50107498	60

जिन्दल स्ट्रिप्स लिमिटेड (अब नलवा सन्स इन्वैस्टमेन्ट्स लिमिटेड) के पुराने इक्विटी (11.7.1999 तक जारी)

फोलियो सं.	शेयरधारक का नाम	सर्टिफिकेट नं.	विशिष्ट संख्या	शेयरों की संख्या
5555	सीलवंती मूलपानी; इंदर मूलपानी	152549	12316083-12316182	100
87778	मोहन भगवानदास भाटिया; निर्मला मोहन भाटिया	6769	2378601-2378700	100
		22312	4861501-4861600	100
		54786	7017481-7017580	100
		152738	12331714-12331813	100
		152739	12331814-12331853	40
		164316	13877085-13877169	85

जिन्दल स्ट्रिप्स लिमिटेड (अब नलवा सन्स इन्वैस्टमेन्ट्स लिमिटेड) के साथ विलय हुए तत्कालीन जिन्दल फेरो अलॉयज़ लिमिटेड के पुराने इक्विटी शेयर

फोलियो सं.	शेयरधारक का नाम	सर्टिफिकेट नं.	विशिष्ट संख्या	शेयरों की संख्या
419806	सुरेन्द्र कुमार जैन	22779	4728051-4728150	100
		52226	16122041-16122140	100

कृते नलवा सन्स इन्वैस्टमेन्ट्स लिमिटेड
हस्ता/-
(राघव शर्मा)
तिथि : 20 जून, 2019
स्थान : दिल्ली कम्पनी सचिव

सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12 (3) के साथ पठित विनियमन 31 (2)]
सोनिअर इंडस्ट्रीज लिमिटेड-परिसमापन में, के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

भारत दिवाला तथा दिवायिा मंडल (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 31 (2) के अनुपालन में एतद्द्वारा सार्वजनिक उद्घोषणा की जाती है कि सोनिअर इंडस्ट्रीज लिमिटेड-परिसमापन में ("कॉर्पोरेट ऋणधारक") के स्टेकधारकों की परिसमापक द्वारा तैयार कर ली गई है जिसे 19 जून, 2019 को माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, प्रधान पीठ ("माननीय एनसीएलटी") के पास दाखिल कर दिया गया है।
चूंकि कॉर्पोरेट ऋणधारक का कोई कार्यरत वेबसाईट नहीं है, अतः परिसमापक द्वारा स्वीकृत दावे की राशि, उस सीमा तक जिसमें दावे प्रतिभूत/ अप्रतिभूत है, के सम्पूर्ण विवरणों को दर्शाते हुए स्टेकधारकों तथा अंशतः स्वीकृत/निरस्त तथा पूर्णतः अस्वीकृत प्रमाणों, यदि कोई हो, के विवरणों के साथ स्टेकधारकों की सूची अधोलिखित लिंक पर परिसमापक की वेबसाईट पर देखी जा सकती है।
"http://www.insolvercyandbankruptcy.in/public.announcement.html"
स्टेकधारकों को पुनः अधिसूचित किया जाता है कि माननीय एनसीएलटी के पास दाखिल की गई स्टेकधारकों की सूची में प्रविष्टि का कोई भी संशोधन केवल माननीय एनसीएलटी के पास आवेदन दाखिल कर ही किया जा सकता है।
हस्ता./-
संजय गुप्ता (परिसमापक)
सोनिअर इंडस्ट्रीज लिमिटेड-परिसमापन में
IBBI पंजी. सं. IBBI/IPA-001/IP-P00117/2017-2018/10252
पताः 10 ए, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048
तिथिः 19.6.2019 ई-मेल आईडीः sonear@aaainsolvency.com
स्थानः नई दिल्ली sanjaygupta@aaainsolvency.com

पूर्वोत्तर रेलवे खुली ई-निविदा सूचना संख्या N/539/2/OT/19-20/15
मंडल रेल प्रबन्धक/सिग एवं दूरसंचार/पूर्वोत्तर रेलवे/वाराणसी कृते एवं भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिए "खुली-ई" निविदायें" आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा सूचना सं0 एवं कार्य का नाम	विवरण	
क्रमांक : 1, N/539/2/OT/19-20/15 : कार्य का नामः वाराणसी डिवीजन के औरिहार-सैदपुर स्टेशन के मध्य किमी 167/2-3 पर समपार फाटक पर एलएचएस एवं गेट बंद करने के संबंध में सैदपुर स्टेशन में इंडोर एवं आउटडोर कार्य सहित मौजूदा कार्यरत "मेधा निर्मित" इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलोकिंग में आरडीएसओ स्पे. नं. आरडीएसओ/एसपीएन/192/2005 एवं नवीनतम संसोधन के अनुसार जुड़ाव/परिवर्तन का अभिकल्पन, कार्य-रचना, स्थापना, आपूर्ति, परीक्षण एवं कमीशनिंग का कार्य।	अनुमानित लागत	₹ 1149957.77
	बयाना की राशि	₹ 23000.00
	निविदा प्रपत्र की कीमत	₹ 2000/-
	कार्य पूर्ण करने की तिथि	90 दिन

निविदा बंद होने की अंतिम तिथि एवं समय :15.07.2019 upto 15:00
1. ई-निविदा दिनांक 15.07.2019 को 15.00 बजे तक आन लाईन जमा किया जा सकेगा 2. पूर्ण विवरण की जानकारी प्राप्त करने एवं निविदा की प्रस्तुति करने के लिए भारतीय रेलवे की वेबसाईट i.e. www.ireps.gov.in देखें।
मुजाधि/सिगनल-31 मंडल रेल प्रबन्धक (सिग एवं दू.सं.)/वाराणसी
रेलवे सतर्कता मोबाइल हेल्प लाइन नं0 0551-155210 (भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायत के लिये)
ट्रेन की छत या पायदान पर बैठकर यात्रा न करें

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank
Branch Office: Shastri Nagar, Ghaziabad
E-mail: br.8890@syndicatebank.co.in

कब्जा नोटिस
8(1), नियम के तहत, सुरक्षा प्रवर्तन नियम, 2002

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक शाखा गाजियाबाद का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(2) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 02.04.2019, को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता बलराज सिंह, सारिका खाताधारक हैं को मांग नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर राशि रू.- 1711586.39/- (रूपये सत्तरह लाख ग्यारह हजार पांच सौ छियासी और उन्तालिस पैसे केवल) अदा करने की तिथि उस पर ब्याज अदा करने को कहा गया था।
ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त अधिनियम के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 15 जून 2019 को निम्नलिखित वर्णित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से संपत्तियों के मालिक तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन सिंडिकेट बैंक, शास्त्री नगर, गाजियाबाद शाखा को देय धनराशि रू.- 1757179.71/- अदा करने की तिथि तथा उस पर ब्याज अदा करने को कहा गया था।
अचल संपत्तियों का विवरण
यूनिट नं0. 11, द्वितीय तल, जिसकी माप 375 स्क्वेयर मीटर अस्टोरिया, बाउलवार्ड मालिक सारिका। जिसकी सीमाऐ- उत्तर में प्लॉट नं0. 18 ए, दक्षिण में रोड़, पूर्व में प्लॉट नं0. 19 एमएनए मकान और पश्चिम में रोड़।
दिनांकः 15.06.2019 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः गाजियाबाद। सिंडिकेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
एआरएमबी, 1 ला तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110125
फोन नं. 25854327, 25853243, ईमेलः bo4168@pnb.co.in

सार्वजनिक सूचना
एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित खाताओं के ऋणधारक/एकाकी प्रॉपाईटर/निदेशक ने बैंक से ऋण सुविधाऐं प्राप्त की थी तथा उसके प

आर्थिक वृद्धि बढ़ाने के लिए सुधारों को गति देगी सरकार

5,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य

नई दिल्ली, 20 जून (भाषा)।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविद ने गुरुवार को कहा कि सरकार आर्थिक वृद्धि तेज करने और 2024 तक भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आर्थिक सुधारों को और गति देगी। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, उद्यमियों को बिना गारंटी के कर्ज उपलब्ध कराने और जीएसटी को और सरल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएगी।

कोविंद ने कहा- भारत जीडीपी के संदर्भ में दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। उच्च आर्थिक वृद्धि दर पाने के लिए सुधार प्रक्रिया जारी रहेगी। हमारा 2024 तक देश को 5,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। सरकार देश को विनिर्माण का बड़ा केंद्र बनाने के लिए जल्दी ही नई औद्योगिक नीति लाएगी और कारोबार सुगमता के मामले में शीर्ष 50 देशों की सूची में आने के लिए नियमों को और सरल बनाएगी। राष्ट्रपति गुरुवार को नवगठित संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति लाने की तैयारी में है।

उन्होंने कहा- भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। मुद्रास्फीति कम है, राजकोषीय घाटा नियंत्रण में है। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है और 'मेक इन इंडिया' का प्रभाव बिल्कुल साफ है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से सरकार की प्राथमिकता साफ झलकती है। इसमें साफ कहा गया है कि जीडीपी को गति देने के लिए सुधारों को आगे बढ़ाया जाएगा। आर्थिक वृद्धि दर 2018-19 में पांच साल के न्यूनतम स्तर 6.8 फीसद पर पहुंच गई। इसके अलावा देश के कई भागों में सामान्य से कमजोर मानसून की आशंका के साथ कृषि संकट का समाधान और रोजगार सृजन भी एजंडे में ऊपर है।

मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार पर ही सशक्त राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण संभव है। हमारे किसान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ हैं। राज्यों को कृषि विकास में पूरी मदद मिले, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आने वाले वर्षों में कृषि क्षेत्र में 25 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।

राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्रभाव व्यापक स्तर पर महसूस किया गया है और इसके तहत, स्वरोजगार के लिए लगभग 19 करोड़ ऋण दिए गए हैं। इस योजना का विस्तार करते हुए अब 30 करोड़ लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। उद्यमियों के लिए बिना गारंटी 50 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने की योजना लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका को देखते हुए ऋण गारंटी कवरेज का दायरा एक लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। इससे छोटे उद्योगों को बिना गारंटी के कर्ज लेने में आसानी होगी।

फेडरल रिजर्व के नरम रुख से सूचकांक 489 अंक उछला

मुंबई, 20 जून (भाषा)।

अमेरिका के फेडरल रिजर्व के निकट भविष्य में ब्याज दर कम करने के संकेत के बाद वैश्विक बाजारों में तेजी का असर घरेलू शेयर बाजारों में भी दिखा। बंबई शेयर बाजार में गुरुवार को संवेदी सूचकांक 489 अंक उछला।

बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक कारोबार के दौरान 700 अंक के दायरे में उतार-चढ़ाव रहा। कारोबार की समाप्ति पर सूचकांक 488.89 अंक यानी 1.25 फीसद मजबूत होकर 39,601.63 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह ऊंचे में 39,638.64 अंक और नीचे में 38,933.78 अंक तक आया। इसी तरह एनएसई का निफ्टी भी 140.30 अंक यानी 1.20 फीसद की तेजी के साथ 11,831.75 अंक पर बंद हुआ।

कारोबारियों ने कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत निष्कर्ष के बाद वैश्विक बाजारों की मजबूती से घरेलू निवेशकों को सकारात्मक संकेत मिले। फेडरल रिजर्व ने बुधवार को समीक्षा बैठक में ब्याज दर अपरिर्वितत रखी लेकिन उसने संकेत दिए कि आने वाले समय में वह ब्याज दर में कटौती करने में हिचकिचाएगा नहीं। इसके अलावा मजबूत रुपए तथा बजट में कारोबार के अनुकूल कदमों की उम्मीद ने भी बाजार की धारणा को मजबूत किया।

सूचकांक में शामिल कंपनियों में येस बैंक सर्वाधिक 10.94 फीसद चढ़ा है। अन्य कंपनियों में सन फार्मा, इंडसइंड बैंक, एलएंडटी, आईसीआईसीआई बैंक, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स और ओएनजीसी के शेयरों में 4.01 फीसद तक की तेजी रही। हालांकि, इसके विपरीत हिंदुस्तान यूनिलीवर्स, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी और एनटीपीसी के शेयर 0.26 फीसद लुढ़क गए।

इस बीच जेट एअरवेज का शेयर पिछले 13 कारोबारी सत्रों में 90 फीसद गिरने के बाद गुरुवार को 93 फीसद उछल गया। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा- बाजार में इस बात की चिंता थी कि सरकार ने अब तक सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को तेज करने के प्रयासों का कोई संकेत नहीं दिया है। प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री द्वारा 100 दिवसीय एजंडा और बजट की रूपरेखा तैयार करने के लिए कई बैठकें करने से बाजार को भरोसा मिला। बीएसई के समूह सूचकांक में वाहन, पूंजीगत वस्तुएं, चिकित्सा, दूरसंचार, टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद, रियल्टी और धातु वर्ग के सूचकांक में 2.46 फीसद तक की तेजी रही।

बैंकों की ऋण और जमा वृद्धि की रफ्तार सुस्त पड़ी

मुंबई, 20 जून (भाषा)।

बैंकों के ऋण और जमा की वृद्धि सात जून को समाप्त पखवाड़े में सुस्त पड़ी है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार समीक्षाधीन पखवाड़े में बैंकों का ऋण 9.92 फीसद बढ़कर 96.52 लाख करोड़ रुपए और जमा 12.31 फीसद की वृद्धि के साथ 125.40 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई।

एक साल पहले इसी पखवाड़े में बैंकों का ऋण 85.94 लाख करोड़ रुपए और जमा 114.08 लाख करोड़ रुपए पर था। इससे पिछले 24 मई को समाप्त पखवाड़े में बैंकों का ऋण 12.70 फीसद बढ़कर 96.22 लाख करोड़ रुपए और जमा 10.09 फीसद की वृद्धि के साथ 124.98 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया था।

गैर खाद्य ऋण अप्रैल में 11.9 फीसद बढ़ा, जबकि अप्रैल, 2018 में यह 10.7 फीसद बढ़ा था। अप्रैल में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण में 7.9 फीसद की वृद्धि हुई जबकि पिछले साल इसी महीने में इस क्षेत्र में ऋण की वृद्धि 5.9 फीसद रही थी। अप्रैल में सेवा क्षेत्र को ऋण की वृद्धि 16.8 फीसद रही, जबकि अप्रैल, 2018 में इस क्षेत्र को कर्ज 20.7 फीसद बढ़ा। व्यक्तिगत ऋण की वृद्धि समीक्षाधीन महीने में सुस्त पड़कर 19.1 फीसद से 15.7 फीसद पर आ गई। अप्रैल में उद्योग को ऋण 6.9 फीसद बढ़ा जबकि एक साल पहले समान अवधि में इस क्षेत्र को ऋण मात्र एक फीसद बढ़ा था।

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank
Branch Office:
Shastri Nagar, Ghaziabad.

कब्जा नोटिस
8(1), नियम के तहत, सुरक्षा प्रवर्तन नियम, 2002

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक शाखा गाजियाबाद का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(2) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 02.04.2019, को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता श्रुती जैन, सुधीर कुमार जैन, चंचल जैन खाताधारक हैं को मांग नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर राशि रू.- 50,12,257.01/- (रूपये पचास लाख बारह हजार दो सौ सत्तावन और एक पैसे केवल) अदा करने की तिथि उस पर ब्याज अदा करने को कहा गया था।

ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त अधिनियम के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 15 जून 2019 को निम्नलिखित वर्णित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से संपत्तियों के मालिक तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन सिंडिकेट बैंक, शास्त्री नगर, गाजियाबाद शाखा को देय धनराशि रू.- 50,12,257.01/- (रूपये पचास लाख बारह हजार दो सौ सत्तावन और एक पैसे केवल) अदा करने की तिथि 31.03.2019 तथा उस पर ब्याज दिनांक 01.04.2019 से अदा करने को कहा गया था।

अचल संपत्तियों का विवरण

1). एक फ्लैट जिसकी माप 1400 स्क्वेयर फिट प्रथम तल, केसी-73, कवि नगर, गाजियाबाद मालिक चंचल जैन और श्रुति जैन। **जिसकी सीमाऐ- उत्तर** में खुला एरिया, **दक्षिण** में सी-41/42, **पूर्व** में सी-72 और **पश्चिम** में खुला एरिया।

2). एक प्लॉट जिसकी माप 100 स्क्वेयर यार्ड राकेश मार्ग, गाजियाबाद मालिक चंचल जैन। **जिसकी सीमाऐ- उत्तर** में रोड, **दक्षिण** में अन्य मालिक का घर, **पूर्व** में श्री बलराम का घर और **पश्चिम** में प्लॉट।

दिनांकः 15.06.2019
स्थानः गाजियाबाद।

प्राधिकृत अधिकारी
सिंडिकेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय

क्रिसिल ने कहा, 78,000 नए पेट्रोल पंप खोलना आर्थिक लिहाज से लाभदायक नहीं

मुंबई, 20 जून (भाषा)।

सरकार की देश में पेट्रोल पंपों की संख्या बढ़ाकर दोगुना करने की योजना को एक रिपोर्ट में आर्थिक दृष्टि से अव्यावहारिक बताया गया है। क्रिसिल रिसर्च ने गुरुवार को जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पेट्रोल पंपों की संख्या बढ़ाना उचित नहीं होगा। इससे न केवल ये पेट्रोल पंप एक दूसरे की बिक्री में कटौती करेंगे बल्कि इससे उनका मुनाफा भी प्रभावित होगा।

सार्वजनिक क्षेत्र की तीन पेट्रोलियम कंपनियों इंडियन आयल कॉरपोरेशन (आइओसी), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (एचपीसीएल) ने पिछले साल नवंबर में देश में 78,493 और पेट्रोल पंप खोलने के लिए विज्ञापन निकाला था। देश में पहले से 64,624 पेट्रोल पंप परिचालन में हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां ही नहीं निजी क्षेत्र के खिलाड़ी भी पेट्रोल पंपों की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. और बीपी पीएलसी का संयुक्त उद्यम और नायरा एनर्जी लि. (पूर्व में एस्सार आयल लि.) दोनों की अगले तीन साल में 2,000-2,000 पेट्रोल पंप खोलने की योजना है। वहीं रायल डच शेल की योजना इस अवधि में 150 से 200 पेट्रोल पंप खोलने की है।

पेट्रोल पंप खोलने के अलावा परिचालक उन पेट्रोल पंपों को बंद भी करेंगे जिनमें बिक्री का स्तर व्यवहारिक नहीं हैं।

गलत जीएसटी रिफंड का दावा करने वाले पांच हजार से अधिक 'जोखिम वाले निर्यातकों' की पहचान

नई दिल्ली, 20 जून (भाषा)।

सरकार ने फर्जी चालान या बिलों के जरिए माल व सेवा कर (जीएसटी) रिफंड का दावा करने वाले 5,106 'जोखिम वाले निर्यातकों' की पहचान की है। ऐसे निर्यातकों के दावों की इलेक्ट्रानिक जांच के बजाए हाथों से पड़ताल के बाद ही रिफंड जारी किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि एकीकृत जीएसटी (आइजीएसटी) रिफंड के ऐसे धोखाधड़ी वाले दावे 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के हो सकते हैं।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने बयान में सही दावे दाखिल करने वाले निर्यातकों को आश्वस्त किया है कि उनके रिफंड की प्रक्रिया 'स्वचालति' तरीके से की जाएगी और यह समय पर जारी किया जाएगा। सीबीआइसी ने सोमवार को अपने सीमा शुल्क और जीएसटी अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे पहले से निर्धारित जोखिम मानकों के आधार पर 'जोखिम' वाले निर्यातकों के इनपुट कर क्रेडिट (आइटीसी) का सत्यापन करें।

सूत्रों ने बताया कि कुल 1.42 लाख निर्यातकों में से 5,106 को ही की पहचान जोखिम वाले निर्यातकों के रूप में हुई है।

'जुलाई तक सुलझेगा गोवा खनन का मुद्दा'

पणजी, 20 जून (भाषा)।

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने खान उद्योग पर निर्भर लोगों को आश्वस्त किया है कि खनन से संबंधित मुद्दों को जुलाई के अंत तक सुलझा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले साल फरवरी में 88 पट्टे रद्द किए जाने के बाद से राज्य में लौह अयस्क खनन और उसका परिवहन ठप है। इसी हफ्ते हुई नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के खनन मुद्दे का जल्द हल ढूंढने पर जोर दिया था।

गोवा माइनिंग पीपल्स फ्रंट (जीएमपीएफ) के अध्यक्ष पुति गांवकर ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री ने बुधवार भरोसा दिलाया कि खनन मुद्दे को जुलाई के अंत तक हल कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि इस मुद्दे को पहले ही नीति आयोग के समक्ष उठाया गया है। गांवकर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मामले के हल के विकल्पों का खुलासा नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह इस हल मौजूदा प्रणाली या नीलामी से निकालेंगे।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

ई-नीलामी बिक्री सूचना
(सरफेसी एक्ट 2002 के अधीन)

परिसम्पत्ति वसूली शाखा, सोराबजी भवन, 4/54, डी.बी. गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

09.7.2019 को अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के अंतर्गत अचल संपत्ति/संपत्तियों की बिक्री

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत क्रेडीटर) के पास गिरवी रखी गई/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत क्रेडीटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक कब्जा किया गया है, की **''जैसा है जहां है, ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वंहा है''** आधार पर'' बिक्री की जायेगी। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह बिक्री दिनांक 9.7.2019 को वेबसाइटः https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध कराए गए ई-ऑक्शन प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी।

अचल संपत्तियों का विवरण

रु. लाखों में

क्र. सं.	शाखा का नाम	प्राधिकृत अधिकारी का नाम तथा फोन नं.	खाता का नाम	प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का विवरण	मांग सूचना तिथि एवं बकाया राशि (रु.)	कब्जा की तिथि	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि भुगतान	बोली वृद्धि
1.	अशोका होटल, नई दिल्ली	श्री अरुण मिश्रा मोबा.: 9999917112	मै. विरनॉयर मेटल	श्री सुरिन्दर सिंह भसीन एवं श्रीमती बलजीत कौर के नाम में ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048 में स्थित सम्पत्ति सं. आर 55, 3रे तल का फ्लैट नं. 6 तथा उसके साथ टैरेस का अधिकार, बैक साइड ब्लॉक आर में।	1.10.2018 को रु. 63,30,928/- + उसके बाद ब्याज तथा अन्य चार्जेज	21.2.2019 (रचनात्मक)	रु. 93.65 लाख	रु. 9.36 लाख	रु. 0.30 लाख
2.	जनपथ, नई दिल्ली	श्रीअनिल कुमार मोबा.: 9999917105	जे.के.एम. इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स	श्री नवाब सिंह पुत्र स्व. श्री छत्तर सिंह के नाम में गली नं.- 4, खसरा नं. 600/92, गोविन्दपुरी, कालकाजी, नई दिल्ली-110019 में स्थित आवासीय मकान-1ला तल, (छत के अधिकार के बिना), सम्पत्ति सं.- 336 का भाग।	29.9.2018 को रु. 4743226/- + उसके बाद ब्याज एवं अन्य चार्जेज	12.12.2018 रचनात्मक	रु. 76.13 लाख	रु. 7.61 लाख	रु. 0.20 लाख
3.	एनईपीजेड, नोएडा	श्री अनिल कुमार मोबा.: 9999917123	सहदेव ज्वेलर्स	श्री शशि सहदेव एवं श्रीमती सरला सहदेव के नाम में प्लॉट नं.- 11, ब्लॉक-सी, सेक्टर-44 (प्लॉट एरिया 350 वर्ग मी.) नोएडा-201301, उ.प्र.	16.10.2018 को रु. 18,45,04,383.54 + उसके बाद ब्याज एवं अन्य चार्जेज	4.1.2019 रचनात्मक	रु. 721.23 लाख	रु. 72.12 लाख	रु. 1.00 लाख
4.	एनईपीजेड, नोएडा	श्री अनिल कुमार मोबा.: 9999917123	सहदेव ज्वेलर्स	श्री रवि सहदेव एवं श्रीमती सरला सहदेव के नाम में आवासीय मकान सं.- 429, सेक्टर- 15 ए (प्लॉट एरिया 220 वर्ग मी.), नोएडा, गौतम बुध नगर, उ.प्र.	16.10.2018 को रु. 18,45,04,383.54 + उसके बाद ब्याज एवं अन्य चार्जेज	4.1.2019 रचनात्मक	रु. 541.71 लाख	रु. 54.17 लाख	रु. 1.00 लाख
5.	गुड़गांव	श्री राजेश गेरा, मोबा.: 8588870181	म्युचुल फार्मा प्रा.लि.	कमला मेहरोत्रा के नाम में प्लॉट नं. 276-बी, मौजा गुड़गांव, मिआंवाली कॉलोनी, गुरुग्राम, हरियाणा, माप भू तल 1820 वर्ग फीट, प्रथम तल 250.00 वर्ग फीट, कुल 2070.00 वर्ग फीट (300 वर्ग यार्ड्स)	30.11.2018 को रु. 3,40,12,505/- + उसके बाद ब्याज एवं अन्य चार्जेज	2.2.2019 रचनात्मक	रु. 194.50 लाख	रु. 19.45 लाख	रु. 2.00 लाख
6.	गुड़गांव	श्री राजेश गेरा, मोबा.: 8588870181	म्युचुल फार्मा प्रा.लि.	शरद मेहरोत्रा के नाम में प्लॉट नं.- 9 पार्ट, 8 मरला, मॉडल टाउन, निकट एसबीआई खंडसा रोड, गुरुग्राम, हरियाणा, माप बेस्मेन्ट, भू तल, प्रथम एवं द्वितीय तल-300 वर्ग फीट, प्रत्येक तल पर (33.3 वर्ग यार्ड्स)	31.11.2018 को रु. 3,40,12,505/- + उसके बाद ब्याज एवं अन्य चार्जेज	2.2.2019 रचनात्मक	रु. 59.74 लाख	रु. 5.97 लाख	रु. 1.00 लाख
7.	जनपथ, नई दिल्ली	श्री अनिल कुमार मोबा.: 9999917105	श्री अंकुश दुआ, श्रीमती शशि दुआ एवं श्री गौरव दुआ	श्रीमती शशि दुआ के नाम में आवासीय मकानः एमसीएफ-27, प्लॉट नं. ई.पी. 276 का भाग, वार्ड नं. 24, सैयद वारा, पुराना फरीदाबाद, हरियाणा- 121002, माप 90 वर्ग यार्ड्स।	7.9.2018 को रु. 2881742/- + उसके बाद ब्याज एवं अन्य चार्जेज	20.11.2018 रचनात्मक	रु. 44.00 लाख	रु. 4.40 लाख	रु. 0.20 लाख
8.	जनपथ नई दिल्ली	श्री अनिल कुमार मोबा.: 9999917105	मै. मंधीर गाबा, श्री शांति प्रकाश गाबा, श्रीमती अनीता गाबा	स्व. अनीता गाबा, पत्नी श्री शांति प्रकाश गाबा के नाम में ऊपरी भू तल पर फ्लैट, फ्लैट नं. टी-73, ब्लॉक-टी, खसरा नं. 5 एवं 11 में, ग्राम बिन्दापुर कॉलोनी, उत्तम नगर, नई दिल्ली, प्लॉट एरिया 900 वर्ग फीट (100 वर्ग यार्ड्स)	28.5.2018 को रु. 1739609/- + उसके बाद ब्याज तथा अन्य चार्जेज	31.8.2018 रचनात्मक	रु. 36.00 लाख	रु. 3.60 लाख	रु. 0.20 लाख
9.	मालवीय नगर नई दिल्ली	श्री राकेश शर्मा मोबा.: 9999917122	मै. परमजीत प्रॉवीजन स्टोर्स	श्री परमजीत मुंजाल, पुत्र श्री बी.डी. मुंजाल के नाम में सम्पत्ति सं. एमसीडी नं. 122 (पुराना नं. 41), प्रा. शॉप नं. 2, भू तल, सावित्री नगर, नई दिल्ली, माप 144 वर्ग फीट	8.10.2018 को रु. 38821555/- + उसके बाद ब्याज तथा अन्य चार्जेज	14.12.2018 रचनात्मक	रु. 17.50 लाख	रु. 1.75 लाख	रु. 0.10 लाख
10.	मालवीय नगर नई दिल्ली	श्री राकेश शर्मा मोबा.: 9999917122	मै. परमजीत प्रॉवीजन स्टोर्स	श्रीमती पूनम मुंजाल, पत्नी श्री परमजीत मुंजाल के नाम में सम्पत्ति सं. 105-ए, (प्रा. नं. 154-बी/1) प्रा. शॉप नं. 05, भू तल (बिना छत के), सावित्री नगर, नई दिल्ली, माप 63 वर्ग फीट	8.10.2018 को रु. 38821555/- + उसके बाद ब्याज तथा अन्य चार्जेज	14.12.2018 रचनात्मक	रु. 7.88 लाख	रु. 0.79 लाख	रु. 0.10 लाख

.....जारी

क्र.सं.	शाखा का नाम	प्राधिकृत अधिकारी का नाम तथा फोन नं.	खाता का नाम	प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का विवरण	मांग सूचना तिथि एवं बकाया राशि (रु.)	कब्जा की तिथि	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि भुगतान	बोली वृद्धि
11.	जनपथ नई दिल्ली	श्री अनिल कुमार मोबा.: 9999917105	श्री राकेश कुमार एवं श्रीमती अनीता देवी	श्री राकेश कुमार एवं श्रीमती अनीता देवी के नाम में 03 मंजिला भवन में बिना छत के अधिकार के भूतल पर एलआईजी फ्लैट नं. जी-3, भूतल, प्लॉट नं. 222, शालीमार बाग एक्स्टें. 1, ग्राम पसोण्डा, गाजियाबाद, उ.प्र., माप 450 वर्ग फीट (41.805 वर्ग मी.)	6.1.2017 को रु. 17,09,512/- + उसके बाद ब्याज तथा अन्य चार्जेज	22.5.2017 रचनात्मक	रु. 16.00 लाख	रु. 1.60 लाख	रु. 0.20 लाख
12.	सेक्टर-15 फरीदाबाद	श्री दलीप शर्मा मोबा.: 8860005963	डीएम ट्रेड हाउस	मै. एकेडी इन्डिया रीयलटेक प्रा. लि. के नाम में मौजा छाता, तहसील छाता, जिला मथुरा (उ.प्र.) की राजस्व सम्पदा में मैन रोड मथुरा पर मथुरा खाता नं. 204, खसरा नं. 1788, संस्कृति यूनिवर्सिटी के निकट, गुलशान ढ़ाबा के सामने में आवासीय खाली भूमि, माप क्षेत्रफल 8037.12 वर्ग यार्ड्स अथवा 6720 वर्ग मी. अथवा 0.672 हेक्टेयर	4.4.2018 को रु. 50611295/- + उसके बाद ब्याज तथा अन्य चार्जेज	8.6.2018 रचनात्मक	रु. 305 लाख	रु. 30.50 लाख	रु. 2.00 लाख
13.	सेक्टर-15 फरीदाबाद	श्री दलीप शर्मा मोबा.: 8860005963	ज्ञानेश्वर एजुकेशनल ट्रस्ट	ज्ञानेश्वर एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम में प्लॉट माप 1.8340 हेक्टेयर/ 4.53 एकड़, खाता नं. 00042, खसरा नं.- 319, शेयफोर्ड फ्युचुरिस्टिक स्कूल, ग्राम सैदुल्लापुर ऊर्फ चन्द्रपुरा, खंडवाली लिंक रोड, खड़खौड़ा, परगणा सराबा, तहसील एवं जिला मेरठ, उ.प्र. में पार्ट बिल्डिंग (जिसमें प्लिन्थ एरिया में बेस्मेन्ट की माप 51309.98 वर्ग फीट है।)	4.2.2015 को रु. 56898350/- + उसके बाद ब्याज तथा अन्य चार्जेज	3.1.2019 भौतिक	रु. 346.75 लाख	रु. 34.68 लाख	रु. 2.00 लाख
14.	सेक्टर-15 फरीदाबाद	श्री दलीप शर्मा मोबा.: 8860005963	मै. विश्वास ट्रैक्टर्स लिमिटेड	श्रीमती सत्तो, पत्नी श्री धरमपाल के नाम में मकान सं. 155, गव. स्कूल के सामने गली, डिस्ट्रि. कोर्ट्स के निकट, ग्राम कुशलीपुर नं. 01, जी.टी. रोड, तहसील एवं जिला पलवल, भूमि का क्षेत्रफल माप 230 वर्ग यार्ड्स।	28.12.2016 को रु. 65285521/- + उसके बाद ब्याज एवं अन्य चार्जेज	21.11.2018 भौतिक	रु. 52.35 लाख	रु. 5.23 लाख	रु. 0.25 लाख
15.	सेक्टर-15 फरीदाबाद	श्री दलीप शर्मा मोबा.: 8860005963	मै. विश्वास ट्रैक्टर्स लिमिटेड	श्रीमती बबली, पत्नी श्री पवन कुमार के नाम में मकान सं. डीयू- 48, गली नं. 02, पंचवटी कॉलोनी, पलवल, भूमि का क्षेत्रफल माप 120 वर्ग यार्ड्स।	28.12.2016 को रु. 65285521/- + उसके बाद ब्याज एवं अन्य चार्जेज	21.11.2018 भौतिक	रु. 35.00 लाख	रु. 3.50 लाख	रु. 0.25 लाख
16.	सेक्टर-15 फरीदाबाद	श्री दलीप शर्मा मोबा.: 8860005963	मै. विश्वास ट्रैक्टर्स लिमिटेड	विश्वास ट्रैक्टर्स लि. के नाम में फैक्ट्री/ इंडस्ट्रियल शेडः खेवट/ खाता नं. 884-885/ 867, रेक्ट. नं. 113, किल्ला नं. 19 एवं 22/1, ग्राम दीघोट, तहसील- होडल, जिला- पलवल, कुल क्षेत्रफल 13 के- 8 मरला) (1.675 एकड़)	28.12.2016 को रु. 65285521/- + उसके बाद ब्याज एवं अन्य चार्जेज	21.11.2018 भौतिक	रु. 210.00 लाख	रु. 21.00 लाख	रु. 2.00 लाख
17.	सेक्टर-15 फरीदाबाद	श्री दलीप शर्मा मोबा.: 8860005963	मै. विश्वास ट्रैक्टर्स लिमिटेड	श्री हरि नारायण एवं श्री पवन कुमार के नाम में मकान सं. डीयू-850, महाराना प्रताप बैंक्वेट हॉल के पीछे, पंचवटी कॉलोनी, पलवल, भूमि का क्षेत्रफल 212 वर्ग यार्ड्स।	28.12.2016 को रु. 65285521/- + उसके बाद ब्याज एवं अन्य चार्जेज	21.11.2018 भौतिक	रु. 52.42 लाख	रु. 5.24 लाख	रु. 0.25 लाख

नियम एवं शर्तें (1) ई-नीलामी ''जैसा है जहां है'' तथा ''जैसा है जो है आधार'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर की जा रही है। (2) प्रतिभूत परिसम्पत्ति सुरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेची जाएगी। (3) नीलामी बिक्री ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी। (4) ई-नीलामी पोर्टल https://www.bankeauctions.com के माध्यम से 09.7.2019 को पूर्वा. 11:00 बजे से अप. 1:00 बजे तक, 5 मिनट प्रत्येक के असीमित स्वतः विस्तार सहित, आयोजित की जाएगी। (5) इच्छुक बोलीदाता वेब पोर्टल https://www.bankeauctions.com के माध्यम से (यूजर आईडी एवं पासवर्ड https://www.bankeauctions.com पर नाम का पंजीयन कराते हुए निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं) लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड इस्तेमाल करते हुए धरोहर राशि जमा कराने के प्रमाण के साथ अपनी बोली जमा करा सकते हैं। धरोहर राशि एनईएफटी/ आरटीजीएस के माध्यम से खातेः सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सोराबजी भवन, 4/54, डी.बी. गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005, खाता नं. 3062155258 (आईएफएससी कोडः CBIN0280318) में 08.7.2019 को अप. 05.00 बजे से पूर्व (तिथि एवं समय) जमा करानी होगी। कृपया नोट करें कि चेक/ डिमांड ड्राफ्ट के रूप में धरोहर राशि स्वीकार्य नहीं होगी। सम्पर्कः श्री विनोद कुमार- 9813887931 (सपोर्ट ई-मेल आईडीः support@bankeauctions.com) तथा सम्पत्ति संबंधी किसी भी पूछताछ के लिए संबंधित शाखा/प्राधिकृत अधिकारी से उनके नाम के समक्ष वर्णित टेलीफोन नं. अथवा श्री दिनेश कश्यप, मोबा.: 9773776356 से संपर्क करें।

नियमों एवं शर्तों के विवरणों के लिए कृपया देखें: **https://www.bankeauctions.com अथवा www.centralbankofindia.co.in.**

सरफेसी एक्ट, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत वैधानिक 15 दिन का बिक्री सूचना

एतद्द्वारा कर्जदार/गारंटरों को अधिसूचित किया जाता है कि वे ई-नीलामी की तिथि से पूर्व उपरोक्त राशि, उस दिन तक के ब्याज तथा आनुषंगिक खर्चों सहित चुका दें, अन्यथा सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी तथा शेष बकाया राशि, यदि कोई हुई, ब्याज एवं लागत सहित वसूल की जाएगी।

दिनांकः 21.6.2019
स्थानः नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी,
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एआरबी, करोल बाग, नई दिल्ली

जनसत्ता

महासमर

विश्व कप -2019

21 जून, 2019 14

दिलचस्प आंकड़े

रन	11178	सबसे ज्यादा रन डेविड वार्नर
विकेट	322	
छक्के	209	उच्चतम स्कोर डेविड वार्नर
अर्धशतक	59	

वार्नर के शतक से आस्ट्रेलिया ने बनाए 381 रन

मुशफिकुर का शतक बेकार, बांग्लादेश हारा

शतक लगाने के बाद उछल पड़े डेविड वार्नर।

नॉटिंघम, 20 जून (भाषा)।

बेमेल माने जा रहे मुकाबले को बांग्लादेशी बल्लेबाजों के जुझारूपन ने एकबारगी रोमांचक बना दिया। हालांकि आस्ट्रेलियाई रनों के पहाड़ के आगे वे गुरुवार को विश्व कप के बड़े स्कोर वाले मैच में 48 रन से पीछे रह गए। पांच बार की चैंपियन आस्ट्रेलिया ने इस जीत के साथ सेमी फाइनल में प्रवेश का दावा पुख्ता कर लिया। आस्ट्रेलिया ने पांच विकेट पर 381 रन बनाए थे जिसके जवाब में बांग्लादेश ने आठ विकेट पर 333 रन जोड़े जो एक दिवसीय क्रिकेट में उसका सर्वोच्च स्कोर है। मुशफिकुर रहीम 97 गेंद में नौ चौकों और एक छक्के के साथ 106 रन बनाकर नाबाद रहे। तामिम इकबाल (62), महमूदुल्लाह (69) और शाकिब अल हसन (41) ने भी उम्दा पारियां खेलीं।

इससे पहले डेविड वार्नर की 166 रन की पारी की मदद से आस्ट्रेलिया ने 381 रन बनाए। वार्नर का यह टूर्नामेंट में दूसरा शतक है। आम तौर पर आक्रामक खेलने वाले वार्नर ने अपने स्वभाव के विपरीत जाकर संयम का परिचय दिया। उन्होंने पारी के सूत्रधार की भूमिका निभाते हुए अपना 16वां वनडे शतक पूरा किया। अपनी छठी 150 रन से अधिक की पारी खेलने वाले वार्नर ने 147 गेंदों का सामना करके 14 चौके और पांच छक्के लगाए।

पाकिस्तान के खिलाफ शतक जमाने वाले वार्नर ने कप्तान आरोन फिंच (53) के साथ 121 रन जोड़े और फिर उस्मान ख्वाजा (89) के साथ 192 रन की साझेदारी की। ग्लेन मैक्सवेल ने आखिर में 10 गेंद में 32 रन बनाए जिसमें तीन छक्के और दो चौके शामिल हैं। वह ख्वाजा के साथ गलतफहमी के कारण रन आउट हो गए। बारिश के कारण खेल उस समय रोकना पड़ा जब एक ओवर ही बाकी था। उसके बाद मार्कस स्टोइनिस (17) और एलेक्स कारे (11) ने आखिरी ओवर में मुस्ताफिजूर रहमान को 13 रन जड़े। आस्ट्रेलिया का विश्व कप में यह दूसरा सर्वोच्च स्कोर है। मध्यम तेज गेंदबाज सौम्य सरकार ने 58 रन देकर तीन विकेट चटकाए जबकि रहमान को एक विकेट मिला। शुरुआती स्पैल में मशरेफी मुर्तजा और रहमान ने अनुशासित गेंदबाजी की। दूसरी ओर वार्नर और फिंच ने भी कोई जोखिम नहीं लेते हुए छह से कम की औसत से रन बनाए। स्पिनर शाकिब अल हसन और मेहदी हसन के आने के बाद बल्लेबाजों ने हाथ खोले। वार्नर ने शाकिब को मिडविकेट पर छक्का लगाया जबकि फिंच ने हसन को लगातार दो छक्के लगाए। तेज गेंदबाज रुबेल हुसैन ने अच्छी लाइन और लैंग्थ से गेंदबाजी की लेकिन वार्नर और फिंच ने अर्धशतक पूरे कर डाले। सरकार ने फिंच को 21वें ओवर की पांचवीं गेंद पर आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा।

32 रन बनाए आखिर में बल्लेबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल ने 10 गेंद में

97 गेंद में 106 रन बनाकर नाबाद रहे मुशफिकुर रहीम

स्कोर बोर्ड

आस्ट्रेलिया : डेविड वार्नर का रुबेल हुसैन बो सौम्य सरकार 166, आरोन फिंच का रुबेल हुसैन बो सौम्य सरकार 53, उस्मान ख्वाजा का मुशफिकर रहीम बो सौम्य सरकार 89, ग्लेन मैक्सवेल रन आउट (रुबेल हुसैन) 32, मार्कस स्टोइनिस नाबाद 17, स्टीवन स्मिथ पगबाधा बो मुस्तफिजुर रहमान 01, एलेक्स कैरे नाबाद 11, **गेंदबाजी** : मशरेफी मुर्तजा 8-0-56-0, मुस्तफिजुर रहमान 9-0-69-1, शाकिब अल हसन 6-0-50-0, रुबेल हुसैन 9-0-83-0, मेहदी हसन 10-0-59-0, सौम्य सरकार 8-0-58-3

बांग्लादेश : तामिम इकबाल बो स्टार्क 62, सौम्य सरकार रन आउट 10, शाकिब अल हसन का वार्नर बो स्टोइनिस 41, मुशफिकुर रहीम नाबाद 102, लिटन दास पगबाधा बो जाम्पा 20, महमूदुल्लाह का कमिंस बो कूल्टर नाइल 69, शब्बीर रहमान बो कूल्टर नाइल 0, मेहदी हसन मिराज का वार्नर बो स्टार्क 6, मशरेफी मुर्तजा का मैक्सवेल बो स्टोइनिस 6, गेंदबाजी : कमिंस 10-1-65-0, कूल्टर नाइल 10-0-58-2, मैक्सवेल 3-0-25-0, स्टोइनिस 8-0-54-2, स्टार्क 10-0-55-2, जंम्पा 9-0-68-1

अभ्यास सत्र में चोटिल हुए हरफनमौला विजय शंकर

साउथम्पटन, 20 जून (भाषा)।

चोट से परेशान टीम प्रबंधन

अभ्यास सत्र के दौरान भारतीय टीम के हरफनमौला विजय शंकर के पैर के अंगूठे में गेंद लग गई। इसके कारण वह गुरुवार को सत्र में भाग लेने के लिए नहीं उतरे। जसप्रीत बुमराह की यार्कर गेंद बुधवार को सत्र के दौरान शंकर के पैर में लगी और वह दर्द से कराहने लगे। टीम के सूत्र ने हालांकि कहा कि अभी इस पर चिंता की कोई बात नहीं है।

उन्होंने कहा कि हां, विजय को दर्द हुआ था लेकिन यह शाम तक ठीक हो गया। उम्मीद करते हैं कि कुछ भी परेशानी वाला नहीं है। गुरुवार को शंकर चप्पल पहने थोड़े लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। बाद में उन्होंने जॉगिंग की कोशिश भी की लेकिन इसे नहीं कर सके। इसके बाद उन्होंने कुछ बेसिक अभ्यास किया जबकि अन्य खिलाड़ियों ने सामान्य क्षेत्ररक्षण ड्रिल और नेट सत्र में हिस्सा लिया।

शंकर भारतीय बल्लेबाजी क्रम में चौथे नंबर के बल्लेबाज के तौर पर चुने गए हैं लेकिन उन्हें किसी भी स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है। शंकर मध्यम गति के गेंदबाज भी हैं, जिन्हें पाकिस्तान के खिलाफ कप्तान सरफराज अहमद सहित दो विकेट मिले थे। शिखर धवन अंगूठे के फ्रेक्चर के कारण पहले ही विश्व कप से बाहर हो गए हैं। भुवनेश्वर कुमार भी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन के कारण दो मैचों से बाहर हैं। शंकर की चोट से टीम प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ेंगी ही।

अभी भुवनेश्वर आठ दिन तक गेंदबाजी नहीं करेंगे और बर्मिंघम में 30 जून को इंग्लेंड के खिलाफ मैच के लिए ही दौड़ में आएंगे। टीम प्रबंधन को भरोसा है (जैसा धवन के मामले में था) कि भुवनेश्वर टूर्नामेंट के अंत में उपलब्ध होंगे। टीम प्रबंधन और बीसीसीआइ ने धवन की चोट के संबंध में सही जानकारी नहीं दी थी और वे अब भी कह रहे हैं कि भुवनेश्वर की मांसपेशियों में जकड़न है और इसमें खिंचाव नहीं हुआ है।

अगर यह हैमस्ट्रिंग खिंचाव है तो भुवनेश्वर के पास विश्व कप में वापसी का बहुत कम मौका होगा। भुवनेश्वर भी छोटे कदम करते हुए और जांगिग करते दिखे लेकिन उन्होंने नेट में हिस्सा नहीं लिया। स्टैंडबाई तेज गेंदबाज खलील अहमद भी टीम के साथ हैं और अगर भुवनेश्वर नहीं खेल पाते हैं तो टीम प्रबंधन अनुभवी ईशांत शर्मा को भी शामिल कर सकता है क्योंकि वह भी इस सूची में शामिल हैं।

विश्व कप डायरी

पीसीबी क्रिकेट समिति से मोहसिन खान का इस्तीफा

कराची, 20 जून (भाषा)।

पूर्व टैस्ट क्रिकेटर मोहसिन खान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस समिति को विश्व कप सहित पिछले तीन वर्षों में पाकिस्तान के प्रदर्शन की समीक्षा करनी है। पीसीबी ने गुरुवार को बताया कि मोहसिन ने पीसीबी अध्यक्ष एहसान मनी से निवेदन किया कि उन्हें इस पद से मुक्त किया जाए। अब इस समिति की अगुआई वसीम खान करेंगे जो बोर्ड के प्रबंध निदेशक हैं।

इस समिति का गठन पिछले साल अक्तूबर में हुआ था लेकिन यह अब तक निष्क्रिय थी। आइसीसी विश्व कप में भारत से करारी शिकस्त मिलने के बाद समिति को पिछले तीन वर्षों के दौरान टीम के प्रदर्शन की समीक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है। मनी ने कहा कि मोहसिन जैसे कद के व्यक्ति के जाने से हमेशा मुश्किल होती है लेकिन हम उनके फैसले का सम्मान करते हैं। मैं उनके योगदान के लिए शुक्रगुजार हूं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं।

पाकिस्तान के फ्लॉप शो के लिए पीसीबी अधिकारी जिम्मेदार : सेठी

कराची, 20 जून (भाषा)।

पूर्व अध्यक्ष नजम सेठी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा प्रबंधन को विश्व कप में टीम के खराब प्रदर्शन के लिए कसूरवार ठहराया है। सेठी ने कहा कि पीसीबी अधिकारियों ने टीम में असुरक्षा भरी और खिलाड़ियों तथा सहयोगी स्टाफ को पूरा समर्थन नहीं मिल सका। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि विश्व कप में हमारे प्रदर्शन से सभी दुखी हैं लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मुझे लगता है कि टीम प्रबंधन ने टीम का पूरा साथ नहीं दिया और टीम में डर भर दिया। उन्होंने कहा कि कप्तान में असुरक्षा का भाव है, कोच में भी। खिलाड़ियों में भी यही भाव है। विश्व कप से पहले भी उन्हें नहीं पता था कि टूर्नामेंट के बाद क्या होगा।

केन विलियमसन की पारी ने अंतर पैदा किया : डुप्लेसिस

बर्मिंघम, 20 जून (एएफपी)।

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने केन विलियमसन की शानदारी बल्लेबाजी की तारीफ की है। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला गंवाने के बाद कहा कि केन की पारी ने दोनों टीमों में बड़ा अंतर पैदा किया। बुधवार को खेले गए मैच में गेंदबाजों के अनुशासित प्रदर्शन के बाद कप्तान विलियमसन के नाबाद शतक की मदद से न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को चार विकेट से हराया। इस हार से अफ्रीकी टीम के लिए अंतिम चार के दरवाजे लगभग बंद हो गए। इस जीत के साथ पिछली बार की उपविजेता न्यूजीलैंड पांच मैचों में नौ अंक लेकर शीर्ष पर पहुंच गई है। वहीं दक्षिण अफ्रीका छह मैचों में तीन अंक के साथ 10 टीमों में आठवें स्थान पर है।

श्रीलंका के सामने इंग्लैंड की मजबूत चुनौती

लीड्स, 20 जून (भाषा)।

अभ्यास सत्र के दौरान इंग्लैंड के खिलाड़ी।

आस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछला मैच गंवाने के बाद श्रीलंका की टीम विश्व कप मुकाबले में शुक्रवार को इंग्लैंड से भिड़ेगी। टूर्नामेंट में पांच मैचों में चार अंक के साथ श्रीलंका की टीम तालिका में छठे स्थान पर है। सेमी फाइनल में जगह पक्की करने के लिए उसे अगले चारों मुकाबले जीतने होंगे। पिछले हफ्ते गत चैंपियन आस्ट्रेलिया से लंदन में मिली शिकस्त के बाद नॉकआउट में जगह बनाने के लिए श्रीलंका को इंग्लैंड को हराना होगा।

इंग्लैंड की टीम पांच मैचों में चार जीत से तालिका में दूसरे स्थान पर है। पाकिस्तान के खिलाफ मिली हार को छोड़ दें तो टीम को रोकना काफी मुश्किल लग रहा है। इयोन मोर्गन के नेतृत्व वाली टीम टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी इकाई के रूप में उभरी है। उन्होंने पांच मैचों में चार बार 300 से अधिक का स्कोर खड़ा किया।

इंग्लैंड की मजबूत बल्लेबाजी को रोकने की जिम्मेदारी श्रीलंका के तेज गेंदबाजों की जोड़ी लसिथ मलिंगा और नुआन प्रदीप पर होगी। श्रीलंका को बल्लेबाजी में मध्यक्रम की कमजोरी को दूर करना होगा जो अब तक लगभग हर मैच में लड़खड़ाती दिखी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम 14 रन के अंदर पांच विकेट गंवाकर 136 पर ऑलआउट हो गई। अफगानिस्तान के खिलाफ टीम ने 36 रन के अंदर सात विकेट गंवा दिए। पूरी टीम 201 रन पर पवेलियन लौट गई।

मोर्गन की पारी से टीम का आत्मविश्वास बढ़ा : रूट

मैनचेस्टर, 19 जून (एएफपी)।

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जोए रूट ने कहा कि विश्व कप में अफगानिस्तान के खिलाफ कप्तान इयोन मोर्गन की रेकार्डतोड़ बल्लेबाजी से मेजबान टीम का हौसला काफी बढ़ा है। मोर्गन ने इस मैच में 71 गेंद में रेकार्ड 17 छक्कों और चार चौकों की बदौलत 148 रन बनाए। वह एकदिवसीय क्रिकेट में पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने छक्कों से ही 100 से अधिक रन जुटाए। उनकी पारी से इंग्लैंड ने छह विकेट पर 397 रन का विशाल लक्ष्य कायम किया जो विश्व कप में टीम का सर्वोच्च स्कोर है।

टैस्ट टीम की कप्तानी करने वाले रूट ने कहा कि एकदिवसीय क्रिकेट में अपने शानदार नेतृत्व से इंग्लैंड की किस्मत चमकाने वाले मोर्गन का रेकार्ड बनाना काफी अहम है। उन्होंने कहा कि यह कोई छोटा मैदान नहीं था। यह टीम के लिए अच्छा संकेत है कि कप्तान ऐसी फॉर्म में है और शानदार खेल रहा है। मुझे लगा उनके खेल में कोई कमी नहीं थी। इससे टीम का मनोबल काफी बढ़ा है।

रूट टूर्नामेंट में खुद भी शानदार फॉर्म मे चल रहे हैं। उन्होंने 91.75 के औसत से अब तक 367 रन बनाए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पारी ऐसे समय पर आई जब आप लय हासिल कर निरंतर अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं। टीम को उनका नेतृत्व मिलने से हमारी स्थिति मजबूत है। वह आगे भी कई बार इस तरह से निस्वार्थ होकर खेलेंगे क्योंकि वह दूसरों के लिए उदाहरण बनना चाहते हैं। यह दिखाना चाहते हैं कि वह टीम के दूसरे खिलाड़ियों से क्या उम्मीद कर रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों की मेजबानी के लिए भारत पर लगा प्रतिबंध हटा

लुसाने, 20 जून (भाषा)।

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों की मेजबानी के लिए भारत पर लगा प्रतिबंध गुरुवार को हटा दिया। दो दिन पहले ही केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि किसी योग्य खिलाड़ी को राजनीतिक कारणों से वीजा देने से इनकार नहीं किया जाएगा। आइओसी के कार्यकारी बोड की बैठक में यह फैसला लिया गया। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा को लिखे पत्र में आइओसी निदेशक (ओलंपिक एकजुटता और एनओसी संबंध) जेम्स मैकलियोड ने भारत सरकार से मिले आश्वासन पर संतोष जताया।

मैकलियोड ने कहा कि हम आइओसी पर से 21 फरवरी 2019 को भारत में किसी भी खेल के आयोजन की मेजबानी के संदेर्भ में लगाया गया प्रतिबंध तुरंत प्रभाव से वापस लेते हैं। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और भारत सरकार को इस मसले का हल निकालने में उनके संयुक्त प्रयासों के लिए धन्यवाद देते हैं।

आइओसी ने इस साल फरवरी में दिल्ली में विश्व कप के लिए दो पाकिस्तानी निशानेबाजों को वीजा नहीं दिए जाने के बाद वैश्विक टूर्नामेंटों की मेजबानी के सिलसिले में भारत से किसी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया था। इसके बाद विश्व कुश्ती ने भारत से जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी छीन ली थी। भारत ने जूनियर डेविस कप और फेड कप की मेजबानी भी गंवाई। टेनिस महासंघ ने हालांकि कहा था कि आर्थिक कारणों से उसने खुद ही मेजबानी छोड़ी थी।

सानिया को ट्रोल करने पर भड़के शोएब

कहा, बदकिस्मत हैं जो आलोचकों का शिकार बनती हैं

कराची, 20 जून (भाषा)।

पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का मानना है कि भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा दुर्भाग्यशाली हैं जो हर बार भारत-पाकिस्तान मैच के बाद प्रशंसकों की आलोचनाओं का शिकार होती रहती हैं। सानिया पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब मलिक की पत्नी हैं जो अभी इंग्लैंड में मौजूदा विश्व कप में भाग ले रही क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं।

अख्तर ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'वह इतनी दुर्भाग्यशाली हैं कि जो कुछ भी करती हैं, उन्हें या तो पाकिस्तान से या फिर भारत से गैर जरूरी आलोचनाएं झेलनी पड़ती हैं। और वो भी बिना किसी कारण के। अगर पाकिस्तान मैच हारता है तो उन्हें निशाना बनाया जाता है क्योंकि उनका पति पाकिस्तान के लिए खेलता है।

पति शोएब और वहाब रियाज व इमाम उल हक के साथ देर रात डिनर का लुत्फ लेते हुए वीडियो और फोटो डालने के बाद कई प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर सानिया को निशाना बनाया। पाकिस्तानी टीम को रविवार को बारिश से प्रभावित मैच में 89 रन की हार के बाद विश्व कप में भारत से सातवीं शिकस्त झेलनी पड़ी।

● पाक मीडिया की खबरों में कहा गया कि सानिया और शोएब भारत के खिलाफ मैच से पहले बीती रात को शीशा कैफे गए थे और इस दौरान उनका बेटा भी उनके साथ था। पीसीबी ने स्पष्ट किया कि यह वीडियो दो दिन पहले का है और शोएब-सानिया 13 जून को नही, 15 जून की रात को डिनर करने गए थे।

अख्तर ने सवाल पूछा, 'अगर वह अपने पति के साथ डिनर करने गई थी तो उन्होंने क्या अपराध कर दिया?' इस विवाद के बाद शोएब मलिक ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर संदेश लिखकर लोगों से इल्तजा की कि उनके परिवार को निशाना नहीं बनाएं। पाकिस्तानी मीडिया की खबरों में कहा गया कि सानिया और शोएब भारत के खिलाफ मैच से पहले बीती रात को शीशा कैफे गए थे और इस दौरान उनका बेटा भी उनके साथ था।

पीसीबी ने फिर स्पष्ट किया कि यह वीडियो दो दिन पहले का है और शोएब-सानिया 13 जून को नहीं 15 जून की रात को डिनर करने गए थे। अख्तर ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि पाकिस्तान अगर भारत से हार गया तो सानिया पर निशाना क्यों साधा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप एक व्यक्ति के परिवार पर या निजी जिंदगी पर ऊंगली कैसे उठा सकते हो। आपको ऐसा करने का अधिकार किसने दिया?

कोपा अमेरिका : मेस्सी के गोल से अर्जेंटीना ने पराग्वे को ड्रॉ पर रोका

बेलो होरिजोंटे, 20 जून (एएफपी)।

लियोनल मेस्सी के पेनल्टी पर किए गोल की मदद से अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका कप के मुकाबले में पराग्वे को 1-1 की बराबरी पर रोक दिया। ग्रुप बी के मुकाबले में रिचर्ड सांचेज ने मैच के 37वें मिनट में गोल कर पराग्वे को बढ़त दिला दी लेकिन मेस्सी ने 57वें मिनट में पेनल्टी को गोल में बदल कर टीम को बराबरी दिला दी।

मैच को 1-1 से बराबर रखने का श्रेय दो बार की चैंपियन अर्जेंटीना के गोलकीपर फ्रैंको अरमानी को भी जाता है जिन्होंने दूसरे हाफ (62वें मिनट) में पेनल्टी का शानदार बचाव कर पराग्वे को 2-1 की बढ़त लेने से रोक दिया। इस ड्रॉ से अर्जेंटीना की टीम दो मैचों में एक अंक के साथ ग्रुप तालिका में सबसे नीचले पायदान पर है।

टीम को क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए ग्रुप के अपने आखिरी मुकाबले में कतर को बड़े अंतर से हराना होगा। इससे पहले कोलंबिया ने अर्जेंटीना टीम को 2-0 से मात दी थी। ग्रुप के एक अन्य मैच में कोलंबिया ने दुवान जापटा के 86वें मिनट में किए गोल के बूते कतर को 1-0 से शिकस्त दी। कोलंबिया दो मैचों में दो जीत के साथ तालिका में पहले स्थान पर है।

विश्व कप : अर्जेंटीना ने स्कॉटलैंड से ड्रॉ खेला

पेरिस, 20 जून (एएफपी)।

अर्जेंटीना और स्कॉटलैंड ने महिला फुटबॉल विश्व कप के मुकाबले में गुरुवार को यहां 3-3 से ड्रॉ खेला जबकि ग्रुप डी में ही इंग्लैंड ने नाइस में जापान से हुई भिड़ंत में 2-0 से जीत हासिल की। इंग्लैंड और जापान पहले ही अंतिम 16 में जगह बना चुके थे। इंग्लैंड के लिए एलेन वाइट ने दो गोल दागे जिससे टीम नौ अंक से शीर्ष पर हैं। अर्जेंटीना ने तीन गोल से पिछड़ने के बाद वापसी की।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 215, *हवाई शुल्क :* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार।

कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।